

संपत्ति का उपभोग

[द्रव्य के उपाजन से उसका सदुपभोग अधिक महत्त्व-पूर्ण है]

(भारतवर्षीय हिन्दी-अर्थशास्त्र-परिषद् द्वारा
संपादित और स्वीकृत)

लेखक

दयाशंकर दुबे एम्० ए०, एल० एल०

अर्थशास्त्र-अध्यापक, प्रयाग-विश्वविद्यालय

और


मुरलीधर जोशी एम्० ए०

रिसर्च-स्कालर, प्रयाग-विश्वविद्यालय

प्रकाशक

साहित्य-मंदिर, दारागंज, प्रयाग

प्रकाशक—
भगवतीप्रसाद वाजपेयी
संचालक, साहित्य-मंदिर,
द्वारागंज, प्रयाग



मुद्रक—
पं० बद्रीप्रसाद पाण्डेय,
नारायण प्रेस, शाहगंज,
प्रयाग

अपनी बात

अर्थशास्त्र-विषयक पुस्तकों के अध्ययन की आवश्यकता प्रत्येक पढ़े-लिखे व्यक्ति को क्यों है, यह प्रश्न यदि साधारणतया किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से भी पूछ दिया जाय, जिसे अर्थशास्त्र विषयक पुस्तकों के अध्ययन का सुअवसर न मिला हो, तो वह यकायक अस्थिर हो उड़ेगा। वह बहुत सोच-समझकर उत्तर देने का प्रयत्न करेगा। फिर भी अधिक स्वाभाविक यही है कि उसका उत्तर असन्तोष-जनक हो हो। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण क्या है? बात यह है कि साधारण जन-समाज की यह धारणा तो बनी हुई है कि अर्थशास्त्र तो केवल कालेजों के विद्यार्थियों के अध्ययन की वस्तु है। और यह धारणा कितनी भ्रमात्मक है, जरा सोचिये तो सही! सच पूछिये तो अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अर्थशास्त्र राष्ट्र की श्रीवृद्धि का मुख्य साधन है। अर्थशास्त्र समाज की आन्तरिक शक्ति है, उसको उन्नति के लिए जागरण का बिगुल। परन्तु यह कितने खेद की बात है कि भारत की सर्वमान्य राष्ट्रभाषा हिन्दी का साहित्य अर्थशास्त्र विषयक पुस्तकों से अभी तक असम्पन्न बना हुआ है। चाहिये तो यह था कि इस विषय की पुस्तकें भारतवर्ष भर में, राजभवनों से लेकर झोपड़ियों तक, भरी पड़ी रहतीं; आवश्यकता तो इस बात की थी कि राष्ट्र के इस नव-निर्माणकाल में हमारे यहाँ के नागरिक और कृषक दोनों ही

अर्थशास्त्र विषयक ज्ञान से पूर्ण सम्पन्न होते; पर अवस्था यहाँ तक गिरी हुई है कि हम विषय के ज्ञान का प्रकाश घर घर में फैलाना दूर रहा, हमारे देश के नागरिक तक हम विषय के ज्ञान में कोरे हैं ! तब फिर देश की आर्थिक शक्ति क्यों न क्षीण रहे, देश की गरीबी और बेकारी क्यों न बढ़े और जन साधारण के आर्थिक कष्टों का कोलाहल क्यों न अहर्निश गगन-व्यापी बना रहे । अनाथ बच्चे और असाहिज व्यक्ति दाने दाने को तरस कर क्यों न मरें, भारत वसुन्धरा खून के आँसुओं से क्यों न रोये !!

इस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर पं० दयाशंकरजी दुबे (एम्० ए०, एल्-एल्० बी०, अर्थशास्त्र अध्यापक प्रयाग-विश्वविद्यालय) । वास्तव में अर्थशास्त्र विषयक साहित्य के निर्माण का कार्य प्रचुर परिमाण और उत्कृष्ट रूप में करके हिन्दो की बहुत बड़ी सेवा की है । पिछले पंद्रह वर्षों में उन्होंने हिन्दी को कई पुस्तकें दी हैं । भारत में कृषि-सुधार, भारत के उद्योग-धधे, अर्थशास्त्र शब्दावली, निर्वाचन-नियम, ब्रिटिश-साम्राज्य शासन, राजस्व-शास्त्र, अकशास्त्र, विदेशी विनिमय आदि पुस्तकें तो उन्होंने स्वयं लिखी हैं, इनके सिवा अनेक पुस्तकों का उन्होंने सम्पादन किया है । बृन्दावन से श्रीभगवानदासजी केजा की अध्यक्षता में जो भारतीय-ग्रंथमाला निकलती है, उसको अर्थशास्त्र-विषयक पुस्तकों का सम्पादन भी दुबेजी ने ही दिया है । इनके सिवा प्रो.त्साहन, परामर्श और आर्थिक सहायता देकर उन्होंने बहुत सी पुस्तकों के निर्माण, प्रचार और उद्धार का जो महत्वपूर्ण कार्य किया है, उपको तो बात ही निराती है । और इस कार्य को वे प्रायः सर्वांश में निस्वार्थ सेवा के रूप में ही नहीं कर रहे हैं; वरन् कभी-कभी तो आर्थिक हानि-उठाकर भी किया करते हैं । उनके अर्थशास्त्र-विषयक साहित्य के निर्माण

की यह प्रत्यक्ष रूप हुआ। पर अप्रत्यक्ष रूप से भी वे हिन्दी की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने उमाह दे-डेकर हिन्दी को कई अर्थशास्त्री लेखक दिये हैं। इस पुस्तक के संयुक्त-लेखक श्रीमृाजोधर-नी जोशी भी उन्हीं में से हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि जोशीजी ने दुवेजी से इस विषय में जो दीक्षा पाई है, उससे हिन्दी का हित ही होगा।

दुवे जी में झूठी यश लिप्सा तो छ भी नहीं गयी है। प्रायः देखा जाता है कि महामान्य लेखक लोग ऐसी पुस्तकों के भी लेखक होने के अधिकारी हो जाते हैं। जिनका एक अक्षर भी उनका लिखा, छिक्टेट किया अथवा बतलाया नहीं होता। सच पूछिये तो इससे हिन्दी का बड़ा अहित हो रहा है। परिश्रमी और अधिकारी लेखक इन खनाम-धन्य लेखकों की महामाया में दबे पड़े रहते हैं और फिर कभी उचक नहीं पाते। परन्तु हमारे दुवेजी सहकारी लेखकों को प्रोत्साहन ही नहीं देते; वरन् उनके साथ बैठकर काम करते और उन्हें उस विषय में पारगत बनाकर ही संतोष को सांस लेते हैं। इस पुस्तक के लेखन में भी दुवे-जी ने यथेष्ट श्रम किया है।

प्रयाग-विरव-विद्यालय में गत पाँच वर्षों से वी० ए० (शानर्म) के अर्थशास्त्र विषय में परीक्षार्थी को एक प्रश्न-पत्र हिन्दी या उर्दू में अचश्य ही लेने वा जो प्रतिबन्ध है, उसके मूल में दुवेजी का ही प्रयत्न है। हिन्दी की उच्चभोटी की पत्रिकाओं में समय-समय पर दुवेजी लेख भी लिखते रहते हैं। एक वाक्य में, कहा जा सकता है कि हिन्दी में अर्थशास्त्र विषय के साहित्य-निर्माण का कार्य ही दुवे जी के जीवन का मुख्य ध्येय है।

और इसीलिए उन्होंने अपना अधिकांश समय इसी उद्देश्य की पूर्ति के अर्थ उत्सर्ग कर रखा है। इस प्रकार सचमुच दुबेजी का जीवन धन्य है।

हमारी अपनी निजी तथा मंदिर की पुस्तकों के पाठकों से यह बात छिपी नहीं है कि न तो मैं अर्थशास्त्री ही हूँ, न इस विषय का अनन्य अनुरागी ही। फिर भी मंदिर से जो यह पुस्तक प्रकाशित हो रही है, उसका एक कारण है। दुबेजी के निकट बैठने और साथ ही उनकी छत्रछाया में कुछ साहित्यिक कार्य करने का सौभाग्य मुझे भी समय-समय पर प्राप्त होता रहता है। दुबेजी की प्रेरणा से मैंने इस पुस्तक की प्रेस कापी देखी, तो वह मुझे हिन्दी भाषा-भाषी जनता के लिए बहुत लाभकर प्रतीत हुई। अतएव मैंने इसे प्रकाशित करना स्वीकार कर लिया। सच पूछिये तो ऐसी पुस्तकों को हिन्दी-भाषा भाषी जनता के घर-घर में पहुँचना चाहिये। मेरे लिए इस विषय की पुस्तक प्रकाशित करने का यह प्रथम प्रयोग ही है। यदि पाठकों ने इस पुस्तक का यथेष्ट आदर किया, तो मैं ऐसी ही और भी उपयोगी पुस्तकों के प्रकाशन की चेष्टा करूँगा।

दारागंज, प्रयाग
वैशाखी पूर्णिमा
संवत् १९९१ वि०

भगवतीप्रसाद वाजपेयी

भूमिका

२०१६

द्रव्य का सदुपभोग उतना सरल नहीं है जितना द्रव्य का प्राप्त करना । जब हम अपने और अपने आसपास के व्यक्तियों के स्वार्थ के सम्बन्ध में गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं तब हमको उक्त कथन की सत्यता का पता लगता है । द्रव्य से मनुष्य को जो शक्ति प्राप्त होती है उसका वह इन्द्रानुमार सदुपभोग या दुरुपभोग कर सकता है । उस शक्ति का सदुपभोग करने से वह अपने आप तथा अपने देश और समाज को बहुत लाभ पहुँचा सकता है । परंतु उसी शक्ति का दुरुपभोग करने से मनुष्य कभी-कभी स्वयं अपने और समाज को भयकर हानि पहुँचा देता है । सप्तराज्य भर में व खासकर भारत में प्रति वर्ष असंख्य मनुष्य द्रव्य का दुरुपयोग कर जुआ, मुकदमेवाजी, विलासिता तथा मादक-वस्तुओं के सेवन द्वारा अपने आप को वरनाश कर रहे हैं और देश को भारी हानि पहुँचा रहे हैं । इस वरनाशी का एक प्रधान कारण द्रव्य के उपभोग-सम्बन्धी उचित ज्ञान का अभाव है । हिन्दी में इस विषय की पुस्तकों की बहुत कमी है । इसी कमी को कुछ अंश में दूर करने के उद्देश से यह पुस्तक लिखी गई है ।

हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से इंटरमीडियेट और वी० ए० के विद्यार्थियों तथा हिन्दी-विश्वविद्यालय के मध्यमा परीक्षा के परीक्षार्थियों को इस विषय के समझने में सहायता मिलेगी ।

यह पुस्तक मैंने और श्रीयुत मुरलीधरजी जोशी ने मिलकर

लिखी है। जो भाग श्रीयुत जोशी जी ने लिखा है वह मेरे निरीक्षण में ही लिखा है। इसलिये इस पुस्तक के दोषों के लिये पूर्णरूप से मैं ही जिम्मेदार हूँ। यदि हिन्दीप्रेमी सज्जन इस पुस्तक को अधिक उपयोगी वनान के लिये उचित सलाह देने की कृपा करेंगे तो मैं उनका बहुत कृतज्ञ होऊँगा।

गत पांच वर्षों से प्रयाग विश्वविद्यालय में बी० ए० (आनर्स) के अर्थशास्त्र विषय के प्रत्येक परीक्षार्थी को एक प्रश्नपत्र का उत्तर हिन्दी या उर्दू में ही देना पड़ता है। श्रीयुत मुरलीधर जोशी ने अर्थशास्त्र पर हिन्दी में कई उत्तम निबन्ध लिखे और सन् १९३१ में बी० ए० (आनर्स) की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, तथा अर्थशास्त्र-सम्बन्धी विषय पर हिन्दी-निबन्ध में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किये। इसी वर्ष मुझे आपकी हिन्दी की योग्यता का पता लगा। आप निम्नन्देश हिन्दी के होनहार लेखक हैं। सन् १९३२ में एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर प्रयाग विश्वविद्यालय ने आपको दो वर्षों के लिये रिसर्च-स्कालर के पद पर नियुक्त किया। इसी समय आपकी इच्छा अर्थशास्त्र के किसी विषय पर पुस्तक लिखने की हुई और मेरे साथ उन्होंने इस पुस्तक को लिखना स्वीकार कर लिया।

यदि हिन्दी-संसार ने हम लोगों की इस पुस्तक को पसन्द कर हमारे उत्साह को बढ़ाया तो अर्थशास्त्र के अन्य विभागों पर भी इसी प्रकार की पुस्तकें लिखने का हमलोग प्रयत्न करेंगे।

अक्षय तृतीया
सं० १९९१ वि० }

दयाशंकर दुबे

विषयानुक्रमणिका

पहला अध्याय—उपभोग का महत्व

उपभोग की व्याख्या—उपभोग की उपयोगिता—उपभोग में तृप्ति—उपभोग का महत्व—उपभोग का रहस्य १-६

दूसरा अध्याय—उपभोग-सन्दर्भ शब्दों का परिचय

‘वस्तु’ की परिभाषा—सम्पत्ति की परिभाषा और व्याख्या—उपयोगिता क्या है—‘मूल्य’ शब्द का व्यवहार—‘कीमत्’ का अर्थ—द्रव्य की परिभाषा ७-११

तीसरा अध्याय—आवश्यकताएं

आवश्यकता क्या है - मंगलता की वृद्धि से आवश्यकताओं की वृद्धि—आवश्यकता और उद्योग का सम्बन्ध—आवश्यकताओं के लक्षण—आवश्यकताएं अपरिमित हैं—आवश्यकता के साधनों में प्रतियोगिता—पूरक आवश्यकताएं—आवश्यकताओं की अस्थिरता का रहन सहन पर प्रभाव १२-१६

चौथा अध्याय—उपभोग और सन्तोष

मनुष्य का चरम उद्देश्य—सुख और सन्तोष—सुख और दुख की व्याख्या—सुख और दुख की वेदना—अमन्ताप और दुख—आवश्यकताओं को मर्यादित करना—तृष्णा और वामना की शृङ्खलाओं से मुक्ति—सादा जीवन और उच्च विचार १६-२०

पाँचवां अध्याय—उपयोगिता

उपयोगिता की एकाई—उपयोगिता की मात्रा—वस्तुओं की एकाई—सीमान्त उपयोगिता—हास नियम—इस नियम

के सम्बन्ध में आक्षेप—सीमान्त उपयोगिता में वृद्धि—द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता—समसीमान्त उपयोगिता नियम २१-४४

छठा अध्याय—माँग

‘इच्छा’ शब्द का विस्तार—माँग क्या है—माँग का नियम—माँग नियम का सम-सीमान्त-उपयोगिता-नियम के साथ सम्बन्ध—माँग की सारिणी और उसकी रेखा—समाज के माँग की सारिणी—माँग की प्रबलता और शिथिलता ४२-५४

सातवाँ अध्याय—उपभोक्ता की बचत

उपभोक्ता की बचत क्या है—द्रव्य के रूप में उपयोगिता—द्रव्य से माप क्या है—उपभोक्ता की बचत का परिमाण—उपभोक्ता की बचत को मूल्य में अर्कना—उपभोक्ता की बचत का अन्तर—वस्तु का परिमाण—उपभोक्ता की बचत का महत्व ६०-७२

आठवाँ अध्याय—उपभोग की वस्तुओं का विभाग

जीवन-रक्षक-पदार्थ—निपुणतादायक पदार्थ—आराम की वस्तुएँ—विलासिता की वस्तुएँ—कृत्रिम आवश्यकताओं की वस्तुएँ—रेखाचित्र द्वारा वस्तुओं का भेद ७३-७६

नवाँ अध्याय—माँग की लोच

माँग का गुण ही माँग की लोच है—माँग की लोच में कमो—माँग की लोच में कम बदलाव—माँग की लोच की भिन्नता—लोच की माप—मनुष्य की धा की मासिक माँग का कोष्ठक—माँग की लोच का महत्व ८०-८८

दसवाँ अध्याय—फिंज़ूल-खर्ची

फिंज़ूलखर्ची का रूप—विज्ञासिता की वस्तु किसे कहते हैं—विज्ञामिता की वस्तुओं का उद्भोग, कोन कर सकना है—द्रव्य खर्च करने का उत्तम तरीका

८६-६०

ग्यारहवाँ अध्याय—रहन-सहन का दरजा

दरिद्र रहन-सहन का दरजा—न्यूनतम जीवन निर्वाह का दर्जा—तन्दुरुस्ती तथा आराम का रहन-सहन का दर्जा—विलासिता के रहन-सहन का दर्जा—रहन-सहन के दर्जे का व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से सम्बन्ध—द्रव्य की क्रयशक्ति—पारिवारिक आय-व्यय—भिन्न-भिन्न दर्जा के परिवारों की आमदनी का औसत प्रतिशत खर्च

६८ १०७

बारहवाँ अध्याय—भारतवासियों का रहन-सहन

१००) मासिकआयवाले व्यक्तियों का रहन-सहन—५००)
से १०००) मासिकआयवाले व्यक्तियों का रहन-सहन—
१००) से ५००) तक मासिकआयवाले व्यक्तियों का रहन-
सहन—४०) से १००) तक की मासिक आय वाले व्यक्तियों
का रहन-सहन—१५) से ४०) तक मासिकआयवाले व्यक्तियों
का रहन-सहन—श्रमजीवियों का रहन-सहन—आमदनी के
अनुसार परिवारों का वर्गीकरण—१५) से कम मासिकआय-
वाले व्यक्तियों का रहन-सहन—बया अधिकांश भारत
वासियों का रहन-सहन बढ रहा है ?

१०८-११८

तेरहवाँ अध्याय—रहन-सहन का वास्तविक दरजा

देश निवासियोंकी वृत्ति से रहन-सहन का सम्बन्ध—रहन-
सहन का वास्तविक दर्जा क्या है ?—रहन-सहन में भोजन—
रहन-सहन में वस्त्र—रहन-सहन में मकान—भारतवासियों

के रहन सहन की अवस्था और उपका सुधार—उद्योग धन्धों की उन्नति कैसे हो सकती है

११६-१२६

चौदहवाँ अध्याय—सरकार और उपभोग

सरकार का हस्तक्षेप किन दशाओं में उचित है—समाज की रक्षा के लिए सरकार का कर्तव्य—मादक वस्तुओं के सम्बन्ध में सरकार का हस्तक्षेप—वस्तुओं में मिलावट और सरकार का कर्तव्य—झूठे विज्ञापन और माप तौल के सम्बन्ध में सरकार का हस्तक्षेप—युद्ध के समय सरकार का हस्तक्षेप—सार्वजनिक सेवाओं के सम्बन्ध में सरकार का कर्तव्य

१२७-१३४

पंद्रहवाँ अध्याय—बर्बादी और अपव्यय

वस्तुओं की बर्बादी—बर्बादी रोकने के साधन—गृहिणी का गार्हस्थ्य शास्त्र में निपुण होना—उरली जजाने से हानि—स्वास्थ्य की बर्बादी—द्रव्य का अपव्यय

१३५-१४३

सोलहवाँ अध्याय—भविष्य का उपभोग और वचत

भविष्य की आवश्यकताएँ और उनकी तृप्ति—भविष्य में उपभोग के लिए आमदनी का कौन सा भाग बचाना चाहिये—भविष्य की उपयोगिता पर बट्टा—भविष्य की दुर्घटनाओं के लिए वचत—वचत को सुरक्षित रखने का तरीका—जीवन का बीमा—आमदनी का दसवाँ भाग बचाना चाहिये—

१४२-१५८

सत्रहवाँ अध्याय—सहकारी उपभोग-समितियाँ

सहकारी उपभोग-समितियों का निर्माण—उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति—पूर्ति के दो तरीके—उपभोक्ताओं का सहकारी उपभोग-समितियों से लाभ—सहकारी उपभोग-समितियों की कमो—सरकार की सहायता आवश्यक है

१५१-१५८

अठारहवाँ अध्याय—दान-धर्म

कुछ लोगों का खयाल गरीबों को आनदनी में वृद्धि न करने के कारण—गरीबों को आनदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है धनी लोग गरीबों का उकार कैसे कर सकते हैं—अनिष्ट होने की आशंका—राष्ट्रीय आय में वृद्धि . १२६-१६६

उन्नीसवाँ अध्याय—सदुपभोग और दुरुपभोग

वस्तुओं का सदुपभोग और दुरुपभोग कैसे होता है—मनुष्य के जीवन की रक्षा और उसके कार्य करने की शक्ति और निपुणता—क्षयक सन्तोषदायक—दुरुपभोग की परिभाषा—दुरुपभोग की भयानक वृद्धि—आश्चर्यकृतियों का परिमित रखना—सादा जीवन, ध्येय ऊँचा—जोगों की भूल—परिचयी सभ्यता की नकल से हानि—आश्चर्यकृतियों का नियमन और सदुपभोग—अधर्म और बेईमानी की वसाई से द्रव्य का नाश १६७-१७२

सम्पत्ति का उपभोग

पहला अध्याय

उपभोग का महत्व

अर्थशास्त्र के पाँच मुख्य विभागों में से एक विभाग 'उपभोग' है। साधारणतः उपभोग का मतलब किसी वस्तु का भोग करना या सेवन करना होता है। परन्तु अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग कुछ विशेषता से किया जाता है। उपभोग का अर्थ सेवाओं के और वस्तुओं के उस भोग से है जिससे उपभोक्ता की वृत्ति हो। अगर किसी वस्तु के सेवन करने से उपभोक्ता को संतोष न हो तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से ऐसे भोग को उपभोग नहीं कहते हैं। अगर हम एक रोटी का टुकड़ा आग में डालकर जला डालें तो सांसारिक दृष्टि से उस वस्तु का उपभोग हो चुका; क्योंकि वह और किसी काम की न रही। परन्तु अर्थशास्त्र की दृष्टि से उस वस्तु का उपभोग नहीं हुआ; क्योंकि उससे उपभोक्ता की वृत्ति नहीं हुई। हर एक वस्तु में कुछ न कुछ उपयोगिता रहती है। जब हम उस उपयोगिता का इस प्रकार प्रयोग करें जिस प्रकार हमको उससे वृत्ति या संतोष हो, तभी हम वास्तव में उस वस्तु का उपभोग करते हैं। रोटी का टुकड़ा खाने से या आग में

डालने से दोनों प्रकार उस रोटी के टुकड़े की उपयोगिता नष्ट हो जाती है, लेकिन खाने से मनुष्य की तृप्ति और सन्तोष होता है और आग में डालने से उसकी बरबादी होती है।

उपभोग का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में इस विषय पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। कई अर्थशास्त्र की पुस्तकों में दो एक अध्यायों में ही इस विषय का विवेचन मात्र कर दिया गया है; लेकिन आजकल इस विषय की महत्ता लोगों को विदित होने लगी है और अब अर्थशास्त्र का यह विभाग भी अन्य विभागों की समकक्षा में रखा जाने लगा है।

कभी कभी वस्तु का उपभोग अन्य वस्तु के उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। इससे भी उसकी उपयोगिता कम हो जाती है; जैसे किसी कारखाने में कोयले का उपभोग। परन्तु इस प्रकार के उपभोग को अर्थशास्त्र में उपभोग नहीं कहते; क्योंकि इस प्रकार के उपभोग से किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष रूप से तृप्ति नहीं होती। यह सच है कि वस्तु के इस प्रकार के उपभोग से जो वस्तु तैयार होती है उससे प्रत्यक्ष रूप से तृप्ति होती है। जब कोयले का उपभोग अग्नि उत्पन्न कर किसी व्यक्ति के शीत निवारण करने के लिए किया जाता है तब उसको कोयले का उपभोग कहा जायगा। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो मालूम होगा कि अर्थशास्त्र के सब विषयों की नींव उपभोग ही में है। प्राचीन से प्राचीन काल के अर्थशास्त्र के इतिहास को देख जाइये और आजकल की दुनियाँ के चहल-पहल को भी देखिये। दोनों

का वास्तविक आरम्भ उपभोग में ही है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य को नाना प्रकार की आवश्यकताएँ होती हैं जिनकी वह तृप्ति करना चाहता है। कई एक आवश्यकताएँ तो ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति उसको अपनी जान बचाने के लिए करनी पड़ती है; जैसे भोजन, वस्त्र, और निवास-स्थान। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको श्रम और उद्योग करना पड़ता है। अपने उद्योग से या तो वह अपनी आवश्यकता की वस्तु स्वयं बना लेता है या दूसरी वस्तु बनाकर या सेवा कर विनिमय से उस वस्तु को प्राप्त करता है। इससे यह प्रकट हो जाता है कि अर्थशास्त्र सम्बन्धी सब क्रियाओं का श्रीगणेश उपभोग ही में है। इन सब क्रियाओं का अन्त भी उपभोग में ही है; क्योंकि जब इच्छित वस्तु या सेवा को प्राप्त करके उसका उपभोग कर लिया और तृप्ति होगई, तब फिर उसके सम्बन्ध में और कुछ करने को नहीं रह जाता है।

प्रत्येक मनुष्य को उपभोग का महत्व जानने की आवश्यकता है। प्रत्येक उत्पादक व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए शक्ति और स्फूर्ति की आवश्यकता होती है। इनको प्राप्त करने के लिए उसको विशेष प्रकार के खाने, पीने, पहनने की आवश्यकता होती है। अच्छी और पौष्टिक वस्तुओं का सेवन करने से मनुष्य की शक्ति और उत्साह में वृद्धि होती है और इसके विपरीत शराब पीने से या शक्ति ह्रास करने वाली अन्य वस्तुओं के सेवन करने से उलटा असर होता है। शक्ति क्षीण होने से

मनुष्य कम उपार्जन कर सकता है। इसका फल यह होता है कि उसको खाने को भी पूरा नहीं मिल पाता है। आधुनिक काल के नाना प्रकार की मिलावट की वस्तुओं में से अपने काम की असली वस्तुओं को छाँटकर उनका उपभोग करने से प्रत्येक मनुष्य को सब से अधिक सन्तोष होता है, और ऐसा ही करने की उसको कोशिश करनी चाहिए।

वस्तुओं का उचित रीति से उपभोग करना सहल काम नहीं है। जिनका अपने मन पर पूर्ण अधिकार है वही वस्तुओं का उचित उपभोग कर सकते हैं। यह सच है कि द्रव्य का उपार्जन करना जितना सरल है उसका उचित उपभोग उतना ही कठिन है। आजकल के लोग प्राचीन काल के लोगों की तरह अपनी सब आवश्यकीय वस्तुओं को स्वयं पैदा नहीं करते हैं। वे किसी भी काम को करके द्रव्य उपार्जन करते हैं और उस द्रव्य से अपनी आवश्यकीय वस्तुओं को मोल लेते हैं। लेकिन प्रत्येक मनुष्य यह नहीं जानता है कि उसको किस किस वस्तु की कितनी आवश्यकता है। अगर किसी मनुष्य को बीस रुपया देकर बाजार भेजिये कि वह अपनी जरूरत की वस्तुएँ मोल ले लेवे तो बाजार पहुँचकर वह मनुष्य ठीक ठीक निश्चय नहीं कर सकेगा कि वह कौन सी वस्तु ले। वह सोचेगा कि एक फोउन्टेन पेन खरीदे या एक सूट सिलवाये, एक जोड़ी जूता खरीदे या ग्राइमस स्टोव खरीदे, एक रुपये में सिनेमा देखे या उसको किसी भविष्य में आनेवाली आवश्यकता के लिए बचा रखे, इत्यादि

अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे खरीदार के मन में उपस्थित होंगे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि खरीदार विज्ञापनों के धोखे या मित्रों के बहकाने में आकर ऐसी वस्तुएँ खरीद लेता है जिनकी उपयोगिता उसको उतनी नहीं होती जितनी और वस्तुओं की होती है। कभी कभी खरीदार यह नहीं सोचता कि जो वस्तु वह खरीद रहा है उसके उपभोग का अंतिम परिणाम क्या होगा। इसलिये वह अपनी खराब आदत के कारण नशीली वस्तुएँ भी खरीद लेता है। इससे उसको अंत में हानि ही अधिक होती है। ऐसे लोगों को अपने द्रव्य की पूरी उपयोगिता नहीं मिलती। इसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह जानना चाहिए कि उसकी आवश्यकताएँ क्या क्या हैं और कौन सी वस्तु कितनी खरीदने से उनकी सबसे अधिक वृत्ति हो सकती है। एक मनुष्य सोच समझकर खर्च कर बीस रुपये में इतनी उपयोगिता और सन्तोष प्राप्त कर सकता है जितना कि दूसरा मनुष्य पचास रुपये में भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि पहला मनुष्य उपभोग के महत्व को और उसके रहस्य को जानता है और दूसरा मनुष्य नहीं जानता।

हर एक उत्पादक या उत्पादक-संघ को भी उपभोग का विषय अच्छी तरह जानना चाहिए। उन लोगों को जानना चाहिए कि उपभोक्ता को किन किन चीजों को कितनी जरूरत है। व्यापारिक मदी और धूम से संसार में जो हलचल होती है उसका एक

कारण यह भी है कि उत्पादक आवश्यकता से अधिक या कम पैदा करते हैं।

किसी भी देश की शक्ति उस देश के निवासियों की शक्ति पर निर्भर रहती है। जिस देश के लोग लाभदायक और पौष्टिक वस्तुओं का सेवन करते हैं और नशीली और अन्यान्य स्वास्थ्य को हानि पहुँचानेवाली वस्तुओं को त्याग देते हैं उस देश के लोग हृष्ट-पुष्ट, बलवान् और प्रवीण होते हैं। इससे विपरीत आचरण करनेवाले लोग कमजोर, रोगी और आलसी होते हैं। देश की समृद्धि और रक्षा पहले प्रकार के लोगों से ही हो सकती है।

उपर्युक्त वर्णन से उपभोग का महत्व भली भाँति विदित होता है। इस पुस्तक में इसी महत्वपूर्ण विषय पर अर्थशास्त्र की दृष्टि से विचार किया जायगा।

दूसरा अध्याय

उपभोग सम्बन्धी शब्दों का परिचय

उपभोग सम्बन्धी विवेचन करने के पहले कुछ पारिभाषिक शब्दों का अर्थ जान लेना बहुत आवश्यक है । इसलिए इस अध्याय में कुछ ऐसे शब्दों का अर्थशास्त्र की दृष्टि से विवेचन किया जायगा जो उपभोग के विषय को प्रतिपादन करने में काम में आते हैं ।

वस्तु:—अर्थशास्त्र में उन चीजों को 'वस्तु' कहते हैं जिससे मनुष्य को वृत्ति होती है । इनमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और विनिमय कर सकते हैं जैसे किताब, लकड़ी, मोटर इत्यादि । कुछ ऐसी हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं जैसे मित्रता, प्रसिद्धि इत्यादि । पहिले प्रकार की वस्तुएं भौतिक कहलाती हैं और दूसरे प्रकार की अवैयक्तिक कहलाती हैं । कुछ वस्तुएँ विनिमयसाध्य होती हैं और कुछ अविनिमयसाध्य ।

सम्पत्ति:—लौकिक व्यवहार में किसी मनुष्य की सम्पत्ति से उसका रुपया, जेवर, मकान, जमीन इत्यादि बहुमूल्य वस्तुओं का बोध होता है, और सम्पत्तिवान मनुष्य वही कहलाता है जिसके पास ऐसी वस्तुएँ बहुतायत से हों । लेकिन अर्थशास्त्र में

केवल इन्हीं चीजों को सम्पत्ति नहीं कहते । इस शब्द का प्रयोग अधिक उदारता से किया जाता है । अर्थशास्त्र में उन सब वस्तुओं को सम्पत्ति कहते हैं, जो उपयोगी हो और विनिमय-साध्य हों । उदाहरण के लिए हवा को लीजिये । यह उपयोगी है लेकिन विनिमय-साध्य नहीं । इसलिए इसकी गणना सम्पत्ति में नहीं हो सकती । लेकिन किसी व्यवसाय की (समृद्धि) प्रसिद्धि उपयोगी भी है और विनिमय-साध्य भी है । इसका क्रय-विक्रय हो सकता है । इसलिए यह वस्तु सम्पत्ति में शामिल की जा सकती है । कई एक अर्थशास्त्रज्ञों का कहना है कि किसी वस्तु की सम्पत्ति में गणना होने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी संख्या परिमिति हो और वह श्रम से प्राप्त हो सके ।

उपयोगिता:—उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जिससे उस वस्तु की चाहना होती है । इसका सम्बन्ध मन से होता है । इसलिए हम किसी वस्तु की उपयोगिता का वर्णन किसी माप या तौल से नहीं कर सकते । चूँकि प्रत्येक मनुष्य के मन में कुछ न कुछ भिन्नता होती है इसलिए किसी एक खास वस्तु की उपयोगिता प्रत्येक मनुष्य को बराबर नहीं होती । किसी वस्तु का मूल्य तै करने में लोग उस वस्तु की उपयोगिता का विचार अवश्य करते हैं ।

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि हम किसी वस्तु विशेष को उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते । हम केवल उपयोगिता

उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुर्सी को लीजिये। बर्दई ने अपने औजारों की मदद से लकड़ी का रूपान्तर करके उसमें लकड़ी से ज्यादा उपयोगिता ला दी है। लकड़ी उसने उत्पन्न नहीं की। इसी प्रकार काम में आते-आते कुर्सी की उपयोगिता नष्ट होती जाती है। कुर्सी टूट जाती है लकड़ी पड़ी रहती है, लेकिन कुर्सी काम की नहीं रह जाती है।

मूल्य :—इस शब्द का व्यवहार दो प्रकार से किया जाता है। कभी कभी मूल्य शब्द का प्रयोग उपयोगिता के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि अमुक वस्तु बहुमूल्य है। लेकिन वह अर्थ गौण है। अर्थशास्त्र में इस प्रकार के मूल्य के लिए हम उपयोगिता शब्द का उपयोग करते हैं।

मूल्य शब्द का प्रधान अर्थ विनिमय-मूल्य होता है। जब हम किसी वस्तु के बदले में एक दूसरी वस्तु को लेते हैं तो दूसरी वस्तु का परिमाण पहली वस्तु का मूल्य कहलाता है। जैसे अगर हम एक गाय के बदले तीन बकरियाँ ले ले तो उस गाय का मूल्य तीन बकरियाँ हुआ। यह व्यावहारिक मूल्य भी कहलाता है। इस मूल्य की नीव उपयोगिता में होती है, क्योंकि जब किसी मनुष्य की दृष्टि में तीन बकरियों की उपयोगिता एक गाय से अधिक या कम से कम उसके बराबर न हो और उसके होश हवास दुरुस्त हो तो; तो वह गाय के बदले तीन बकरियाँ कभी न लेगा।

कीमत :—किसी वस्तु का द्रव्य के रूप में मूल्य उसकी

क्रीमत है। जैसे पहले उदाहरण में एक गाय का मूल्य तीन बकरियाँ कहा है। अगर हम कहें कि गाय का मूल्य ६० रु० है तो ६० रु० गाय की (या तीन बकरियों की भी) क्रीमत हो गई। पहले जमाने में जब रुपया-पैसा विनिमय का माध्यम नहीं था तब वस्तुओं की अदल बदल से काम किया जाता था। लेकिन इससे बहुत असुविधा होती थी। इस असुविधा को दूर करने के लिए रुपया पैसा एक ऐसा विनिमय का माध्यम निकाला गया जो सब लोगों को रुचिकर है और जिससे वस्तुओं के क्रय-विक्रय में बहुत सुविधा हो गई है। आजकल के व्यवहार और व्यवसाय में किसी भी वस्तु का मूल्य द्रव्य में ही प्रकट किया जाता है।

द्रव्यः—वह वस्तु जो विनिमय का माध्यम हो, द्रव्य कहलाता है। इससे विनिमय बड़ी आसानी से हो सकता है। प्राचीन काल में जब कि द्रव्य का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तब मनुष्यों को अपनी आवश्यकीय वस्तुओं को प्राप्त करने में बड़ी दिक्कत होती थी। उनको किसी ऐसे आदमी को ढूँढना पड़ता था जिसके पास उसकी आवश्यकीय वस्तुएं हों और जिसको उसकी वस्तुओं की आवश्यकता हो। अब द्रव्य के माध्यम से लोग अपनी वस्तुओं के बदले में द्रव्य प्राप्त करके, फिर द्रव्य के विनिमय से अपनी आवश्यकीय वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। आजकल संसार में धात्विक और कागजी द्रव्य दोनों का ही चलन है।

धात्विक द्रव्य के सिक्के एक खास वस्तु के बने होते हैं । उनका वजन और उनकी शक्त भी किसी मुल्क की सरकार द्वारा निश्चित रहती है । कागजी द्रव्य का सञ्चालन भी सरकार ही करती है । अधिकतर कागजी द्रव्य विनिमय-साध्य होते हैं अर्थात् सरकार कागजी द्रव्य के बदले धात्विक द्रव्य देने का वादा करती है । कोई कोई कागजी द्रव्य अत्यधिक परिमाण में चलाये जाने के कारण विनिमय-साध्य नहीं भी होते ।

तीसरा अध्याय

आवश्यकताएँ

जैसा कि हम पहले बतला आये हैं उपभोग द्वारा हमारी आवश्यकताओं की तृप्ति होती है। इसलिए इस अध्याय में आवश्यकताओं पर ही विचार किया जाता है। आवश्यकता मनुष्य की उस इच्छा को कहते हैं जिसको पूर्ण करने के लिए वह परिश्रम करता है। बाजार में कई एक वस्तुओं को देखकर उनको खरीदने और उपभोग करने की इच्छा होती है। लेकिन अगर हम उन वस्तुओं को प्राप्त करने का उद्योग न करें तो वह केवल कोरी इच्छा ही रह जाती है। किसी आवश्यकता की तृप्ति के लिए उद्योग करना निहायत जरूरी है।

प्राचीन काल से ही मनुष्यों को अनेक वस्तुओं की आवश्यकता रही है। जिस समय लोग वन में जंगली जानवरों के समान रहते थे उस समय भी उन लोगों को अपने प्राण की रक्षा के लिए जल, वायु, अन्न इत्यादि की आवश्यकता थी। जैसे-जैसे सभ्यता में वृद्धि होती गई लोगों की आवश्यकताएँ भी बढ़ती गईं। जब आग का आविष्कार हुआ तब मनुष्यों को नाना प्रकार के भोजनों की आवश्यकता हुई। इसी प्रकार एक आवश्यकता के बाद दूसरी आवश्यकता प्रकट होती गई, भोजन की आवश्यकता की तृप्ति के बाद वस्त्रों की आवश्यकता हुई। फिर रहने के लिए

मकान की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। इन सब की वृत्ति के बाद विशेष प्रकार के भोजन, उत्तम वस्त्र, जेवर और विशाल भवन की आवश्यकताएं होती गईं। इसके बाद सवारियों की, शस्त्रों की, संगीत, मित्रता इत्यादि आवश्यकताएं भी प्रकट हुईं। सारांश यह है कि ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई, और पुरानी आवश्यकताओं की वृत्ति होती गई, त्यों त्यों नई आवश्यकताएं उनके स्थान पर आती गईं, यहाँ तक कि अब उनकी संख्या अपरिमित हो गई।

आवश्यकता और उद्योग का गहरा सम्बन्ध है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है वह उनकी वृत्ति के लिए उद्योग करता रहता है। आरम्भ में यही क्रम चलता है लेकिन कभी कभी उद्योग से भी नई आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैं। कई एक मनुष्य किसी खास आवश्यकता की वृत्ति के लिए ही उद्योग और परिश्रम नहीं करते। वे लोग अपनी फुरसत का समय आलस्य में नहीं बिता देते वरन् विज्ञान, साहित्य इत्यादि का मनन करते हैं। इससे ये लोग नयी नयी बातों का आविष्कार करते हैं। इन आविष्कारों की सहायता से नयी नयी वस्तुएँ बनायी जाती हैं और मनुष्यों को इन वस्तुओं की भी आवश्यकता प्रतीत होती है।

आवश्यकताओं के लक्षण

आवश्यकताएँ अपरिमित हैं। इनका कोई अन्त नहीं है। कोई भी कैसा ही धनवान् मनुष्य यह नहीं कह सकता कि उसकी

सब आवश्यकताओं की तृप्ति हो गई है; क्योंकि ज्यों ही एक आवश्यकता की तृप्ति होती है त्यों ही दूसरी, उसके स्थान पर, आ खड़ी होती है। आवश्यकताओं की वृद्धि होने से ही सभ्यता की भी उन्नति होती है।

आवश्यकताएँ अपरिमित तो हैं, लेकिन यदि यथेष्ट साधन हों तो मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता की किसी एक समय में पूर्ति हो सकती है। उदाहरण के लिए एक भूखे आदमी को लीजिए। उसको भोजन की आवश्यकता है, लेकिन उसके भोजन की भी एक सीमा है। पाँच रोटियों से उसका पेट भर जाता है और उसको उस वक्त फिर रोटियों की आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार किसी एक आवश्यकता का यथेष्ट साधन रहने से किसी खास समय में तृप्ति हो सकती है। कहा जाता है कि कई एक इच्छाएँ ऐसी हैं जिनकी पूर्ति नहीं हो सकती; जैसे धन की इच्छा, अधिकार की इच्छा, बड़प्पन की इच्छा इत्यादि। लेकिन ये इच्छाएँ मिश्रित इच्छाएँ हैं। ये एक एक इच्छा नहीं हैं। धन की इच्छा देखने में तो एक ही इच्छा है; लेकिन इसके अन्तर्गत उस धन द्वारा प्राप्त होनेवाली अनेक वस्तुओं की इच्छा छिपी रहती है।

किसी आवश्यकता की तृप्ति के एक से अधिक साधन होते हैं जिनमें आपस में प्रतियोगिता रहती है। जैसे धूम्रपान की आवश्यकता तम्बाकू, सिगरेट, सिगार, वीडो इनमे से किसी से भी तृप्त हो सकती है। इसी से ये चीजें एक दूसरे का स्थान ग्रहण

करने की कोशिश करती है। दुर्भिक्ष के समय गरीब लोग गेहूँ की रोटी के बदले चना, मडुवा इत्यादि की रोटी खाते हैं। इसी प्रकार आजकल रेलगाड़ी और मोटर-कारियों में आपस में प्रति-योगिता बढ़ रही है।

कई एक आवश्यकताएँ ऐसी होती हैं जो आपस में एक दूसरे की पूरक होती हैं। जैसे इक्के के साथ घोड़े की या टैनिंस के बल्लों के साथ गेंदों की आवश्यकता परस्पर पूरक हैं। ये आवश्यकताएँ साथ ही साथ चलती हैं।

जब हम किसी आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं तो फिर वह आवश्यकता स्वाभाविक-सी हो जाती है। जैसे कोई मनुष्य किसी के बहकाने से शराब पीले, तो फिर बाद को उसको शराब का व्यसन होजाता है और वह फिर पूरा पियकड़ बन जाता है। उसको शराब पीने की आदत ऐसी जबरदस्त हो जाती है कि वह आसानी से उस आदत को छोड़ नहीं सकता। इसी प्रकार और आवश्यकताओं का भी अभ्यास पड़ जाता है। इसी अभ्यास पर मनुष्यों का रहन-सहन का दर्जा भी निर्भर रहता है। आवश्यकताओं के घटने-बढ़ने या और प्रकार के परिवर्तन से रहन-सहन के दर्जे में भी घट-बढ़ होता रहता है।

चौथा अध्याय

उपभोग और सन्तोष

सब लोगों को यह मान्य है कि मनुष्य का परम उद्देश्य सब से अधिक सुख और सन्तोष प्राप्त करना है। वह प्राप्त-सुख की वृद्धि के लिए और दुःख को टालने या कम करने के लिए सदैव उद्योग किया करता है।

यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि सुख क्या है और दुःख क्या है। नैय्यायिकों ने सुख-दुःख को अन्तर्वेदना (feeling) बतलाकर कहा है कि “अनुकूल वेदनीयं सुखं” अर्थात् जो वेदना हमारे अनुकूल है वह सुख है और “प्रतिकूल वेदनीयं दुःखम्” अर्थात् जो वेदना हमारे प्रतिकूल है वह दुःख है। मनुष्य की अनेक इच्छाएँ और आवश्यकताएँ होती हैं। जब उसकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो उसको सन्तोष मिलता है और वह सुख की वेदना का अनुभव करता है। इसके विपरीत जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो उसको असन्तोष होता है और उसको दुःख की वेदना होती है। उदाहरण के लिए भोजन करने से मन को जो पूर्ति होती है उसे सुख कहते हैं और भोजन न मिलने से उसको जो कष्ट होता है उसको दुःख कहते हैं।

पिछले अध्याय में यह बातलाया गया है कि मनुष्य की आवश्यकताएँ अपरिमित हैं। जैसे की एक आवश्यकता की पूर्ति हुई शीघ्र ही दूसरी आवश्यकता उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। हमको यह भी मालूम है कि आवश्यकताओं की वृत्ति से ही मनुष्य को सुख और सन्तोष मिलता है। ऐसी दशा में यह बात स्वयं सिद्ध है कि किसी भी मनुष्य को पूर्ण सुख कभी नहीं मिल सकता है। उसकी कुछ न कुछ आवश्यकताएँ ऐसी बनी रहेंगी जिसके तृप्त न होने से उसको असन्तोष और दुःख होगा। इसके अतिरिक्त, पाये हुए सुख से भी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती है। मनुष्य एक ही प्रकार के सुख से सदा तृप्त नहीं रहता। चूंकि उसको प्रति दिन नये नये सुख नहीं मिल सकते हैं, इसलिये उसको सदा असन्तोष ही बना रहता है।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसी दशा में मनुष्य का कर्तव्य क्या है? मनुष्य को पूर्ण सन्तोष मिलना असम्भव है क्या इसलिये सब काम-धन्धों को छोड़ कर जङ्गलों में भटक कर संन्यासी हो जाना चाहिये, या सन्तोष और असन्तोष का विचार छोड़ कर अपने आप इच्छा, तृष्णा और वासना का दास बन कर उनको स्वाधीनता खो देनी चाहिये?

आजकल यह बात मानी जाती है कि आवश्यकताओं की वृद्धि से ही सभ्यता की वृद्धि हुई है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ती गईं और वह उनकी तृप्ति के लिए उद्योग करता गया वैसे वैसे सभ्यता की वृद्धि होती गई। इसी प्रकार उद्योग

करते रहने से नई प्रकार की आवश्यकताएँ उत्पन्न होती हैं और उनको तृप्ति के लिए साधन निकाले जाते हैं। इससे यह बात प्रकट होती है कि आवश्यकताओं को बढ़ाने से ही मनुष्य की उन्नति होती है, और यह बात निर्विवाद है कि उन्नति से मनुष्य । सुख और सन्तोष होता है ।

अगर ध्यानपूर्वक देखा जाय तो मालूम हो जाता है कि आवश्यकताओं को एकदम मर्यादा से बाहर बढ़ा देने से अधिकतम सन्तोष नहीं होता है। यहाँ पर यह कहने का मतलब नहीं है कि सब प्रकार का असतोष निन्द्य है। उस इच्छा के मूलगत असंतोष को निन्दनीय नहीं कहा जा सकता जो आदेश करता है कि मनुष्य को अपनी वर्तमान स्थिति में पड़े पड़े सड़ना नहीं चाहिये परन्तु " शक्ति अधिकाधिक सुधार करके अपने को और समाज को उन्नति की ओर ले जाना चाहिए। यही वह असन्तोष है जिससे सभ्यता की उन्नति होती आई है। लेकिन वह असन्तोष निन्दनीय है जिससे लोग किसी वस्तु को पाने के लिये रात-दिन हाय-हाय करते रहे, और उसके न मिलने पर रोया करे और शिकायत करें।

तृष्णा और असन्तोष की सुव्यवस्थित मर्यादा बांधना एकदम असम्भव नहीं है। हाँ, इसके लिए एक विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है जिसको मनोनिग्रह कहते हैं। जो मनुष्य अधिकतम सन्तोष और सुख पाना चाहता है उसको अपने मन को और इन्द्रियों को वश में करना अत्यन्त आवश्यक है। अगर हम अपने को तृष्णा और वासना में बहारे तो हमारे असन्तोष की कोई

सीमा न होगी। अगर कोई गरीब किसान जिसको सदा पेट की हाय लगी रहती है एक मोटर गाड़ी रखने की प्रबल वृष्णा करता रहे, सदा उसी ध्यान में मग्न रहे तो शायद ही वह सुख और सन्तोष प्राप्त कर सकता है। इसके प्रतिकूल अगर वह अपने मन को वश में करके सोचे कि इस समय ऐसी अवस्था में मोटर-गाड़ी की इच्छा करना उसे उचित नहीं है क्योंकि इस इच्छा की वृप्ति करना उसकी शक्ति के बाहर की बात है, इसलिए उसको उचित है कि उन वस्तुओं को संग्रह करने का और उपभोग करने का प्रयत्न करे जो उसके सामर्थ्य के भीतर है, तो इससे उसको अधिक सुख और सन्तोष प्राप्त होगा।

इससे यह प्रकट हो जाता है कि मनुष्य को अधिकतम सुख और सन्तोष प्राप्त करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वह अपनी आवश्यकताओं को मर्यादित करे। इसके साथ ही साथ उसको अपनी फिजूल और हानिदायक इच्छाओं को दवाना चाहिए। अगर स्वास्थ्य और बुद्धि को हानि पहुँचाने वाली इच्छाओं का दमन न किया गया तो परिणाम में मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता है।

भारतवर्ष में प्राचीन काल में अनेक महात्मा हो गये हैं जिन्होंने मनोनिग्रह तथा इन्द्रिय निग्रह द्वारा अपनी आवश्यकताओं को अपने वश में करके और मर्यादित करके परम सुख, सन्तोष और शान्ति पायी है। प्राचीन काल में ही क्यों इस समय परम पूज्य महात्मा गान्धी इसके जीते जागते उदाहरण हैं।

लेकिन पाश्चात्य सभ्यता के संसर्ग में आने से भारतवर्ष के लोग भी भौतिक सभ्यता पर विश्वास करने लगे हैं। हम लोगों ने अपनी आवश्यकताओं का बहुत ही अधिक विस्तार कर दिया है। यह भी आज-कल भारतवर्ष में अशान्ति और असन्तोष की लहर का एक प्रधान कारण है। देश को शान्त, सन्तुष्ट और समृद्धिशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि यहाँ के निवासी मनोनिग्रह तथा इन्द्रियनिग्रह द्वारा अपने को तृष्णा और वासना की शृङ्खलाओं से मुक्त करके, उनका अपने वश में करके सुखी और सन्तुष्ट बनें। उनको सादगी के तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। सादा जीवन और उच्च विचार का ध्येय ही आर्थिक दृष्टि से भी सर्वोत्तम ।



अध्याय पांचवाँ

उपयोगिता

उपयोगिता की एकाई—इस अध्याय में उपयोगिता सम्बन्धी कुछ शब्दों और नियमों का विवेचन किया जाता है। दूसरे अध्याय में यह बतलाया जा चुका है कि उपयोगिता का उपभोग करनेवाले व्यक्ति से घनिष्ठ सम्बन्ध है। किसी वस्तु की उपयोगिता भिन्न भिन्न मनुष्यों को भिन्न भिन्न होती है। उसी वस्तु की उपयोगिता किसी एक मनुष्य के लिये भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न होती है। इसलिये भिन्न भिन्न मनुष्यों की उपयोगिता की तुलना साधारणतः नहीं की जा सकती; और न किसी एक मनुष्य के लिये भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वस्तुओं की तुलना ही की जा सकती है। हम केवल किसी एक समय में, जब कि किसी एक मनुष्य की परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता, उसकी भिन्न भिन्न वस्तुओं से प्राप्त होनेवाली उपयोगिता का अंदाजा लगाकर तुलना कर सकते हैं। किसी वस्तु के उपभोग करने से सन्तोष प्राप्त होता है। इसी सन्तोष का अंदाजा लगाकर हम वस्तुओं की उपयोगिता का अंदाजा लगाते हैं। इस तुलना के लिये यह मान लिया जाता है कि किसी एक खास वस्तु के उपभोग से जो सन्तोष प्राप्त होता है वह एक के बराबर है और

उसकी उपयोगिता भी एक है। अब अन्य वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त सन्तोष की तुलना इस प्रथम वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतोष से की जाती है और उसीके अनुसार उनकी उपयोगिता बतलाई जाती है। मान लीजिये कि किसी मनुष्य ने एक समय एक केला और एक आम खाया। दोनों के उपभोग से उसे कुछ सन्तोष प्राप्त हुआ, वह केला के उपभोग से प्राप्त सन्तोष से करीब चौगुना था। अब यदि हम मान लें कि एक केला की उपयोगिता उसे एक है तो एक आम की उपयोगिता उसे चार होगी। इसी प्रकार यदि एक रोटी खाने से उसे उस समय जो सन्तोष हुआ उसकी मात्रा एक केला के उपभोग से प्राप्त सन्तोष से दसगुनी है तो एक रोटी की उपयोगिता उसे दस होगी। अब यदि दूसरी रोटी खाने से उसे जो सन्तोष प्राप्त हुआ वह एक केला के उपभोग से प्राप्त सन्तोष से पांचगुना है तो दूसरी रोटी की उपयोगिता उसे पांच होगी। यहां एक केला की उपयोगिता एक मानी गयी है, यही उस समय सब वस्तुओं की उपयोगिता की तुलना करने के लिये उपयोगिता की एकाई है और एक केला के उपभोग से प्राप्त सन्तोष से अन्य वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त सन्तोष की तुलना करके ही अन्य वस्तुओं की उपयोगिता की मात्रा बतलाई गई है। जब कभी किसी एक मनुष्य के लिए वस्तुओं की उपयोगिता की तुलना की जाती है तब उस तुलना के लिये उपयोगिता की कोई एकाई मान ली जाती है और उस समय सब वस्तुओं की उपयोगिता का अनुमान इसी एकाई के अनुसार लगाया जाता है,

परन्तु यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिये कि भिन्न भिन्न तुलनाओं के लिये उपयोगिता की एकाई भिन्न भिन्न रहती है। यदि एक समय वस्तुओं की उपयोगिता की तुलना करने के लिये एक मनुष्य को एक केला के उपभोग से प्राप्त संतोष को एक के बराबर मान लिया गया और उसकी उपयोगिता एक मान ली गई; तो किसी अन्य समय उसी मनुष्य की वस्तुओं की उपयोगिता जानने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि एक केला की उपयोगिता इस समय भी एक मान ली जाय। दोनों समय में एक केला की उपयोगिता बराबर भी न होगी क्योंकि मनुष्य की परिस्थिति के अनुसार केला की उपयोगिता भी भिन्न हो जायगी। प्रत्येक तुलना के लिये उपयोगिता की कोई एकाई मान ली जाती है और उसी के अनुसार उस समय सब वस्तुओं की उपयोगिता के परिमाण का अंदाजा लगाया जाता है।

वस्तुओं की एकाई—वस्तुएं साधारणतः दो प्रकार की होती हैं। कुछ वस्तुएं तो ऐसी होती हैं जिनको विभाजित करने से उनका मूल्य कम नहीं होगा, जैसे यदि हम दस तोले का सोना का एक टुकड़ा ले और उसका एक एक तोले के दस टुकड़े करे तो एक तोले वाले दसो टुकड़ों का मूल्य दस तोले के टुकड़े के बराबर होगा। इस प्रकार की अन्य वस्तुएं हैं गेहूं, चावल, दाल, कपड़ा, चाँदी, लोहा, इत्यादि। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको विभाजित करने से मूल्य में बहुत कमी आ जाती है जैसे यदि हम किसी कुर्सी के चार टुकड़े कर डालें तो चारों टुकड़ों का

मूल्य कुर्सी के मूल्य के बराबर न होगा। इस प्रकार की अन्य वस्तुएँ हैं मकान, पुस्तक, छाता, कमीज़, गाय, बैल, घोड़ा इत्यादि।

जिन वस्तुओं का मूल्य विभाजित करने से कम नहीं होता उनकी एकाई भिन्न भिन्न तुलना के लिये भिन्न भिन्न होती है। जैसे एक सेर गेहूँ, एक मन गेहूँ इत्यादि। गेहूँ को जब बड़े परिमाण में तौलना होता है तो मन का उपयोग किया जाता है। कम परिमाण के लिये सेर ही से काम लिया जाता है। सेर का तौल भी भारत के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न हैं। कहीं एक सेर १०० रुपये के वजन के बराबर है तो कहीं ८० रुपये के बराबर और कहीं २८ रुपये के बराबर। परन्तु किसी एक समय में तुलना के लिये एक ही प्रकार के सेर का उपयोग किया जाता है। अन्य देशों में गेहूँ के तौल के लिये टन, हंडरवेट, पाउड इत्यादि का उपयोग होता है। कपड़े को मापने के लिये गज का उपयोग होता है। सोना तौलने के लिये तोला, माशा और रत्ती का उपयोग होता है।

जिन वस्तुओं को विभाजित करने से मूल्य में कमी होती है उनकी एकाई एक रहती है जैसे एक मकान, एक गाय, एक पुस्तक, एक कुर्सी इत्यादि।

सीमांत उपयोगिता—यदि किसी मनुष्य के पास दस सेर गेहूँ हों तो दसवे सेर की उपयोगिता दस सेर गेहूँ की सीमांत उपयोगिता मानी जायगी। किसी वस्तु के किसी परिमाण की

सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की अन्तिम एकाई की उपयोगिता को कहते हैं। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में बहुत अन्तर है। दस सेर गेहूँ की कुल उपयोगिता दसों सेर गेहूँ की उपयोगिता के योग के बराबर होगी, जबकि उसकी सीमांत उपयोगिता केवल दसवें सेर की उपयोगिता के बराबर होगी। यदि किसी मनुष्य के पास एक ही सेर गेहूँ हो तो उसकी सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता एकसी होगी। परन्तु जैसे जैसे वस्तु का परिमाण बढ़ता जायगा सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में भी अन्तर बढ़ता जायगा।

सीमांत-उपयोगिता-हास नियम—अगर हम किसी वस्तु के परिमाण का एक ही समय में क्रमशः उपभोग करते रहे तो उसकी सीमांत-उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है। यह एक मनुष्य का स्वभाव ही है कि जब उसके पास किसी वस्तु के परिमाण की वृद्धि होती जाती है तो उसकी चाह उस वस्तु के लिए कम होती जाती है। इसी प्रकार एक ही समय एक ही वस्तु के उपभोग करने से उस वस्तु की चाह कम होती जाती है और उस वस्तु के अधिक सेवन करने से उसकी उपयोगिता भी कम होती जाती है। जैसे पहिला अमरुद खाने से किसी मनुष्य को बहुत आनन्द प्राप्त होगा और उसको उस अमरुद में बहुत उपयोगिता दीखेगी। मान लीजिए यह उपयोगिता ३० के बराबर है। दूसरा अमरुद खाने से उसको कुछ कम वृत्ति होगी। इस अमरुद की उपयोगिता शायद

उसको २५ के बराबर होगी। इसी प्रकार तीसरे, चौथे और पांचवें अमरुदों को खाने से उसको क्रमशः कम वृत्ति प्राप्त होती जायेगी। इसलिए इन अमरुदों की उपयोगिता क्रमशः घटती जायेगी। मान लीजिए तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे अमरुद की उपयोगिता उसके लिए २०, १५, १० और ५० के बराबर है। इन ६ अमरुदों से उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कि वह मित्रों के दवाव से एक और सातवां अमरुद भी खा लेवे, तो उसको उससे कुछ भी उपयोगिता प्राप्त न होगी क्योंकि उसकी वृत्ति अमरुदों से हो चुकी थी। इसलिये इस सातवें अमरुद की उपयोगिता उसके लिए शून्य हुई। लेकिन अगर वह जबरदस्ती एक और आठवां अमरुद भी ठूंम लेवे तो शायद उसके पेट में कुछ गड़-बड़ होकर उसको उपयोगिता के बदले कुछ अनुपयोगिता मिलने की सम्भावना हो। मान लीजिये कि आठवें अमरुद की उसके लिये अनुपयोगिता ५ अर्थात्—५ उपयोगिता है।

यहां पर यह बात ध्यान में रखने के योग्य है कि किसी वस्तु के अधिक परिमाण में सेवन करने से कुल उपयोगिता नहीं घटती परन्तु सीमान्त उपयोगिता ही घटती है। कुछ उपयोगिता तो बढ़ती जाती है जब तक कि पूर्ण वृत्ति प्राप्त न हो जाय लेकिन इसके बढ़ने का अनुपात कम होता जाता है। इस अमरुदवाले उदाहरण में एक अमरुद खाने से उपभोक्ता को ३० उपयोगिता मिली और दो अमरुद खाने से $30 + 25 = 55$

उपयोगिता मिली जो कि दो अमरुदों की कुल उपयोगिता हुई । लेकिन पहिले अमरुद से उपभोक्ता का ३० सीमांत उपयोगिता थी लेकिन दो अमरुद खाने से सीमांत उपयोगिता २५ हो गई ।

निम्नलिखित कोष्ठक में ऊपर लिखे अनुसार अमरुदों की उपयोगिता दी जाती है:—


अमरुद	उपयोगिता	सीमान्त उपयोगिता	कुल उपयोगिता
पहिला	३०	३०	३०
दूसरा	२५	२५	५५
तीसरा	२०	२०	७५
चौथा	१५	१५	९०
पांचवां	१०	१०	१००
छठा	५	५	१०५
सातवां	०	०	१०५
आठवां	-५	-५	९५

इस कोष्ठक से यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि ज्यों ज्यों अधिक अमरुद खाये जायेंगे उनकी सीमांत उपयोगिता कम होती जावेगी, लेकिन कुल उपयोगिता तब तक बढ़ती जावेगी जब तक किसी वस्तु को उपयोग से अधिकतम वृत्ति प्राप्त न हो जाये । इसके बाद अनुपयोगिता होने से कुल उपयोगिता भी घट जावेगी । लेकिन ऐसी अवस्था बहुत ही कम पाई जाती है जब कि मनुष्य किसी वस्तु का उतना परिमाण में सेवन करे कि उसको अनुपयोगिता मिलने लगे क्योंकि जैसा आगे बतलाया जावेगा हर एक मनुष्य अपने द्रव्य को किसी एक वस्तु पर उतना ही खर्च करेगा जितना उसको कम से कम

उस द्रव्य की उपयोगिता के बराबर उपयोगिता मिले। हाँ, अगर कोई वस्तु बिना मूल्य मिल जावे और मनुष्य को अपने स्वास्थ्य का कुछ भी ख्याल न हो तो वह अधिकतम तृप्ति मिलने पर भी खाता जावे।

पिछले पृष्ठ पर दिये हुए अंकों का रेखा चित्र नीचे दिया गया है। इससे सीमांत-उपयोगिता ह्रास नियम और स्पष्ट हो जाता है।

सीमांत उपयोगिता




इस रेखा चित्र में लम्बों की उंचाई अमरूदों की सीमांत उपयोगिता बतलाती है। इस चित्र से यह स्पष्ट मालूम होता है कि ज्यों ज्यों अधिक अमरूद खाये गये प्रत्येक की सीमांत उपयोगिता घटती गई और लम्बों की उंचाई भी कम होती गई यहां तक कि सातवें अमरूद की उपयोगिता बतलानेवाले लम्ब की उंचाई कुछ नहीं है और आठवें का लम्ब नीचे चला गया है जिससे यह मालूम होता है कि आठवें अमरूद से अनुपयोगिता प्राप्त हुई। इस चित्र में इन लम्बों का क्षेत्रफल कुल उपयोगिता बतलाता है। यदि हमे चार अमरूदों की कुल उपयोगिता मालूम करना हो तो पहिले, दूसरे, तीसरे और चौथे लम्बों के क्षेत्रफलों को जोड़ देने से वह आसानी से मालूम हो जायगी।

सीमांत-उपयोगिता-हास नियम को अधिक स्पष्ट करने के लिए हम एक ऐसे वस्तु का एक और उदाहरण लेते हैं जो कि छोटे से छोटे परिमाण में ली जा सकती है। नीचे के कोष्ठक और रेखाचित्र में एक परिवार के एक महीने के लिये १० सेर चीनी की सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता दिखलाई गई है।

सेर	सीमान्त उपयोगिता	कुल उपयोगिता
पहिला	५५	५५
दूसरा	५०	१०५
तीसरा	४५	१०५
चौथा	४०	१९०
पांचवां	३५	२२५
छठा	३०	२५५
सातवां	२५	२८०
आठवां	२०	३००
नवां	१५	३१५
दसवां	१०	३२५

बीमात उपयोगिता




खीनी का परिमाण (सेर)

जैसे पहिले रेखाचित्र मे प्रत्येक अमरूद की उपयोगिता दिखलाई गई थी उसी प्रकार इस रेखाचित्र में भी प्रत्येक सेर खीनी की उपयोगिता दिखलाई गई है। लेकिन पहिले रेखाचित्र मे उपयोगिता लम्ब के रूप में दिखलाई गई है और इस लेखाचित्र मे उपयोगिता वक्र रेखा द्वारा दिखलाई गई है। यह वक्र रेखा

नीचे को गिरती जा रही है जिससे यह सूचित होता है कि प्रत्येक सेर चीनी की उपयोगिता घटती जा रही है।

कुल उपयोगिता



पिछले पृष्ठ पर दिये हुए रेखाचित्र में १० सेर चीनी का कुल-उपयोगिता दिखलाई गई है ।

इस रेखा चित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तु के अधिक परिमाण में सेवन करने से कुल-उपयोगिता बढ़ती है क्योंकि वक्र रेखा जो कि कुल-उपयोगिता दर्शा रही है ऊँची होती जा रही है ।

इस उपयोगिता-हास नियम में यह बात मान ली गई है कि वस्तु का उपभोग किसी खास स्वभाव के मनुष्य द्वारा किसी खास समय में और खास परिस्थिति में हुआ है । अगर कोई मनुष्य एक अमरुद सुबह, एक दोपहर को और एक शाम को खाये तो सम्भव है कि प्रत्येक अमरुद की उपयोगिता उसको बराबर मालूम हो । लेकिन पहिले, दूसरे और तीसरे अमरुद खाने में बहुत समय का अन्तर हो गया है इसलिये यह नियम यहां लागू नहीं होता है । इसी प्रकार परिस्थिति और स्वभाव का भी इस नियम में प्रभाव पड़ता है । यह कहा जाता है कि शराब ज्यो ज्यो ज्यादा पी जाती है त्यों त्यों उसको अधिक पीने की इच्छा होती है । इसलिये पहिले प्याले से दूसरे प्याले की उपयोगिता अधिक मालूम होती है इत्यादि । लेकिन यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि शराब पीने के बाद उस मनुष्य के होश हवास दुरुस्त नहीं रहते हैं इसलिये उसकी स्थिति पहिले की सी नहीं रहती है । इसीलिये इस असाधारण दशा में उसको अधिक शराब पीने से अधिक उपयोगिता मालूम होती है ।

इस नियम के सम्बन्ध में एक आक्षेप यह भी है कि अगर कोई वस्तु का बहुत सूक्ष्म परिमाण में उपभोग किया जाय तो पहिले उसकी सीमान्त उपयोगिता में हास के बदले वृद्धि होती है। अगर हम अमरूद की बहुत ही छोटी छोटी फाँके करके खाँय तो शायद चार पाँच फाँक तक सीमांत-उपयोगिता की वृद्धि हो और दस बारह फाँक तक सीमांत उपयोगिता बराबर रहे, लेकिन किसी एक सीमा के बाद फिर उपयोगिता-हास नियम लागू हो जावेगा।

कुछ बाहरी दिखावट और फैशन की चीजे ऐसी होती हैं जिनके परिमाण में वृद्धि होने पर भी उनकी उपयोगिता में वृद्धि होती है। अगर दो धनी लोगो के पास एक एक मोटर कार हो और उनमें से एक मनुष्य एक और मोटर कार खरीद ले तो उसको दूसरी मोटर कार से अधिक सन्तोष मालूम पड़ता है और दूसरी मोटर की उपयोगिता पहिली से अधिक मालूम पड़ती है क्योंकि दो मोटर होने से वह अपने को पड़ोसी से श्रेष्ठ समझने लगता है।

इसी प्रकार कुछ ऐसी दुष्प्राप्य और अप्राप्य वस्तुएँ हैं जिनकी वृद्धि से उपयोगिता में बहुत वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिये मान लीजिए कि किसी मनुष्य के पास एक बड़ा बहुमूल्य हीरा है। अगर उसको मालूम हो जाय कि ऐसा ही हीरा एक और किसी के पास है तो उसको खरीदने के लिए वह पहिले हीरे की अपेक्षा बहुत अधिक मूल्य देने को तैयार हो

जायगा क्योंकि अगर एक के बजाय उसके पास दो इतने बड़े हीरे हो जायं तो वह पहिले की अपेक्षा बहुत बड़ा आदमी समझा जावेगा। इसलिए दूसरे हीरे से उसको पहिले हीरे की अपेक्षा अधिक उपयोगिता मिलेगी।

द्रव्य की सीमान्त-उपयोगिता—द्रव्य के विषय में भी सीमान्त-उपयोगिता हास नियम लागू होता है। ज्यों ज्यों कोई मनुष्य धनवान् होता जाता है त्यों त्यों उसके द्रव्य की उपयोगिता कम होती जाती है। उदाहरण के लिए एक ऐसे मनुष्य को लीजिए जिसकी आमदनी ५०) ६० माहवार से १००) ६० माहवार हो गई है। जब तक उसकी आमदनी ५०) ६० माहवार थी तब तक वह तीन सेर घी माहवार खरीदता था, लेकिन जब उसकी आमदनी १००) ६० महीना हो गई तो वह उसी भाव पर महीने में ५ सेर खरीदने लगा। इससे प्रकट हो जाता है कि आमदनी बढ़ जाने से रुपये की सीमान्त उपयोगिता में कमी होगी। इसके विपरीत जब आमदनी कम होती जाती है तो द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता बढ़ती जाती है। जब माह के आरम्भ में विद्यार्थियों के पास रुपये आते हैं तो पहिले वे दिल खोल कर खर्च करते हैं, लेकिन जब माह के अन्त में रुपया ख़तम होने को आता है तो फिर वे सन्धल कर खर्च करते हैं। इसका कारण यही है कि माह के आरम्भ में अधिक रुपया होने से रुपये की सीमान्त-उपयोगिता कम होती है, और जैसे २ रुपया कम होता जाता है वही रुपयों की सीमान्त उपयोगिता बढ़ती जाती है।


यहाँ तक कि अन्तिम रूपये की उपयोगिता बहुत हो जाती ।

गरीब आदमी को द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता धनवान् आदमी से अधिक होती है। अगर एक आदमी की आमदनी २०) रु० महीना हो और दूसरे की (१०००) रु० हो तो गरीब आदमी के बीसवें रूपये की उपयोगिता अमीर आदमी के हजारहवें रूपये से अधिक होगी। इसलिये गरीब आदमी को बीसवां रूपया खर्च करने के लिए अधिक उपयोगिता की आवश्यकता होगी वनिस्वत अमीर आदमी को हजारहवां रूपया खर्च करने के।

आय की उपयोगिता बहुत धीरे धीरे घटती है। इसका कारण यह है कि द्रव्य एक ऐसी वस्तु है जिससे अनेक प्रकार की वस्तुएँ प्राप्त हो सकती हैं। इसलिये ज्यों ज्यों आय में वृद्धि हो और उससे उपभोग की नयी वस्तुएँ खरीदी जायं तो इस आय की वृद्धि से सीमान्त उपयोगिता में बहुत कम हास होगा। द्रव्य को एक वस्तु मानने के बजाय उसको कई वस्तुओं का समुच्चय समझना चाहिये। अगले पृष्ठ पर दिये हुए कोष्ठक और रेखाचित्र में यह दिखलाया गया है कि द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता बहुत धीरे धीरे किस प्रकार कम होती है।

मासिक आय	सीमान्त उपयोगिता
४०) रुपया	१००
४५) "	९८
५०) "	९६
५५) "	९४
६०) "	९२
६५) "	९०
७०) "	८८
८०) "	८४

सीमान्त उपयोगिता



इस रेखा चित्र में वक्र रेखा बहुत ही धीरे धीरे नीची होती चली जा रही है। इससे यह मालूम होता है की जैसे जैसे उस मनुष्य

की मासिक आय बढ़ती गई जैसे जैसे उस आय की सीमान्त उपयोगिता धीरे धीरे घटती गई ।

सम-सीमांत उपयोगिता नियम—प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वह अपने द्रव्य को इस प्रकार खर्च करे कि जिससे उसको अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो । यही कारण है कि लोगों को प्रायः यह समस्या हल करनी पड़ती है कि कौनसी वस्तु किस समय और कितनी खरीदनी चाहिए । लोग अपने मन में एक वस्तु की उपयोगिता की तुलना दूसरे वस्तु की उपयोगिता से करते हैं, और उस वस्तु को खरीदते हैं जिसकी उपयोगिता उनको सब से अधिक मालूम हो । अब चूँकि मनुष्य को विविध वस्तु की विविध संख्या में आवश्यकता होती है, और सीमांत-उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु को अधिक परिमाण में खरीदने से क्रमशः सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है, इसलिए साधारण मनुष्य को यह निश्चय करने में कठिनता प्राप्त होती है कि वह कौन कौन सी वस्तु कितनी कितनी खरीदे कि जिससे उसको अपने द्रव्य से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो । इसी बात का विवेचन अर्थशास्त्र में सम-सीमांत-उपयोगिता नियम में किया जाता है । इस नियम का यह मतलब है कि अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आय को विविध वस्तुओं में इस प्रकार विभाजित करे कि उसको प्रत्येक वस्तु पर खर्च किये अन्तिम रुपये से करीब करीब बराबर उपयोगिता प्राप्त हो । हमको अपने द्रव्य से अधिकतम

उपयोगित तभी प्राप्त हो सकती है जब कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किये गये अन्तिम सिक्के से समान सीमान्त उपयोगिता मिले। यह नियम आसानी से सिद्ध किया जा सकता है।

निम्नलिखित कोष्ठक में यह बतलाया गया है कि यदि कोई मनुष्य गेहूँ, चावल, कपड़ा और चीनी पर अपनी आय खर्च करे तो क्रमशः प्रत्येक रूपये से उसको कितनी उपयोगिता प्राप्त होगी।

रुपया	प्राप्त उपयोगिता			
	गेहूँ से	चावल से	कपड़े से	चीनी से
पहला	१००	८०	९०	६०
दूसरा	८०	६०	७०	४०
तीसरा	६०	४०	५०	३०
चौथा	५०	३०	३०	२०
पांचवाँ	४०	२०	१७	१५
छठा	३०	१५	१०	१०
सातवाँ	२०	१०	६	५
आठवाँ	१५	५	३	२
नवाँ	१०	३	२	१
दसवाँ	५	२	१	०

इस कोष्ठक से यह पता लगता है कि वह मनुष्य पहिला रुपया गेहूँ पर खर्च करके १०० उपयोगिता प्राप्त करता है, दूसरा रुपया खर्च करने से उसे जो गेहूँ मिलता है उसकी उपयोगिता ८० है। यदि वह अपना रुपया चावल पर खर्च करता है तो उसे ८० उपयोगिता मिलती है और दूसरा रुपया चावल


पर खर्च करने से उसे ६० उपयोगिता प्राप्त होती है। मान लीजिये कि इस मनुष्य के पास ८ रुपये हैं और वह उन्हें उपर्युक्त चार वस्तुओं पर खर्च करना चाहता है। वह इन चार वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करेगा जिससे उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो, इसलिये वह पहिला रुपया गेहूँ पर खर्च करेगा, दूसरा रुपया वह कपड़े पर खर्च करेगा, परन्तु वह कपड़े पर खर्च किये जाने वाला प्रथम रुपया होगा और उमने उसे ९० उपयोगिता मिलेगी। तीसरा और चौथा रुपया वह गेहूँ और चावल पर खर्च करेगा, दोनों से उसे बराबर उपयोगिता प्राप्त होगी वह पांचवा रुपया कपड़े पर खर्च करके ७० उपयोगिता प्राप्त करेगा। छठवां, सातवां और आठवां रुपया वह गेहूँ चावल और चीनी पर बराबर खर्च करके बराबर उपयोगिता प्राप्त करेगा। इस प्रकार रुपया खर्च करने पर उसे सब से अधिक उपयोगिता मिलेगी।

इस प्रकार अपने रुपये चारों वस्तुओं पर विभाजित करने से उसने प्रत्येक वस्तु पर खर्च किये हुए अंतिम रुपये से प्राप्त उपयोगिता करीब बराबर कर ली। उसने गेहूँ पर ३ रुपया, चावल पर २ रुपया, कपड़े पर २ रुपया और चीनी पर १ रुपया खर्च किया। गेहूँ पर तीसरे रुपये खर्च करने से जो उपयोगिता प्राप्त हुई वह ६० है। इसी प्रकार चावल, कपड़ा और चीनी पर

अन्तिम रूपया खर्च करने से प्राप्त उपयोगिता क्रमशः ६०, ७० और ६० है। इससे यह सिद्ध होता है कि उसने अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिये सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का पालन किया। वस्तुओं के खरीदने के लिये प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य इसी नियम का पालन करता है।

हम यह पहिले बतला आए हैं कि रुपये की भी सीमान्त उपयोगिता होती है और वह बहुत धीरे धीरे घटती है। मान लीजिये कि उपर्युक्त उदाहरण में उस मनुष्य को रुपये की सीमांत उपयोगिता ३० है तो वह मनुष्य गेहूँ पर ६ रुपये खर्च करने को तैयार हो जायगा; यदि वह सातवां रूपया खर्च करेगा तो उसके बदले में जो गेहूँ मिलेगा उसकी उपयोगिता केवल २० ही रहेगी। रुपये की उपयोगिता उसे ३० है इसलिये वह सातवां रूपया गेहूँ पर खर्च करने को राजी नहीं होगा। इसी प्रकार वह चावल पर चार रुपये, कपड़े पर चार रुपये और चीनी पर तीन रुपये खर्च करने को राजी होगा। इस तरह वह प्रत्येक वस्तु पर खर्च किये हुए अन्तिम रुपये से प्राप्त उपयोगिता को अपने रुपये की उपयोगिता के बराबर बनाकर समसीमान्त उपयोगिता नियम का पालन करेगा। पृष्ठ ३८ पर दिये हुये कोष्टक के उपयोगिता सम्बन्धी अंको को अगले पृष्ठ पर दिये हुए रेखा चित्र में गेहूँ, चावल, कपड़ा, चीनी और द्रव्य की वक्ररेखाओं द्वारा दिखलाया गया है।

पिमात उपयोगिता



इस रेखाचित्र से यह स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि वह मनुष्य प्रत्येक वस्तु पर कितने रुपये खर्च करेगा। जिस

बिंदु पर द्रव्य की रेखा किसी वस्तु की रेखा पर मिलती है उसी बिंदु से उस पर खर्च किये गए रूपये का परिमाण मालूम हो जाता है। इस रेखाचित्र से भी यही पता लगता है कि वह मनुष्य चीनी पर तीन रूपये, चावल पर चार रूपये, कपड़े पर चार रूपये और गेहूँ पर ६ रूपये खर्च करेगा। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के उपयोगिता-सम्बन्धी अङ्क प्राप्त करके या रेखाएं खींचकर यह बतलाया जा सकता है कि कोई भी मनुष्य अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिये प्रत्येक वस्तु पर कितना रूपया किसी समय खर्च करेगा।


इस नियम से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि जब कोई मनुष्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिये बाजार जाता है तो वह उन वस्तुओं के उपयोगिता की तालिका अपने साथ बनाकर ले जाता है या वह बाजार में जाकर इसी प्रकार की कोई तालिका बनाता है। परन्तु फिर भी हम देखते हैं कि वह इस नियम का उपयोग अवश्य करता है। खरीदते समय वह अपने मन में प्रत्येक वस्तु पर अन्तिम रूपया खर्च करके प्राप्त होने वाली उपयोगिता की तुलना करता है और जब कभी दो वस्तुओं की इस प्रकार की उपयोगिता बिल्कुल बराबर हो जाती है तब वह असमंजस में पड़ जाता है और यह निश्चय नहीं कर पाता कि किसको खरीदा जाय और किम्को न खरीदा जाय। यदि उसके पास उस समय दोनों को खरीदने के लिये काफी द्रव्य

न हो तो ऐसी दशा में समसीमान्त-उपयोगिता नियम का पालन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

इस नियम के सम्बन्ध में हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि प्रत्येक मनुष्य भविष्य के लिये कुछ न कुछ इन्तज़ाम करना चाहता है। इसके लिये उसको अपनी वर्तमान आवश्यकताओं में काट छाँट करके भविष्य के लिए द्रव्य का संरक्षण करना पड़ता है। उसको इस समय के आवश्यकीय पदार्थों की उपयोगिता की भविष्य में खरीदे जानेवाले पदार्थों की उपयोगिता से तुलना करनी पड़ती है जिससे वह भविष्य के लिये द्रव्य बचा कर रखे। लेकिन भविष्य के अनिश्चित होने के कारण मनुष्य को भविष्य में खरीदी जानेवाली वस्तुओं की उपयोगिता का अन्दाज़ लगाना बहुत मुश्किल होता है।

इस नियम में समय का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। जिन वस्तुओं को खरीदने के लिए हम एक वस्तु की उपयोगिता को अन्य वस्तुओं की उपयोगिताओं से तुलना करते हैं, यह तुलनात्मक काम एक ही समय में होना चाहिये। समय के बदल जाने से वस्तुओं की उपयोगिताओं में भी भिन्नता आ सकती है। आज हमको पहिले रुपये से गेहूँ खरीदने में सौ और कपड़ा खरीदने में ९० उपयोगिता मिलने से हम पहिले रुपये से गेहूँ खरीद ले। लेकिन अगर हम वह रुपया आज खर्च न करके कल के ऊपर उठा रखे तो सम्भव है कि दूसरे दिन हमको प्रथम रुपया खर्च करने से गेहूँ से केवल ९० उपयोगिता ही प्राप्त हो और हम

उस रुपये से कपड़ा ही खरीदें। इसलिये यह ध्यान में रखना चाहिये कि जब हम समसोमान्त-उपयोगिता नियम के अनुसार खर्च करने के लिये वस्तुओं की उपयोगिताओं की तुलना करते हैं तो वह तुलना एक समय विशेष के लिए ही लागू हो सकती है। दूसरे समय के लिये हमको नये सिरे से तुलना करनी पड़ती है।



सूचना—राजस्व शास्त्र में सम-सीमांत उपयोगिता नियम का बहुत अधिक महत्व है। प्रत्येक सरकार को भिन्न भिन्न मर्दों पर अपना खर्च इसी नियम के अनुसार करना आवश्यक होता है। इस पुस्तक के विषय से सरकारी खर्च का विशेष संबंध न होने के कारण उसका विवेचन यहाँ नहीं किया गया।

छठा अध्याय

मांग

इच्छा, आवश्यकता, और मांग इन तीन शब्दों का प्रयोग अर्थशास्त्र में भिन्न भिन्न अर्थ में होता है, यद्यपि साधारण व्यवहार में इन विशेषताओं पर कुछ अधिक ध्यान नहीं दिया जाता।

इच्छा शब्द का विस्तार बहुत बड़ा है। आवश्यकता और मांग इसके अन्तर्गत हैं। एक बच्चा बाजार में बहुत सी चीजें देखता है और उनके लिए उसका जी ललचाता है। हम कहते हैं कि बच्चे को उन वस्तुओं को लेने की इच्छा है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि बच्चे को उन वस्तुओं की आवश्यकता है अथवा मांग है। आवश्यकता वह इच्छा है जिससे इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिये मनुष्य प्रयत्न करने के लिये प्रेरित होता है, और उस वस्तु को प्राप्त करके उसकी तृप्ति होती है। जिस इच्छा को पूर्ण करने के लिये मनुष्य उद्योग करने को बाधित नहीं होता है वह केवल कोरी इच्छा पानी के बुलबुलों की तरह पैदा होती और नाश होती रहती है।

किसी वस्तु की मांग से इच्छित वस्तु के उस परिमाण का बोध होता है, जिसको कोई मनुष्य, किसी खास समय में, किसी निश्चय कीमत पर खरीदने को तैयार हो। उदाहरण के लिये मान लीजिये कि उपरोक्त बच्चे को उसके पिता ने एक आना दिया। उसने बाजार जाकर नारंगियां देखीं। उसकी नारंगी खरीदने की इच्छा हुई। पूछने पर उसे मालूम हुआ कि एक नारंगी की कीमत दो पैसा है। उस लड़के ने दो नारंगियां खरीद ली। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि लड़के को नारंगी की मांग थी और हम उस मांग को इस प्रकार कहते हैं कि जब फी नारंगी की कीमत दो पैसा है तो उस लड़के को उस समय, उस कीमत पर दो नारंगियों की मांग है। मांग और कीमत का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। बिना कीमत के मांग हो ही नहीं सकती। अर्थशास्त्र के अनुसार हम नहीं कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को ५०० नारंगियों की मांग है जब तक हम नारंगी की कीमत उसके साथ न जोड़ें। हम कह सकते हैं अगर नारंगियों की दर दो रुपया सैकड़ा हो तो किसी मनुष्य की मांग उस समय पांच सौ है।

मांग का नियम—जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है बशर्ते कि अन्य सब बातें पूर्ववत् रहें। मांग का घटना बढ़ना साधारणतः कीमत के क्रमशः बढ़ने घटने पर निर्भर रहता है। जब दो पैसे में एक

नारंगी मिले तो हम शायद दो नारंगी खरीदें, लेकिन एक पैसे की एक नारंगी मिलने पर हम चार खरीद लेंगे।

मांग का नियम सीमान्त-उपयोगिता-ह्रास नियम और सम-सीमान्त उपयोगिता नियम से निकला है। जब हम किसी वस्तु को अधिक अधिक परिमाण में खरीदते हैं तो क्रमशः उस वस्तु की उपयोगिता कम होती जाती है। पहिली नारंगी से दूसरी नारंगी की उपयोगिता कम होगी, तीसरी की दूसरी से कम होगी और इस प्रकार दसवीं की बहुत ही कम होगी। इसलिये हम शायद पहिली नारंगी के लिये एक आना देने को तय्यार हो जावे लेकिन दसवीं के लिए एक आना कभी नहीं देंगे। शायद जब दुकानदार एक पैसे में एक नारंगी दे तो हम दस खरीद लें। जब वह दो पैसे को एक देगा तो हम शायद पाँच ही खरीदें। अब हम कह सकते हैं कि जब नारङ्गियों की कीमत एक आना फी नारङ्गी हो तो हमारी मांग एक नारङ्गी है, जब उसकी कीमत दो पैसा फी नारङ्गी हो तो हमारी मांग पाँच है और जब एक पैसा फी नारङ्गी हो तो हमारी मांग दस नारङ्गियाँ हैं। यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जैसे जैसे नारंगियों की कीमत घटती गई वैसे वैसे मांग बढ़ती गई।

अब हमें यह देखना है कि मांग के नियम का सम-सीमान्त उपयोगिता नियम से क्या सम्बन्ध है। पिछले अध्याय में बतलाया जा चुका है कि अधिकतम वृत्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य इस प्रकार खर्च करता है जिससे कि प्रत्येक खरीदे

गये पदार्थ पर खर्च किये द्रव्य की अतिम एकाई से प्राप्त उपयोगिता बराबर हो। जब हम दो वस्तुओं का परस्पर विनिमय करते हैं तो अदलाबदल बन्द हो जाता है जब बदले में मिलने वाली वस्तु की सीमांत उपयोगिता बदले में दिये जाने वाली वस्तु की सीमांत उपयोगिता से कम होने लगती है। यह आवश्यक है कि दोनों की उपयोगिता करीब करीब बराबर हो। अगर हम एक फाउन्टेन-पेन के बदले एक किताब लें तो हमारे लिये किताब की उपयोगिता फाउन्टेन-पेन से अधिक, या कम से कम बराबर अवश्य होगी। इसी प्रकार जब हम एक आने में एक नारङ्गी खरीदते हैं तो उस नारङ्गी की उपयोगिता हमारे लिये कम से कम एक आने की उपयोगिता के बराबर अवश्य होनी चाहिये। अगर एक आने की उपयोगिता एक नारंगी की उपयोगिता से अधिक है तो कोई भी विचारवान मनुष्य इस दाम पर नारंगी न खरीदेगा। अगर एक नारंगी की उपयोगिता एक आने की उपयोगिता से अधिक हो तो मनुष्य तब तक नारंगियां खरीदेगा—अगर उसके पास खरीदने को द्रव्य हो—जब तक नारंगियों की उपयोगिता (उपयोगिता-हास नियम के अनुसार) घटते घटते एक आने की उपयोगिता के बराबर न हो जावे अर्थात् वह मनुष्य इतनी नारंगियां खरीदेगा जब तक नारंगियों की सीमांत-उपयोगिता और एक आने की उपयोगिता सम न हो जाय। यह बात पृष्ठ ४९ पर दी हुई तालिका से स्पष्ट हो जावेगी।

नारङ्गियां	नारङ्गियों पर खर्च किये गये प्रत्येक आने से प्राप्त उपयोगिता जब कि कीमत		
	एक आना फी नारङ्गी है	दो पैसा फी नारङ्गी है	एक पैसा फी नारङ्गी है
पहिली	१०० } दूसरी	१९० } तीसरी	३४०
तीसरी	८० } चौथी		
पांचवी	७० } छठी	१५० } सातवी	
छठी	५५ } आठवीं		९५ } १४५
सातवी	४० } नवीं	५० } २७	
आठवीं	३० } दसवीं		२७ } ४५
नवीं	१५ } ग्यारहवीं	१८ } १८	
दसवीं	१२ } बारहवीं		
ग्यारहवीं	१० } बारहवीं		
बारहवीं	८ }		

इस कोष्ठक का मतलब इस प्रकार है। किसी आदमी को पहिली नारंगी की उपयोगिता १००, दूसरी की ९०, और तीसरी की ८० इत्यादि है। वह सीमान्त-उपयोगिता हास नियम के अनुसार घटती जातो है। जब एक नारंगी की कीमत एक आना है तो नारंगी पर खर्च किये गये पहिले आने से प्राप्त उपयोगिता १००, दूसरे से ९०, तीसरे से ८० इत्यादि होती है। अब यदि नारंगी का भाव गिर कर दो पैसा फी नारंगी हो जाय तो एक

आने को दो नारंगियां मिलेंगी । इसलिए इस भाव पर नारंगियों पर खर्च किये गये पहिले आने से प्राप्त उपयोगिता $१०० + ९० = १९०$, दूसरे आने से प्राप्त उपयोगिता $८० + ७० = १५०$ इत्यादि होगी । इसी प्रकार जब नारङ्गियों का भाव एक पैसा फी नारङ्गी हो तो एक आने की चार नारङ्गियाँ आवेगी और नारङ्गियों पर खर्च किये गये पहिले आने से प्राप्त उपयोगिता $१०० + ९० + ८० + ७० = ३४०$ होगी ।

हम पहिले कह आये हैं कि द्रव्य की भी सीमांत उपयोगिता होती है । मान लीजिये कि उपरोक्त मनुष्य के अंतिम आने की उपयोगिता १०० है । जब नारङ्गियाँ एक आने को एक बिक्रेगी तो वह केवल एक नारङ्गी मोल लेगा । दूसरी नारङ्गी लेने से उसको (दूसरी नारङ्गी से केवल ९० उपयोगिता मिलेगी और एक आने की १०० उपयोगिता देनी पड़ेगी । इससे उस आदमी को नुकसान होगा और वह दूसरी नारङ्गी इस भाव पर नहीं खरीदेगा । अब जब नारङ्गियों की कीमत दो पैसा फी नारङ्गी होगी तो वह दो आने की चार नारंगियाँ खरीदेगा । इसी प्रकार नारङ्गियों की कीमत एक पैसा हो जाने से वह आठ नारङ्गियाँ खरीदेगा । इससे यह प्रकट होगया कि जैसे जैसे नारङ्गियों की कीमत घटती गई वैसे वैसे उनकी मांग बढ़ती गई । इसी कोष्टक से यह भी सिद्ध हो सकता है कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है । जब नारङ्गियों की कीमत एक पैसा फी नारङ्गी

थी तो मांग ८ थी, जब कीमत बढ़ कर दो पैसा हो गई तो माँग घट कर ४ हो गई, और जब कीमत एक आना-हुई तो माँग केवल एक रह गई ।

मांग के नियम के ये शब्द “बशर्ते कि अन्य सब बातें पूर्ववत् रहे” बड़े महत्व के हैं । यह नियम किसी निश्चित समय और परिस्थिति पर निर्भर है । जैसे गर्मी के दिनों में नारङ्गी की उपयोगिता जाड़ों की अपेक्षा अधिक होती है । इसलिये यह मुम्किन है कि गरमियों में एक आने फी नारङ्गी के भाव पर हम दो या तीन नारंगियाँ खरीद ले और जाड़ों में इस भाव पर एक भी न खरीदे । जब किसी मनुष्य की आमदनी अचानक बढ़ जाती है तो द्रव्य की सीमांत उपयोगिता उसके लिये कम हो जाती है । यदि उपर्युक्त मनुष्य की द्रव्य की सीमांत उपयोगिता १०० से घट कर ४५ हो जाय तो वह ऊपर दिये गए कोष्ठक के अनुसार एक आने फी नारङ्गी की कीमत पर ५ नारङ्गियें, दो पैसे कीमत पर ८ नारङ्गिये और एक पैसा कीमत पर १२ नारङ्गिये खरीदेगा ।

मांग की सारिणी और मांग की रेखा


अगर हम किसी कोष्ठक में भिन्न भिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की भिन्न भिन्न मांग का परिमाण दर्शाये तो हम उसे उस वस्तु की मांग की सारिणी कहते हैं । हम यह जानते हैं कि वस्तु की कीमत

के घटने बढ़ने पर उसकी मांग भी क्रमशः बढ़ती और घटती है। जब हम इस बात को किसी तालिका द्वारा प्रकट करते हैं तो उसको उस वस्तु की मांग की सारिणी कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य की प्रत्येक वस्तु के लिये प्रत्येक काम के लिए भिन्न भिन्न मांग की सारिणी होती है। नीचे एक मनुष्य की घी की मासिक मांग की सारिणी का नमूना दिया जाता है।

क्रीमत	घी की मासिक मांग
५) प्रति सेर	२ सेर
३) "	४ "
२) "	६ "
१) "	१० "
॥) "	१२ "
॥) "	१४ "

इस मांग की सारिणी को जब रेखाचित्र द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसको "मांग का रेखा चित्र" कहते हैं। उपरोक्त मांग की सारिणी का रेखा-चित्र अगले पृष्ठ पर दिया जाता है।

कीमत प्रति सेर



इस रेखाचित्र में अ व रेखा को मांग की रेखा कहते हैं। इस रेखाचित्र से मालूम होता है कि जब घी की कीमत २) प्रति सेर थी तो उसकी मांग ६ सेर थी। जब घी की कीमत १) प्रति सेर हो गई तो उसकी मांग १० सेर तक बढ़ गई। मांग की इस वृद्धि को मांग का प्रसार कहते हैं। इससे मांग का नियम सिद्ध होता है।

समाज के मांग की सारिणी—अगर हम किसी समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की (किसी वस्तु की) मांग की सारिणी का योग करें तो हमको उस जन-समुदाय की मांग की सारिणी प्राप्त हो सकती है। लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की मांग की सारिणी को प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। इससे एक आसान तरीका और है वह इस प्रकार है:—

(१) समाज को वार्षिक आय के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कीजिये जैसे २०) ५० से ५०) ५० मासिक आमदनी तक का प्रथम भाग इत्यादि।

(२) हर एक भाग में परिवारों की संख्या दृढ़ निकालिये।

(३) प्रत्येक भाग से एक औसत परिवार को छांट निकालिये और इस प्रत्येक परिवार की किसी वस्तु की मांग की सारिणी बना लीजिये।

(४) प्रत्येक भाग के औसत परिवार की मांग की सारिणी को उस भाग के कुल परिवारों की संख्या से गुणा करके प्रत्येक भाग के मांग की सारिणी प्राप्त कर लीजिये।

(५) सब भागों की मांग की सारिणी जोड़ कर कुल समाज की मांग की सारिणी बना लीजिये।

मान लीजिये कि किसी एक काल्पनिक समाज में २६००० व्यक्ति हैं जिनमें से अ हिस्से में १०००, व हिस्से में ५००० और

स हिस्से में २०,००० व्यक्ति हैं तो कुल समाज के घी की मासिक मांग की सारिणी इस प्रकार होगी :—


कीमत प्रति सेर	समाज की मांग (सेरो में)			
	अ	ब	स	कुल
१०)	१००० +	० +	० =	१०००
८)	२००० +	५००० +	० =	७,०००
६)	४००० +	१०,००० +	२०,००० =	३४,०००
५)	६००० +	१५,००० +	४०,००० =	६१,०००
४)	८००० +	२५,००० +	६०,००० =	९३,०००
३)	१०,००० +	३५,००० +	८०,००० =	१२५,०००
२)	१२,००० +	४०,००० +	१००,००० =	१५२,०००
१)	१५,००० +	५०,००० +	१२०,००० =	१८५,०००

कुल समुदाय की मांग की सारिणी का रेखाचित्र, प्रत्येक हिस्से के रेखाचित्रों को जोड़ कर बनाया जा सकता है, या वह जनसमुदाय की सारिणी के अङ्को से भी उसी प्रकार बनाया जा सकता है जिस प्रकार एक मनुष्य की मांग की रेखा का चित्र बनाया जा चुका है।

मांग की प्रबलता और शिथिलता—जब हम किसी परिस्थिति के कारण उसी कीमत पर पहिले की अपेक्षा अधिक परिमाण में उस वस्तु को खरीदते हैं या उससे अधिक कीमत पर उनको ही या अधिक परिमाणों में उस वस्तु को खरीदते हैं


तो हमारी मांग उस वस्तु के लिए बढ़ जाती है। इस प्रकार से मांग के बढ़ने को मांग की प्रबलता कहते हैं। लेकिन जब कीमत कम होने से मांग बढ़े तो उसे मांग का प्रसार कहते हैं। जब कोई वस्तु फैशन में आजाती है, या मनुष्य की आदत बदल जाने से किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग प्रबल हो जाती है। इसी प्रकार किसी मनुष्य की आमदनी बढ़ जाने से भी किसी वस्तु की मांग का परिमाण उसी कीमत पर बढ़ जाता है। इसको भी मांग की प्रबलता कहते हैं। किसी वस्तु की मांग की प्रबलता उस वस्तु की कीमत बढ़ने का एक कारण होता है। परन्तु मांग का प्रसार कीमत के कम होने का फल है।

इसी प्रकार से इसके विपरीत मांग की शिथिलता किसी वस्तु के फैशन के बाहर चले जाने से या मनुष्य की आदत बदलने पर किसी वस्तु की उपयोगिता घट जाने से या आमदनी में कमी हो जाने से होती है। ऐसी स्थिति में कोई मनुष्य उसी कीमत पर पहिले की अपेक्षा कम खरीदता है या कीमत घट जाने पर भी उतनी ही या उससे कम परिमाण में उस वस्तु को खरीदता है। इसमें मांग की घटी से यह भिन्नता है कि मांग की घटी कीमत बढ़ने से होती है, लेकिन मांग की शिथिलता से कीमत में कमी होने की सम्भावना रहती है। अगले पृष्ठ पर दिये हुए रेखाचित्रों में मांग की प्रबलता और शिथिलता दिखाई जाती है।



इस रेखाचित्र के अनुसार द्रव्य के बढ़ जाने से या और किसी कारण से मांग की रेखा म म' से बदल कर न न' हो गई। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि वह मनुष्य पहिले ०क कीमत पर जिस वस्तु को ०प परिमाण में खरीदता था, अब उसी कीमत पर ०प' परिमाण में खरीदने लगता है। यह भी स्पष्ट है कि वह ०प

परिणाम को $0क'$ पर अर्थात् पहिले से अधिक कीमत पर खरीदता है। इसको मांग की प्रबलता कहते हैं।



इसी प्रकार इस रेखाचित्र में जब किसी कारण से उसकी मांग की रेखा $म म'$ से बदल कर $न न'$ हो जाती है तो वह पहिली कीमत पर पहिले से कम परिमाण में उस

वस्तु को खरीदता है। अर्थात् वह ०प के बदलें केवल ०प' खरीदता है। और ०प परिमाण को पहिले से कम कीमत ०क' पर खरीदने को तैयार होता है। इसको मांग की शिथिलता कहते हैं। किसी मनुष्य की आमदनी कम हो जाने के कारण अथवा किसी वस्तु के फैशन से निकल जाने के कारण उसकी मांग शिथिल हो जाती है। वस्तु की मांग शिथिल हो जाने से उम्का मूल्य कम हो जाता है और उसके उत्पत्ति के परिमाण में भी कमी हो जाती है।



सातवाँ अध्याय

उपभोक्ता की बचत

पिछले अध्याय में यह सूचित किया जा चुका है कि बहुधा किसी वस्तु को खरीदने से हमको अधिक उपयोगिता मिलती है बनिश्चत उस वस्तु पर खर्च किये गये द्रव्य की उपयोगिता के । अर्थात् वस्तु को खरीदने से हम नफे में रहते हैं, हमें उपयोगिता में कुछ बचत होती है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से इस बचत का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिये इस अध्याय में इसी विषय का विवेचन किया जाता है।

मान लीजिये कोई आदमी जङ्गल की राह जा रहा है। उसको बहुत भूख लगी है। उसकी भूख इतनी प्रबल है कि वह थोड़े से भोजन के लिए उसके पास जो कुछ है सब दे डालने को तैयार है। जाते जाते उसको एक आम का पेड़ मिलता है। वह एक आम तोड़ कर खाता है। उससे उसको बहुत तृप्ति होती है। उस तृप्ति के बदले उसको आम तोड़ने में जो थोड़ा सा श्रम हुआ वह कुछ भी नहीं मालूम होता है। इसके बाद वह दूसरा आम तोड़ कर खाता है इससे उसको पहले की अपेक्षा कुछ कम तृप्ति होती है और श्रम कुछ अधिक

मालूम देता है। इसी प्रकार तीसरे, चौथे, पाँचवें आम से क्रमशः उसकी तृप्ति कम होती जाती है और उसको श्रम अधिक मालूम पड़ता है। यहां तक कि जब वह आठवां आम तोड़ कर खा लेता है तो उसको बहुत कम तृप्ति होती है, और वह सोचने लगता है कि अब उसको नवां आम तोड़ने के लिए श्रम करना चाहिये या नहीं। उसको मालूम देता है कि नवे आम को खाने से उसको तृप्ति तो शायद कुछ हो भी या न हो लेकिन तोड़ने में उसके थके हुए शरीर को कष्ट अवश्य बहुत अधिक होगा। इसलिये वह निश्चय करता है कि अब अधिक परिश्रम करने के बदले कुछ देर आराम कर लेना अधिक उपयोगी होगा।

अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो हमको मालूम हो जायेगा कि पहला आम खाने से उसको बहुत अधिक तृप्ति हुई और बहुत कम श्रम, दूसरे से कुछ कम तृप्ति और कुछ अधिक श्रम हुआ इत्यादि। अब अगर हम आम खाने से उसकी वास्तविक तृप्ति का अन्दाजा करना चाहे तो हम प्रत्येक आम से प्राप्त की गई उपयोगिता (तृप्ति) में से उसको प्राप्त करने के लिये किये गये श्रम को घटा कर मालूम कर सकते हैं। जैसे, अगर पहिले आम से उसको १०० उपयोगिता प्राप्त होती है और १० उपयोगिता के बराबर श्रम होता है तो उसको $100 - 10 = 90$ वास्तविक (Net) उपयोगिता मिलती है। यह उसके एक प्रकार का लाभ अथवा वचत है। इसी वचत को अर्थशास्त्र में 'उपभोक्ता की

बचत" कहते हैं।

आजकल हम लोग अपनी मांग की वस्तुओं को अधिकतर द्रव्य द्वारा खरीदते हैं। हम अपने श्रम को भी द्रव्य में प्रकट कर सकते हैं। कई एक लोगों को श्रम के बदले वेतन अथवा मजदूरी के रूप में द्रव्य ही मिलता है। और लोग जो कुछ भी वस्तु बनाते हैं उसको बेचकर द्रव्य प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार हम उपयोगिता को भी द्रव्य का रूप दे सकते हैं। अगर हम पहले आम को प्राप्त करने के लिये एक रुपया दे देने को तैयार हो तो हमारे लिए पहले आम की उपयोगिता एक रुपये की उपयोगिता के बराबर हुई, और अगर दूसरे आम के लिए आठ आना दे देने को तैयार हों तो दूसरे आम की उपयोगिता हमारे लिए आठ आने की उपयोगिता के बराबर हुई।

इन बातों को दृष्टि में रखते हुए हम "उपभोक्ता की बचत" को द्रव्य में माप सकते हैं। मान लीजिए हम किसी आदमी की घी खरीदने से एक महीने की उपभोक्ता की बचत जानना चाहते हैं। जब घी का भाव ५) ६० सेर है तो मान लीजिये कि वह आदमी एक महीने के लिए एक सेर घी खरीदता है। जब घी का भाव ४) सेर हो जाय तो वह दो सेर खरीदने को तैयार हो जाता है, जब ३) ६० सेर हो तो तीन सेर, २) ६० सेर में ४ सेर और १) ६० सेर पर पाँच सेर खरीदने को तैयार हो जाता है।

चूँकि जब घी का भाव ५) ६० सेर है, वह एक सेर घी खरीदने को तैयार रहता है, इसलिए यह बात तो प्रकट ही है कि इस

पहिले सेर घी से उसको कम से कम उतनी तृप्ति तो होती ही है जितनी उन पाँच रुपयो से किसी अन्य पदार्थ को खरीदनें मे होती। जब घी का भाव ५) रु० सेर से ४) रु० सेर हो जाता है तो वह आदमी दो सेर घी खरीदता है। इस अवस्था मे पहिले सेर घी से उसको केवल ४) रु० मे उतनी ही तृप्ति प्राप्त हो जाती है जिसके लिए वह पाँच रुपया खर्च करने को तैयार था। दूसरे सेर घी के लिये वह ४) रुपये देता है और उससे जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह ४) रुपये की उपयोगिता के बराबर है। इस प्रकार जब वह चार रुपये प्रति सेर के भाव पर दो सेर घी खरीद लेता है तो उपभोक्ता की बचत एक रुपया हो जाती है; क्योंकि उसको पहिले सेर घी से कम से कम ५) रु० के बराबर और दूसरे सेर से ४) रु० के बराबर तृप्ति मिलती है जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है; अर्थात् २ सेर घी से उसको कम से कम ९) रु० के बराबर तृप्ति मिलती है और वह दो सेर घी के लिए ४) रु० सेर के हिसाब से केवल ८) रु० दुकानदार को देता है। इसलिए उसको एक रुपये की उपभोक्ता की बचत हो जाती है।

अब जब घी का भाव ३) रु० सेर हो जाता है तो वह तीन सेर घी खरीदता है। उसका $५ + ४ + ३ = १२$) रु० के बराबर तृप्ति होती है और उसको $३) रु० \times ३ = ९$ रु० उसके लिए देना पड़ता है अर्थात् उसको उपभोक्ता की बचत ३) रु० के बराबर होती है।

इसी प्रकार जब घी का भाव १) रु० सेर हो जाता है तो वह पाँच सेर घी खरीद लेता है। इन पाँच सेरों से उसको कम से कम $५ + ४ + ३ + २ + १ = १५$ रु० के बराबर वृत्ति मिलती है और पाँच सेर घी खरीदने के लिये १) रु० फो सेर के हिसाब से उसको ५) रु० खर्च करने पड़ते हैं। इसलिये उपभोक्ता की बचत १५ रु० $- ५) = १०$ रु० के बराबर हो जाती है। अर्थात् ५) रु० घी में खर्च करने से उसको १०) रु० के बराबर अधिक वृत्ति हो जाती है। परन्तु यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि उपभोक्ता की बचत वृत्ति की मात्रा की अधिकता ही बतलाती है। वास्तव में उपभोक्ता को द्रव्य में कुछ लाभ नहीं होता। हां, उपभोक्ता की बचत की वृद्धि से उसकी वृत्ति अवश्य बढ़ जाती है। हम किसी वस्तु को किसी परिमाण में प्राप्त करने के लिये जितना द्रव्य दे देने को तैयार हो सकते हैं, और जितना वस्तुतः हम देते हैं उनके अन्तर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं।

कई एक वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनसे हमको बहुत अधिक उपभोक्ता की बचत मिलती है। पोष्टकार्ड, अखबार, नमक इत्यादि इनके उदाहरण हैं। इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हम उन दामों से कहीं अधिक द्रव्य देने को तैयार हो जावें जिन दामों पर ये वस्तुएँ इस समय प्राप्त हो रही हैं। उपभोक्ता की बचत का परिमाण सामाजिक, राजकीय तथा आर्थिक परिस्थितियों पर अवलम्बित रहता है। जिन देशों में इनकी उन्नति हो गई है उन देशों में डाकखाना, रेल, तार इत्यादि का महसूल कम हो गया है

और उपभोक्ता की वचत बढ़ गई है। जो देश कम सभ्य हैं वहां उपभोक्ता की वचत भी कम होती है।

उपभोक्ता की वचत मूल्य में आंकना उतना सरल नहीं है जितना कि ऊपर दिये हुए उदाहरण से मालूम होता है। इसको मालूम करने में बहुत सी अड़चने आ पड़ती हैं। पहले तो यही जानना बहुत मुश्किल है कि मनुष्य किसी वस्तु के लिए कितना तक दे देने को तैयार हो सकता है। एक भूखा मनुष्य अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व तक देने को तैयार हो जाता है। उसके लिए यह निश्चय करना कि पहिली रोटी की उपयोगिता १) ५० है या १००) ५० है एक बहुत कठिन समस्या है। उस रोटी की उपयोगिता उसके लिए असीम है। इस उपयोगिता को द्रव्य में आंकना मुश्किल नहीं है। जो वस्तुएं प्राणों की रक्षा के लिए नितान्त आवश्यक हैं उनसे उपभोक्ता की वचत द्रव्य में निकालना एक प्रकार से असम्भव ही है। इसी प्रकार कुछ ऐसी कृत्रिम आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति किसी मनुष्य को समाज के भय से करनी पड़ती है। इनकी भी उपभोक्ता की वचत आंकना बहुत मुश्किल है।

किसी मनुष्य की किसी एक वस्तु की उपभोक्ता की वचत द्रव्य में मापने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि उस वस्तु की मांग की सारिणी इस प्रकार से बनाई जाय कि हमको यह मालूम हो सके कि कितनी कीमत पर वह एक वस्तु ही खरीदेगा और कितनी कीमत पर दो वस्तु; खरीदेगा परन्तु

किसी वस्तु की हम इस प्रकार की मांग की पूरी सारिणी नहीं बना सकते। हम यह नहीं जानते कि यदि पांच रुपया सेर गेहूँ हो तो कोई व्यक्ति कितना गेहूँ प्रति मास खरीदेगा, क्योंकि गेहूँ की इतनी अधिक कीमत कभी भी नहीं रही। इसी प्रकार हम यह भी नहीं कह सकते कि यदि एक पैसे को पांच सेर गेहूँ बिके तो कोई व्यक्ति कितना गेहूँ खरीदेगा क्योंकि गेहूँ की इतनी कम कीमत भी कभी नहीं रही। इसलिये हम किसी भी वस्तु की मांग की पूरी सारिणी नहीं बना सकते। इसी कारण उपभोक्ता की बचत को द्रव्य में सही आंकना मुश्किल हो जाता है।

'उपभोक्ता की बचत मापने के लिये हमको यह बात मान लेनी पड़ती है कि उपभोक्ता अपने द्रव्य का एक छोटा अंश किसी एक वस्तु पर खर्च करता है। क्योंकि अगर कोई अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा अंश किसी एक वस्तु में खर्च करदे तो उसके द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता में बहुत अधिक वदलाव हो जाता है जिससे किसी वस्तु पर खर्च किये द्रव्य की उपयोगिता जान लेना कठिन हो जाता है इसलिये उपभोक्ता की बचत का अन्दाजा लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम किसी एक वस्तु पर अपने कुल द्रव्य का एक छोटा सा अंश खर्च करे तो उससे द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता में अधिक वदलाव नहीं होता, और उपभोक्ता की बचत मापने में भी कुछ सुगमता हो जाती है।

अगर हम समाज की उपभोक्ता की बचत मापना चाहें तो

हमको यह मान लेना पड़ता है कि भिन्न भिन्न मनुष्यों को वरा-वर द्रव्य से समान वृत्ति मिलती है। परन्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव, आचरण और परिस्थितियों की भिन्नता के कारण समान द्रव्य से एक ही वृत्ति नहीं मिलती है।

उपभोक्ता की वचत का अन्तर

यद्यपि हम किसी मनुष्य को किसी वस्तु में प्राप्त हुए पूर्ण उपभोक्ता की वचत को ठीक ठीक नहीं माप सकते, क्योंकि उसकी पूरी मांग की सारिणी बनाना मुश्किल नहीं है, फिर भी हम यह जान सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत के घटने अथवा बढ़ने से उपभोक्ता की वचत में क्या फर्क पड़ जाता है। नीचे के कोष्ठक में किसी मनुष्य की चावल की मांग की सारिणी दी जाती है।

मूल्य	(चावल की मांग)
५) २० प्रति मन	२० मन
४।) " " "	२१ "
४) " " "	२२ "

इस कोष्ठक से हमको यह मालूम नहीं होता कि पहिले मन, दूसरे मन, तीसरे मन चावल के लिये वह मनुष्य कितना रुपया दे सकता था। इसलिये हम यह नहीं कह सकते कि २०

मन चावल के लिए वह मनुष्य कितना रुपया दे देता बनिस्वत इसके कि वह उससे वञ्चित रहता। मान लीजिये कि वह 'क' के बराबर रुपया २० मन चावल खरीदने के लिये दे देता। चावल का मूल्य जब ५) रु० फी मन है तब वह $२० \times ५ = १००$ रु० खर्च करता है। इसलिए ५) रु० फी मन मूल्य पर उपभोक्ता की बचत क - १०० रु० होती है।

जब मूल्य घट कर ४।।) रु० प्रति मन हो जाता है तो वह २१ मन चावल खरीद लेता है। इस मूल्य पर उसका कुल खर्च ९४।।) रु० के बराबर है। इस मूल्य पर उसने १ मन अधिक चावल खरीदा है इसलिए उसको इस २१वे मन से कम से कम ४।।) रु० के बराबर उपयोगिता अवश्य मिली होगी। इसलिए ४।।) रु० फी मन मूल्य पर उपभोक्ता की बचत = क + ४।।) रु० - ९४।।) होती है इसलिए जब मूल्य ५) रु० से ४।।) रु० मन हो गया तो उपभोक्ता की बचत का अन्तर $[क + ४।।) - ९४।।)] - [क - १००)] = १०$ हो जाता है।

अब हम यह कह सकते हैं कि जब चावल का मूल्य ५) रु० मन से घट कर ४।।) रु० मन हो जाता है तो उस मनुष्य की उपभोक्ता की बचत का अंतर १०) रु० के बराबर हो जाता है।

इसी प्रकार जब चावल का मूल्य ४) रु० मन हो जाता है तो उस पर कुल खर्च $२२ \times ४ = ८८$ रु० होता है। हम यह जानते हैं कि २१वे मन चावल पर वह मनुष्य कम से कम ४।।) रु० और २२वे मन चावल पर ४) खर्च करने को तैयार है। इस प्रकार

वह २२ मन चावल पर क+४॥१+४) खर्च कर सकता है, परन्तु चास्तव में वह ८८) ही खर्च करता है। इसलिए ३) २० फी मन मूल्य पर उपभोक्ता की वचत क+४॥१+४)-८८) २० होती है।

इसलिए जब मूल्य ५) २० फी मन से घटकर ४) २० फी मन हो जाता है तो उपभोक्ता की वचत का अंतर $[क+४॥१+४)-८८)]-[क-१००)] = २०॥१$ हो जाता है।


और जब मूल्य ४॥१) २० फी मन से घट कर ४) २० फी मन होता है तो उपभोक्ता की वचत का अंतर

$[क+४॥१+४)-८८)]-[क+४॥१)-९४॥१)] = १०॥१$ हो जाता है।

इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब चावल का मूल्य ४) २० मन से ५) २० मन हो जाय तो उपभोक्ता की वचत में २०॥१) २० हानि होती है।

किसी भी वस्तु की कीमत के घट बढ़ से किसी मनुष्य की उपभोक्ता की वचत का अन्तर द्रव्य में इसी प्रकार आसानी से निकाला जा सकता है। इसके मालूम करने के लिये हमको माँग की पूरी सारणी की जरूरत भी नहीं पड़ती है।

उपभोक्ता की बचत का परिमाण तथा वस्तु की कीमत के घटने वढ़ने से उपभोक्ता की बचत का अन्तर रेखाचित्र द्वारा भी बतलाया जा सकता है। नीचे दिये हुए रेखाचित्र में रेखा मम'



वस्तु का परिमाण

से किसी मनुष्य की किसी वस्तु की मांग मालूम होती है। जब उस वस्तु की कीमत $0क$ रहती है तो वह $0प$ परिमाण खरीदता है उस समय उसको जो उपभोक्ता की बचत होती है वह क्षेत्रफल

म क अ के बराबर है। जब उस वस्तु की कीमत ०क से ०क' तक कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग का परिमाण ०प' तक बढ़ जाता है। इस कीमत पर उपभोक्ता की वचत म क व क्षेत्रफल के बराबर होती है। इस वस्तु की कीमत ०क से ०क' कम होने पर उपभोक्ता की वचत में जो अन्तर होता है अर्थात् जो वृद्धि होती है वह क्षेत्रफल क क' व अ के बराबर है। इसी प्रकार किसी वस्तु की मांग की रेखा प्राप्त होने पर उसकी किसी भी कीमत पर उपभोक्ता की वचत का परिमाण या कीमत में घट बढ़ होने पर उपभोक्ता की वचत का अन्तर आसानी से निकाला जा सकता है।

उपभोक्ता की वचत का महत्व

अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की वचत का बहुत महत्व है। यदि हम वस्तुओं के मूल्य के घट बढ़ का उपभोक्ताओं पर प्रभाव जानना चाहते हो तो हमें उपभोक्ता की वचत के अन्तर का अन्दाजा लगाना पड़ता है। वस्तुओं के मूल्य में घट बढ़ कई कारणों से होती है। कभी कभी सरकार द्वारा वस्तुओं पर आयात निर्यात कर अथवा उत्पत्ति कर लगा दिये जाते हैं। इससे उन वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। इस प्रकार के कर लगाने से उपभोक्ताओं को कितनी हानि हुई इसका अन्दाजा लगाने के लिये उपभोक्ता की वचत के अन्तर का अन्दाजा लगाया जाता है। प्रत्येक अर्थसचिव को वस्तुओं पर कर इस प्रकार से लगाना चाहिये जिससे कर के रूप में आमदनी तो

अधिक से अधिक हो और उपभोक्ताओं की बचत में कभी कम से कम हो। कभी कभी देश में द्रव्य के परिमाण की वृद्धि होने से अथवा अत्यधिक कागजी मुद्रा के प्रचार से प्रायः सब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इस मूल्य वृद्धि का उपभोक्ताओं पर प्रभाव का अन्दाजा लगाने के लिये भी उपभोक्ता की बचत के अन्तर का अन्दाजा लगाया जाता है।

उपभोक्ता की बचत से हमको यह भी मालूम हो सकता है कि कोई भी मनुष्य अपनी परिस्थितियों से कितना लाभ या हानि उठा रहा है। जब हम किसी मनुष्य को एक समय से दूसरे समय की अथवा किसी एक दर्जे के मनुष्यों की दूसरे मुल्क में उसी दर्जे के मनुष्यों की आर्थिक अवस्था की तुलना करें तो हमको उपभोक्ता की बचत पर भी उचित ध्यान देना चाहिये। अगर और चीजें समान रहे, और किसी मनुष्य को एक समय से दूसरे समय में अधिक उपभोक्ता की बचत हो तो दूसरे समय उसकी आर्थिक अवस्था पहले समय से अच्छी समझी जावेगी।



आठवाँ अध्याय

उपभोग की वस्तुओं का विभाग

संसार में सब से पहले मनुष्य को अपने शरीर को बनाये रखने की फिक्र रहती है। अंथा, अपाहिज कैसा ही मनुष्य क्यों न हो वह अपने चर्म-अस्थि मिश्रित शरीर को नाश होने से बचाने का सदा प्रयत्न किया करता है। इसलिए उपभोग के पदार्थों में मुख्य स्थान उन पदार्थों को दिया जाता है जो शरीर और प्राण को साथ रखने के लिये जरूरी होते हैं। इन पदार्थों को जीवन-रक्षक पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों में जल, अन्न, वस्त्र, मकान इत्यादि शामिल हैं। लेकिन केवल जीवन-रक्षा के लिए ये पदार्थ साधारण दर्जे के हो सकते हैं, जिनसे किसी मनुष्य का निर्वाह मात्र हो सके। जीवन-रक्षक पदार्थों की कीमत बढ़ जावे या घट जावे लेकिन शरीर की रक्षा के लिए इन वस्तुओं को खरीदना अनिवार्य होता है। इसलिये जैसे जैसे जीवन-रक्षक पदार्थों की कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे उन पर किया गया कुल खर्च बढ़ता जाता है क्योंकि मांग उस अनुपात में कम नहीं होती है।

दूसरे प्रकार के उपभोग के पदार्थ निपुणता-दायक पदार्थ कहलाते हैं। ये वे पदार्थ हैं जिनके सेवन करने से मनुष्य की

कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। उसके शरीर में बल उत्साह और स्फूर्ति पैदा होती है। शरीर निरोग रहता है। जीवन-रक्षक पदार्थों में भी ये गुण रहते हैं। परन्तु उनका वर्गीकरण अलग कर देने से निपुणतादायक पदार्थों में जीवन-रक्षक पदार्थ सम्मिलित नहीं किये जाते। कुछ जीवन-रक्षक पदार्थ अधिक मात्रा में और अच्छे दर्जे के होने पर निपुणता-दायक पदार्थ कहलाने लगते हैं। जैसे साधारण भोजन करने से, फटा पुराना कपड़ा पहनने से तथा टूटी फूटी झोपड़ी में रहने से भी मनुष्य जिन्दा तो रह सकेगा, लेकिन उसकी तन्दुरुस्ती अच्छी नहीं रहेगी। शरीर रोगी और निर्बल हो जावेगा, और काम करने की शक्ति क्षीण होती जावेगी। लेकिन अगर उसको भरपेट पुष्टिकारक भोजन दिया जावे, जैसे अच्छा अन्न, घी, दूध, फल इत्यादि और स्वच्छ वस्त्र पहनने को दिये जाये, रहने के लिए अच्छा हवादार मकान दिया जावे, व्यायाम, खेल, पुस्तकालय इत्यादि का उसके लिये प्रबन्ध किया जाय तो वह पुरुष हृष्ट-पुष्ट, निरोग, निपुण और तन्दुरुस्त होगा। काम करने के लिए बल और उत्साह बढ़ेगा इसलिए उसका काम भी अच्छा होगा। निपुणता-दायक पदार्थों में जितना खर्च किया जाता है उसका फल उससे कहीं अधिक मिलता है। कीमत के बढ़ने पर निपुणता-दायक पदार्थों की मांग में भी अधिक कमी नहीं होगी इसलिये इन पदार्थों पर भी, जीवनरक्षक पदार्थों के समान खर्च बढ़ता जाता है जैसे जैसे इनके मूल्य में वृद्धि होती है।

उपभोग के पदार्थों के तीसरे विभाग में आराम की वस्तुएं

ली जाती हैं। इन वस्तुओं के उपभोग से शरीर को सुख और आराम तो मिलता है और निपुणता भी बढ़ती है, लेकिन जितना खर्च इन पर किया जाता है उस अनुपात में उससे कार्य-कुशलता नहीं बढ़ती है। जैसे किसी गरीब मनुष्य के लिए धोती, कुर्ता और चप्पल निपुणता-दायक पदार्थ हैं लेकिन अगर वह बढ़िया कमीज, कोट का उपयोग करे तो ये वस्तुएं उसके लिए आराम की वस्तुएं कही जावेगी। इनसे उनकी निपुणता भले ही बढ़े लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितना इसमें खर्च हो जायेगा। इसी प्रकार से गरीब किसान के लिये साइकिल, घड़ी, पक्का मकान, इत्यादि भी आराम की वस्तुओं में शामिल किये जा सकते हैं।

चौथे प्रकार के उपभोग की वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं कहलाती हैं। इन वस्तुओं के सेवन करने से इन पर किये गये खर्च की अपेक्षा इनसे बहुत कम निपुणता अथवा कार्य-कुशलता प्राप्त होती है। कभी कभी तो इन वस्तुओं के उपभोग से कार्य-कुशलता का बढ़ने की अपेक्षा ह्रास होने लगता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण हैं खूब बढ़िया आलीशान अट्टालिकाये, बहुत क्रीमती भड़कीले वस्त्र, शराब इत्यादि। विलासिता की वस्तुओं को सेवन करने से शरीर आलसी सा हो जाता है। काम करने को जी नहीं करता है। शराब इत्यादि के सेवन से तो मनुष्य की कार्य-कुशलता बिलकुल क्षीण होने की सम्भावना रहती है। विलासिता की वस्तुओं की कीमत में थोड़ा सा बदलाव होने से ही इनकी मांग में बहुत बदलाव हो जाता है। इसलिये जैसे

जैसे इनकी कीमत बढ़ती है वैसे ही इन पर कुल खर्च घटता जाता है ।

उपभोग के पदार्थों का एक और विभाग है । इस विभाग में वे वस्तुएँ हैं जो कि जीवन-रक्षा अथवा आराम इत्यादि के लिए आवश्यक नहीं हैं, लेकिन समाज के दबाव से, लोक-निन्दा के भय से अथवा रीति-रस्म, आचार व्यवहार तथा आदत पड़ जाने के कारण ये वस्तुएँ भी आवश्यक होने लगती हैं । इन वस्तुओं को “कृत्रिम आवश्यकताओं की वस्तुएँ” कहते हैं । जन्मोत्सव, विवाह इत्यादि उत्सवों में खर्च, तथा शराब, तम्बाकू, गांजा, चरस इत्यादि पर खर्च । चूँकि इन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाने अथवा घट जाने से भी ये वस्तुएँ करीब करीब उसी परिमाण में खरीदी जाती हैं, इसीलिए कीमत के बढ़ने पर इनपर होने वाला खर्च भी बढ़ जाता है ।

यह बात ध्यान में रखने के योग्य है कि उपभोग की वस्तुओं के ये विभाग एक दूसरे से बिलकुल भिन्न नहीं हैं । वास्तव में इनका वर्गीकरण उपभोक्ताओं की परिस्थितियों के अनुसार समझा जाता है । हम यह नहीं कह सकते हैं कि अमुक वस्तुएँ सब के लिये सदा जीवन-रक्षक पदार्थ हैं, और कुछ वस्तुएँ विलासिता की अथवा आराम की वस्तुएँ हैं इत्यादि । कोई भी वस्तु अपने आप से किसी भी वर्ग में शामिल नहीं की जा सकती है । किसी वस्तु को कौन से वर्ग में रखा जाये इस बात को जानने के लिये हमको बहुत सी और बातें भी ध्यान में रखनी

पड़ती हैं। मनुष्यों की प्रकृति, आदत, फैशन, जल-वायु, देश काल, वस्तुओं की कीमत तथा मनुष्यों की आर्थिक अवस्था से वस्तुओं के वर्गीकरण में भिन्नता आ जाती है।

कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि वस्तुतः विलासिता की वस्तुएं अथवा आराम की वस्तुएं हैं, लेकिन उनका बार बार उपभोग करने से उन वस्तुओं के उपभोग की आदत पड़ जाती है। इसलिए वे कृत्रिम आवश्यकता की वस्तुओं में गिनी जाने लगती हैं। उदाहरणार्थ चाय अथवा तम्बाकू को लीजिये। जिन लोगों को इन वस्तुओं का व्यसन पड़ जाता है उनसे अगर उनके सम्बन्ध में पूछा जाय तो वे कहते हैं कि उन वस्तुओं को सेवन किये बिना वे जी नहीं सकते हैं। भोजन ठीक-बक्त पर मिले न मिले इसकी परवाह नहीं लेकिन तम्बाकू, शराव इत्यादि उनको अवश्य मिलनी चाहिए। कई मनुष्यों का शारीरिक अवस्था ऐसी होती है कि एक वस्तु जो दूसरे मनुष्य को नुकसान पहुँचाती है, उनको लाभदायक होती है।

एक डाक्टर के लिए मोटरकार आवश्यक प्रतीत होती है क्योंकि उसकी सहायता से वह कम समय में बहुत से मरीजों को देख सकता है, लेकिन यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर के लिए मोटर कार आराम या विलासिता की ही वस्तु समझी जावेगी।

एक अमीर आदमी के लिए आलीशान महल, बिजली का लैम्प, पड़ोइ इत्यादि आराम की वस्तुएं हों लेकिन एक गरीब किसान के लिए ये वस्तुएं एकदम विलासिता की वस्तुएं समझी


जावेंगी ।

समय के बदलाव से, फैशन के बदलाव से तथा रहन सहन के दर्जे के बदलाव से कोई वस्तु एक समय विलासिता की वस्तु, दूसरे समय आराम की वस्तु और किसी समय जीवन रक्षक वस्तु भी समझी जाती है ।

किसी वस्तु की कीमत के घटने बढ़ने से भी उस वस्तु के वर्गीकरण में भिन्नता आजाती है । अगर कोई कपड़ा ६) १० गज के हिसाब से बिकता हो तो वह किसी मनुष्य के लिये विलासिता की वस्तु समझी जाती है, अगर ३) १० गज हो जाये तो आराम की वस्तु, १) १० गज में निपुणतादायक वस्तु तथा ॥) आना गज में जीवन-रक्षक वस्तु समझी जा सकती है ।

रेखाचित्र द्वारा वस्तुओं का भेद

अगले पृष्ठ पर दिये हुए रेखाचित्र में तीन वस्तुओं की मांग की रेखाएं दी गई हैं । न न' रेखा आवश्यक वस्तु की मांग की रेखा है । भ भ' रेखा से आराम की वस्तु तथा म म' रेखा से विलासिता की वस्तु की मांग मालूम होती है । इस रेखाचित्र में यह दिखलाया गया है कि जब तीनों वस्तुओं की कीमत ० क से ० क' तक बढ़ती हैं तो प्रत्येक वस्तु की मांग में कितनी कमी होती है । आवश्यक वस्तु की मांग में कमी उ उ', आराम की वस्तु की मांग में कमी ऊ ऊ' और विलासिता की वस्तु की मांग में कमी प प' है । इस चित्र से पता लगता है कि परिमाण उ उ' सब से



वस्तु का परिमाण

कम और प प' सब से अधिक है इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुओं की कीमत वृद्धि होने से विलासिता की वस्तुओं की मांग में सबसे अधिक कमी और आवश्यक वस्तुओं की मांग में सबसे कम कमी होती है।

नवाँ अध्याय

मांग की लोच

मांग के नियम के सम्बन्ध में हम बतला चुके हैं कि साधारणतः जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है अर्थात् कीमत में कुछ बदलाव होने से मांग में भी बदलाव हो जाता है, यह मांग का एक गुण है। मांग के इस गुण को अर्थशास्त्र में “मांग की लोच” कहते हैं। जब कीमत में थोड़ा सा बदलाव होने से—कीमत के कुछ बढ़ने से अथवा कुछ घटने से—किसी वस्तु की मांग में अधिक बदलाव हो जाता है—मांग अधिक घट जाती अथवा बढ़ जाती है—तो उस वस्तु की मांग लोचदार कही जाती है।

उपयोगिता हास नियम के अनुसार ज्यो ज्यों किसी वस्तु का अधिक अधिक संग्रह हमारे पास होता जाता है त्यों त्यों—अगर और सब बातें पूर्ववत् रहे—उस वस्तु की चाह कम होती जाती है। कई वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनका अधिक संग्रह होने पर चाह बड़ी तेजी से कम हो जाती है। ऐसी अवस्था में अगर उस वस्तु की कीमत कुछ घट जाय तो उसकी मांग में बहुत कम

वृद्धि होगी। इसके विपरीत अगर उस वस्तु की कीमत बढ़ जाय तो भी मांग में कुछ अधिक क्षति न होगी। इस वस्तु के लिए हम कह सकते हैं कि इसकी मांग में लोच कम है। लेकिन अगर किसी वस्तु की चाह बहुत धीरे धीरे कम होती जावे तो उस वस्तु की कीमत थोड़ी सी घट जाने पर उसकी मांग बहुत बढ़ जावेगी; और कीमत के थोड़ा बढ़ जाने पर मांग भी बहुत कम हो जावेगी। ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि उस वस्तु की मांग में लोच अधिक है।

जब कि कीमत में कुछ बदलाव होने से मांग में बहुत बदलाव—अधिक वृद्धि अथवा अधिक क्षति—हो जाता है तो मांग अधिक लोचदार कही जाती है। परन्तु जब कीमत में थोड़ा सा बदलाव होने पर मांग में कम बदलाव—कम वृद्धि अथवा कम क्षति—होता है तो मांग कम लोचदार कही जाती है।

मांग की लोच कीमत के साथ साथ बदलती रहती है। साधारणतः किसी एक दर्जे के मनुष्यों के लिए किसी वस्तु की मांग की लोच ऊँची कीमत पर अधिक, मध्यम कीमत पर उससे कुछ कम होती है। और ज्यों ज्यों कीमत घटती जाती है और वृत्ति बढ़ती जाती है त्यों त्यों मांग की लोच कम होती जाती है, यहां तक कि एक ऐसा अवसर आ जाता है कि जब मांग में लोच बिलकुल नहीं रहती। यहां पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि प्रत्येक दर्जे के मनुष्यों के लिये ऊँची, मध्यम और कम कीमत अलग २ होती हैं। दो रुपया सेर घी धनी मनुष्यों के

लिए कम कीमतवाला, मध्यम श्रेणी के मनुष्य के लिए मध्यम कीमत वाला और निर्धन श्रेणी के मनुष्य के लिये ऊँची कीमत वाला हो सकता है। इसलिए किसी वस्तु की ऊँची, मध्यम और कम कीमत किसी खास श्रेणी के मनुष्यों के सम्बन्ध में ही समझनी चाहिये।

भिन्न २ वस्तुओं के लिए मांग की लोच भी भिन्न २ होती है। हम ऊपर बतला चुके हैं कि भिन्न २ श्रेणी के मनुष्यों के लिए एक ही वस्तु की मांग की लोच भिन्न २ होती है। भिन्न २ वस्तुओं की मांग की लोच भिन्न २ श्रेणी के मनुष्यों के लिए जानने के लिए नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं।

पहिले हम विलासिता को उन वस्तुओं को लेते हैं जिनकी कीमत बहुत अधिक है जैसे मोटर कार। अगर मोटर कार की कीमत ३०००) रु० से घट कर २५००) रु० हो जावे तो बहुत से धनी लोगों में उसकी मांग बढ़ जावेगी। इसलिए मोटर कार की मांग धनी लोगों में लोचदार हुई। लेकिन मध्यम श्रेणी के और निर्धन लोगों के लिए इसकी मांग बिल्कुल लोच को ही रही। क्योंकि कीमत घट जाने पर भी उनके लिए यह कीमत इतनी ऊँची है कि वे लोग मोटर नहीं खरीद सकते हैं।

अब विलासिता की उन वस्तुओं को लीजिए जिनकी कीमत बहुत अधिक नहीं है जैसे घड़ी। अगर घड़ी की कीमत २०) रु० से घट कर १५) रु० हो जावे तो बहुत से मध्यम श्रेणी के लोगों की मांग घड़ियों के लिए बढ़ जावेगी। इसलिए घड़ियों की

मांग मध्यम श्रेणी के मनुष्यों के लिए लोचदार कही जावेगी। लेकिन कीमत के कम होने से धनी लोगों की मांग कुछ ज्यादा न बढ़ जावेगी क्योंकि वे लोग २०) ६० कीमत पर ही अपनी तृप्ति के योग्य घड़ियां खरीद चुके होंगे। इसी प्रकार एक किसान के लिए कीमत कम होने पर भी घड़ियों की मांग बिला लोच की रहेगी, क्योंकि १५) ६० भी घड़ी के लिए उसके लिए ऊँची कीमत है।

इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि विलासिता की वे वस्तुएँ जिनकी कीमत बहुत कम है, उनकी मांग की लोच बहुत धनी लोगों के लिए बहुत कम, मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए उससे कुछ अधिक और निर्धन श्रेणी के लोगों के लिए बहुत अधिक होती है।

साधारणतः यह कहा जाता है कि जीवन रक्षक पदार्थों की मांग की लोच विलासिता की वस्तुओं की लोच से बहुत कम होती है। लेकिन जीवनरक्षक पदार्थों की मांग की लोच भी लोगों की सम्पन्नता पर निर्भर रहती है। अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि मुल्कों में गरीब लोगों को भी जीवन-रक्षक पदार्थ पर्याप्त परिमाण में मिल जाते हैं। इसलिए वहाँ इन वस्तुओं की कीमत में अगर कुछ कमी हो भी गई तो गरीब लोग भी इन वस्तुओं का उपभोग पहिले से बहुत अधिक परिमाण में नहीं करते, इसलिए इन जीवनरक्षक पदार्थों की मांग की लोच इन मुल्कों में बहुत कम होती है। लेकिन भारतवर्ष ऐसे देश में जहाँ

कि अधिकांश लोगों को दिन भर मे एक समय भी पेट भर भोजन नहीं मिलता है, जीवनरक्षक पदार्थों की भी मांग में लोच होती है। अगर इनकी कीमत कम हो जावे तो मांग कुछ अवश्य बढ़ जाती है।

जो वस्तुएं जीवन रक्षा के लिए अनिवार्य नहीं हैं उनकी मांग साधारणतः लोचदार होती है, जैसे कि अच्छा वस्त्र, अच्छा मकान, उपन्यास इत्यादि।

जब किसी मनुष्य को किसी वस्तु के सेवन करने का अभ्यास हो जाता है तो उस वस्तु की मांग की लोच और वस्तुओं की मांग की लोच से कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि वह वस्तु उसके आवश्यक पदार्थों में शामिल हो जाती है। और हम बतला चुके हैं कि जीवनरक्षक तथा आवश्यक पदार्थों की लोच और वस्तुओं की लोच से कम होती है। जिन लोगों को चाय का अभ्यास हो गया है, उन लोगों के लिए चाय एक आवश्यक पदार्थ हो गया है। अगर चाय की कीमत एक आना की प्याले से पाँच पैसा की प्याला हो जाय तो भी वे लोग एक प्याला सुबह और एक प्याला साय काल अवश्य ही पियेंगे।

लोच की माप—अगर कीमत में बदलाव होने से किसी वस्तु को खरीदने में उतना ही द्रव्य खर्च किया जाता है जितना पहले किया जाता था तो उसकी मांग की लोच एक के बराबर मानी जाती है। जब कीमत में बढ़ जाने से किसी वस्तु पर किया गया कुल खर्च घट जाता है तो उस वस्तु की मांग की लोच

इकाई से अधिक कही जाती है; और अगर कुल खर्च बढ़ जाता है तो लोच इकाई से कम कही जाती है


नीचे के कोष्ठक में किसी मनुष्य की धी की मासिक मांग और उस पर क्रिया गया खर्च दिया जाता है ।

कीमत प्रति सेर	मांग.	कुल खर्च	मांग की लोच
॥॥	१० सेर	५ रुपया	एक से कम
१)	६ "	६ "	
१॥॥	४ "	६ "	एक
२)	३ "	४ "	एक से अधिक
३)	१ "	३ "	

इस कोष्ठक से यह मालूम होता है कि जब कीमत ॥॥ प्रति सेर से १) प्रति सेर हो जाती है तो उस पर खर्च ५ रुपये से ६ रुपये ही जाता है। तब मांग की लोच एक से कम रहती है और घी आवश्यक पदार्थ माना जाता है। जब धी की कीमत एक रुपया सेर से १॥॥ मेर तक बढ़ती है तो धी पर खर्च ६ रुपये ही रहता है उसकी मांग की लोच एक के बराबर रहती है और घी आराम की वस्तु माना जाता है। जब धी की कीमत १॥॥ से बढ़ने लगती है तो कुल खर्च कम होने लगता है, उसके मांग की लोच एक से अधिक हो जाती है और घी विलासिता की चीज हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि वस्तु की मांग की लोच उंची कीमत पर एक से अधिक, मध्यम कीमत पर एक और कम कीमत पर एक से कम रहती

है। किसी मनुष्य के लिये उंची कीमत पर घी विलासिता की वस्तु, मध्यम कीमत पर आराम की वस्तु और कम कीमत पर आवश्यक वस्तु माना जाता है।

किसी वस्तु की मांग की रेखा से भी किसी कीमत पर मांग की लोच का अनुमान लगाया जा सकता है। नीचे के रेखा चित्र



में म म' रेखा मांग की रेखा है। अब यदि हमको ०क कीमत पर मांग की लोच मालूम करना हो तो हमें यह जानना चाहिये कि कुछ अधिक कीमत पर उसकी मांग के परिमाण में कितनी कमी होगी। इसी चित्र से मालूम होता है कि ०क' कीमत पर मांग का परिमाण ०प' हो जाता है। जब कीमत ०क रहती है तब इस वस्तु पर ०प अ क परिमाण में द्रव्य खर्च किया जाता है। जब कीमत ०क' तक बढ़ जाती है तो खर्च का परिमाण ०प' बक' हो जाता है। यदि ०प' ब क' का परिमाण ०प अ क से कम हो तो इस वस्तु की मांग की लोच एक से अधिक, यदि बराबर हो तो मांग की लोच एक के बराबर और यदि अधिक हो तो मांग की लोच एक से कम समझी जावेगी।

मांग की लोच का महत्व—अर्थशास्त्र की दृष्टि से मांग की लोच का बड़ा महत्व है। इससे हमको यह पता लग जाता है कि कीमत के बदलाव होने से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न वस्तुओं का भिन्न २ दर्जे के मनुष्यों की मांग पर कैसा असर पड़ता है। इस बात को जान लेने पर उत्पादकों को और सरकार को अपने २ काम में बहुत सहायता मिलती है। उत्पादक लोग, खास कर एकाधिकारी उत्पादक, यह तै कर सकते हैं कि किस कीमत पर बेचने से उनको सबसे अधिक लाभ होगा। अगर किसी वस्तु की मांग में बहुत कम लोच हो तो एकाधिकारी उस वस्तु की मनमानी कीमत बढ़ा कर बहुत लाभ उठा सकता है। लेकिन अगर किसी

वस्तु की मांग बहुत लोचदार हो तो एकाधिकारी को क्लीमत घटाने से ही सबसे अधिक मुनाफा होता है ।

इसी प्रकार किसी देश की सरकार को भी भिन्न २ वस्तुओं के मांग की लोच जानना जरूरी होता है । जब किसी वस्तु में आयात अथवा निर्यात कर लगाया जावे, अथवा देशो माल पर कर लगाया जावे तो सरकार को यह जानना चाहिए कि इस कर से उस वस्तु की क्लीमत में जो वृद्धि होगी उसका मांग पर क्या असर पड़ेगा । जिन वस्तुओं की मांग की लोच बहुत कम हो उनपर कर लगाने से सरकार को अधिक आमदनी होती है । और जिन वस्तुओं की मांग की लोच अधिक हो उनपर कर लगाने से कम आमदनी होती है । सरकार को यह बात भी ध्यान में रखने के योग्य है कि जिन आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच गरीब आदमियों को भी होती है उनपर कर लगाने से गरीब आदमियों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है । भारतवर्ष में इसका उदाहरण नमक-कर है । इस कर के कारण यहां नमक की क्लीमत बढ़ गई है । इसका परिणाम यह होता है कि नमक ऐसी आवश्यक वस्तु की मांग भी इस मुल्क में कुछ लोचदार हो गई है । गरीब किसान अपने पशुओं को काफी परिमाण में नमक नहीं दे पाते हैं ।



दसवां अध्याय

फिजूलखर्ची

इस बात में बिलकुल मतभेद नहीं है कि जीवन-रक्षक पदार्थ और निपुणता-दायक पदार्थ सब लोगों को सेवन करने चाहिए। इनपर किया गया खर्च हमेशा न्याययुक्त कहा जाता है। बहुत से लोग यह भी मानने को तैयार हैं कि आराम की चीजों पर किया गया खर्च भी असंगत नहीं है क्योंकि इससे भी कार्य-कुशलता बढ़ती है। लेकिन ऐशोआराम और विलासिता की वस्तुओं पर तथा मादक वस्तुओं पर किया गया खर्च बहुधा फिजूलखर्ची में समझा जाता है।

हम यह बतला चुके हैं कि इस बात का निर्णय करना बहुत सरल नहीं है कि कौनसी वस्तु जीवन-रक्षक है, कौनसी ऐशोआराम की है इत्यादि; क्योंकि स्थान, काल तथा मनुष्यों की आर्थिक स्थिति से उपभोग के पदार्थों के वर्गीकरण में भेद हो जाता है। परन्तु हम यह भी बतला चुके हैं कि किन दशाओं में कौनसी वस्तुएँ विलासिता की वस्तुएँ अथवा कृत्रिम आवश्यकता की वस्तुएँ मानी जाती हैं। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस पर किया हुआ खर्च कम हो जाता है अर्थात् जिस वस्तु की मांग की लोच एक से अधिक हांती है तो उसे विलासिता की वस्तु कहते हैं। जिन वस्तुओं के उपयोग करने से कार्यकुशलता

न बढ़े और आदत पड़ जाने अथवा सामाजिक बन्धन के कारण जिन पर किया गया खर्च वस्तु की क्रीमत बढ़ जाने से बढ़ जाता है, उनको कृत्रिम आवश्यकता की वस्तु कहते हैं ।

अगर कोई गरीब किसान एक घड़ी खरीदे तो वह उसके लिए फिजूलखर्ची समझी जावेगा, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए घड़ी आवश्यक समझी जाती है । अगर गरीब किसान अपने और अपने बच्चों को भूखा रखकर अथवा ऋण लेकर घड़ी खरीदता है तो वह अवश्य विलासिता की वस्तु खरीदता है । वह इस द्रव्य से और ऐसी वस्तुएं खरीद सकता था जिससे उसकी कार्य-कुशलता अधिक बढ़ सकती थी, लेकिन अगर एक धनी आदमी जो अपनी प्रारम्भिक आवश्यकताओं को पूरी कर के घड़ी खरीदता है तो वह फिजूलखर्ची नहीं कहलाती है ।

अब हमे इस बात पर विचार करना है कि ऐशो आराम तथा विलासिता की वस्तुओं पर किया गया खर्च कहा तक न्याय-सङ्गत है । बहुत से लोग कहते हैं कि आवश्यकताओं का बढ़ना सभ्यता की उन्नति का चिह्न है । वे लोग कहते हैं कि अगर प्रारम्भिक आवश्यकताओं को ही पूर्ण करके लोग चुन्चाप बैठ जावे तो वह फिर अपनी पुरानी असभ्य दशा को पहुँच जावेगे । आवश्यकता बढ़ती जाती है इसलिए मनुष्य अधिक २ परिश्रम करता रहता है, इस परिश्रम से और नई आवश्यकताएं पैदा होती हैं, फिर नया परिश्रम और उद्योग प्रारम्भ होता है । इस प्रकार मनुष्य सभ्यता की ओर अग्रसर होता जाता है । चूकि जीवन-

रक्षक तथा निपुणतादायक पदार्थ संख्या में परिमित हैं इसलिए अपने परिश्रम को केवल इन्हीं पर लगाने से सभ्यता की उन्नति नहीं हो सकती है। लेकिन आराम की तथा विलासिता की वस्तुएं अपरिमित हैं इसलिए इनके पीछे जो उद्योग किया जावेगा वह भी अपरिमित होगा और इसलिए वह हमको सभ्यता की ओर ले जावेगा।

सब बातें जब तक सिद्धान्त के रूप में कही जाती हैं तब तक किसी विशेष दशा में ठीक मानी जा सकती हैं। परन्तु जब किसी देश में बहुत से मनुष्य भूखों मर रहे हों, बहुत से ऐसे हों जिनका दिन भर में केवल एक बार ही भोजन प्राप्त होता हो तब उस देश के कुछ निवासियों का विलासिता की वस्तुओं का अत्यधिक उपभोग करना राष्ट्रीय दृष्टि से हितकर नहीं है। भारतवर्ष को लीजिए। कितने लोगों को यहाँ केवल जाँवन-रक्षक पदार्थ ही प्राप्त हैं ? निपुणता-दायक पदार्थों और आराम की चीजों को जाने दीजिये। यहाँ के दो तिहाई लोगों को जेल में दिये गये भोजन का दो तिहाई भी प्राप्त नहीं है। जब यहाँ के निवासियों को जीवनरक्षक पदार्थ ही प्राप्त नहीं हैं तो किस प्रकार से विलासिता की वस्तुओं पर किया गया खर्च न्यायसङ्गत कहा जा सकता है। हाँ, जो देश इतने समृद्धिशाली हैं जहाँ प्रत्येक मनुष्य को अच्छा खाना, पीना, पहिना तथा निवास-स्थान प्राप्त हो वहाँ के लोग चाहे तो आराम तथा विलासिता की वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं।

यह कहा जाता है कि विलासिता की वस्तुओं की माँग से

बहुत से लोगों की बेकारी दूर होती है और उनको रोजी भी मिलती है। उदाहरण के लिए आतिशबाजी को लीजिये। व्याह, शादी इत्यादि उत्सव के समय में इस वस्तु का बहुत प्रयोग किया जाता है। इनका उपभोग करनेवाले लोग कहते हैं—हमने अपने इस विलासिता की वस्तु के उपभोग से बहुत से मजदूर लोगों को काम दिया है, उनको मजदूरी देकर भूखों मरने से बचाया है, हमने देश का उपकार किया है इसलिए हमारा यह खर्च फिजूलखर्ची में शामिल नहीं किया जाना चाहिये। अगर ध्यानपूर्वक देखा जाय तो इन लोगों के तर्क की असंगतता मालूम पड़ जाती है। माना कि आतिशबाजी के पदार्थों को पैदा करने से चन्द मनुष्यों को रोजी मिली। लेकिन उस आतिशबाजी से नुकसान कितना हुआ यह उन लोगों ने नहीं विचारा। पहले तो आतिशबाजी से क्षणिक आनन्द होता है। कहां उतना खर्च और कहां क्षणिक आनन्द ! इस आनन्द से भी उपभोक्ताओं की कोई कार्यकुशलता नहीं बढ़ती है। इस बात की आशङ्का रहती है कि कहीं किसी मकान इत्यादि में आग न लग जावे। इसके अलावा इस आतिशबाजी की वस्तुओं को बनाने में देश का इतना द्रव्य, श्रम और पदार्थ अन्य इससे अधिक उपयोगी वस्तुओं को बनाने के बदले आतिशबाजी की वस्तुओं के बनाने में लग गया। इसलिये दूसरे उपयोगी उद्योग-धन्धों में पूँजी और मजदूर कम मिलने से उन उपयोगी वस्तुओं की उत्पत्ति कम हो गई। अतः उन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने से सर्व-

साधारण जनता को हानि उठानी पड़ी। यदि वह पूँजी और श्रम आतशवाजियों के बदले किसी और उपयोगी वस्तु को बनाने में लगाया जाता तो न केवल कुछ लोगों को काम ही मिलता परन्तु वह वस्तु सस्ती हो जाती और जनता को बहुत अधिक लाभ होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि आतशवाजी विलासिता की वस्तु है और उसपर खर्च करना फिजूलखर्ची है। इसी प्रकार नाच, भोज, खेल, तमाशे इत्यादि में भी बहुत सी फिजूलखर्ची शामिल है।

धनवान् लोग प्रायः कहते हैं—रूपया हमारा है हम चाहे उसको कैसे ही खर्च करे, इसमें किसी का क्या बनता विगड़ता है ? यह बात वैयक्तिक दृष्टिकोण से ठीक मालूम होती है। लेकिन अगर समाज के दृष्टिकोण से भविष्य पर भी दृष्टि रखते हुए देखा जाय तो इन लोगों की भूल स्पष्ट हो जाती है। धनी, निर्धन सब समाज के व्यक्ति हैं, अगर समाज के किसी भी अङ्ग में दुःख या कष्ट हो तो अन्त में उससे सारे समाज पर असर पड़े बिना नहीं नहीं रह सकता। अगर सब धनवान् मनुष्य मनमाने तौर पर ऐश आराम और विलासिता के पदार्थों को ही खरीदें और उनके ही रोजगार और व्यवसाय को उत्साहित करे तो इसका नतीजा यह होगा कि जीवनरक्षक और निपुणता-दायक पदार्थों की पैदायश घटती जावेगी। इनकी क्रीमत बढ़ जाने से गरीब लोग और मध्यम श्रेणी के लोग इन वस्तुओं का उपयुक्त परिमाण में सेवन नहीं कर सकेंगे। अतएव

उनका स्वास्थ्य, बल और उत्साह, और इसीलिए उनकी कार्य-निपुणता शिथिल होती जावेगी । इससे उत्पत्ति भी कम और बुरी होती जावेगी जिससे सारे समाज की हानि होगी ।

केवल धनी लोगों का ही विलासिता के पदार्थों पर अथवा मादक वस्तुओं पर किया गया खर्च निन्द्य नहीं, परन्तु गरीब लोगों का इन पदार्थों पर किया गया खर्च और भी अधिक निन्द्य है । धनी लोग तो अपने जीवन-रक्षक और निपुणता-दायक पदार्थों को प्राप्त करके भी विलासिता की वस्तुओं के लिये खर्च करने में समर्थ होते हैं; लेकिन गरीब लोग जब विलासिता की वस्तु खरीदते हैं तो बहुधा वे लोग अपने जीवन-रक्षक पदार्थों और निपुणतादायक पदार्थों में कमी करके इन वस्तुओं को खरीदते हैं । भारतवर्ष में मजदूरों और छोटे शिल्पकारों की दशा देखिये । वे लोग अपनी आमदनी का अधिकांश भाग कृत्रिम आवश्यकता की वस्तुएं जैसे तम्बाकू, शराब, अफीम इत्यादि मादक वस्तुओं के सेवन में खर्च करते हैं । इससे उनके स्वास्थ्य की तथा कार्यकुशलता की हानि होती है जिससे उनकी आमदनी भी घटने की सम्भावना रहती है । घर में उनके बच्चे को पेट भर खाना प्राप्त नहीं होता है । कहां से बच्चों को घी, दूध, शिजा मिल सकती है जिससे वे भविष्य में तन्दुरुस्त और कार्य-कुशल बनें ? इसी प्रकार से गरीब लोगों में जो शादी, गमी इत्यादि के अवसरों पर कृत्रिम-आवश्यकताओं की वस्तुओं में खर्च किया जाता है वह भी

अधिकांश फिजूल-खर्चों है ।

द्रव्य खर्च करने का उत्तम तरीका

अब यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि द्रव्य को खर्च करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ? द्रव्य को इस प्रकार खर्च करना चाहिये जिससे अधिकांश लोगो को अधिकतम सुख मिले । यह किस प्रकार हो सकता है ? मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन-रक्षक पदार्थ और निपुणतादायक पदार्थ पर्याप्त परिमाण में मिलें । जब तक इसका पूरा पूरा इन्तजाम न हो जावे तब तक किसी प्रकार की भी विलासिता की वस्तु अथवा आराम की वस्तु खरीदना फिजूल-खर्चों है और समाज का अनहित करना है । जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जावे तो फिर आराम और विलासिता की वस्तुओं को बर्तना चाहिये । लेकिन ये विलासिता की वस्तुएं ऐसी न होनी चाहिएं जिससे स्वास्थ्य अथवा कार्य-कुशलता की हानि हो, या क्षणिक आनन्द के लिए समाज की बहुत हानि हो । अगर कोई धनी आदमी अपने द्रव्य को बहुमूल्य शराब, मेले और तमाशो में खर्च करे तो क्षणिक आनन्द के पश्चात्/ उसके कुछ और हाथ न आवेगा । लेकिन अगर वह इसी द्रव्य को जायदाद खरीदने में, मकान बनवाने में, पुस्तको और कलाकौशल की वस्तुओं के खरीदने में, अथवा जवाहरात इत्यादि खरीदने में खर्च करे तो ये चीजो चाहे उस वक्त/ उसके कम काम में आवें परन्तु ये उसके पास एक तरह की पूंजी के रूप में हो जाती हैं,

आवें, जो कि समय पर बेची जा सकती हैं, अथवा भविष्य में उसको काम में आसकती हैं। इन टिकाऊ वस्तुओं पर किया गया खर्च एक प्रकार से भविष्य के उपभोग के लिए रक्षित द्रव्य है।

टिकाऊ वस्तुओं पर किये गये खर्च के सम्बन्ध में भी एक बात ध्यान में रखने के योग्य है। ये वस्तुएँ ऐसी नहीं होनी चाहिये जिससे समाज का उपकार न हो। अगर नदी के किनारे एक कूवा बनाया जाय तो शायद उस पर खर्च की गई पूंजी और श्रम से बहुत कम फायदा होगा। इसी प्रकार अगर ऐसे मकान बना दिये जावे जिनमें कोई न रह सके तो उनपर किया खर्च भी फिजूल खर्ची में आवेगा।

कृत्रिम-आवश्यकताओं की वस्तुओं में शराब, अफीम, नाच, तमाशे इत्यादि कई एक ऐसी बातें शामिल हैं जिनको दूर करने का सब को प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षा की वृद्धि से इस काम को करने में सुगमता हो सकती है।

इस क्रम से अगर द्रव्य को खर्च करने का प्रयत्न किया जाय तो सभ्यता की अवनिति कदापि नहीं हो सकती है। इसके विपरीत समाज शक्तिशाली और समृद्ध बनेगा जो कि सभ्यता की वृद्धि के वास्तविक चिह्न हैं।

प्रत्येक व्यक्ति को अपने खर्च पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। कृत्रिम आवश्यकताओं की वस्तुओं पर खर्च करने की आदत धीरे धीरे कम करना चाहिये जिससे वह खर्च शीघ्र

बंद हो जाय। ऐशो-आराम और विलासिता की वस्तुओं पर भी खर्च कम करके बचे हुए द्रव्य को जीवन-रक्षक पदार्थ अथवा निपुणतादायक पदार्थों पर लगाना चाहिये अथवा उसे भविष्य में आपत्ति के समय उपयोग करने के लिये अच्छे बैंक में जमा कर देना चाहिये। इस प्रकार सोच विचार कर खर्च करने से प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम सुख और संतोष होगा। उपर्युक्त नियमों को पालन करने से कोई भी व्यक्ति बिना अपनी आमदनी बढ़ाये भौतिक वस्तुओं से प्राप्त अपना सुख बढ़ा सकता है और अपना तथा समाज का भला कर सकता है।



ग्यारहवां अध्याय

रहन-सहन का दर्जा

यह तो हम देख ही चुके हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं असंख्य होती हैं, फिर भी प्रत्येक मनुष्य अथवा प्रत्येक परिवार अपनी आर्थिक दशा तथा अन्य परिस्थितियों के कारण कुछ निश्चित वस्तुओं का उपभोग करता रहता है। इन वस्तुओं के उपभोग का उसको अभ्यास पड़ जाता है। इस उपभोग के क्रम में बहुत कम बदलाव होता है और अगर बदलाव होता भी है तो बहुत धीरे धीरे होता है। मनुष्य या परिवार जिन जिन वस्तुओं का उपभोग करता है उससे हम उसके रहन सहन के दर्जे का पता लगा सकते हैं। चूंकि प्रत्येक मनुष्य अथवा प्रत्येक परिवार एक दूसरे से सभी बातों में कभी भी मिलता जुलता नहीं है इसलिये जितने परिवार हैं उतने रहन सहन के दर्जे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी साधारणतः प्रत्येक देश में नीचे लिखे अनुसार कम से कम चार रहन सहन के दर्जे अवश्य दीख पड़ते हैं—

(१) पहिले दर्जे में वे लोग शामिल हैं जिनको अपने जीवन निर्वाह-मात्र वस्तुओं का भी समुचित ठिकाना नहीं रहता है। कभी कभी उनको कई दिनों तक उपवास करना पड़ता है। इनको भिक्षा मांगने तथा बहुत गहरे ऋण में डूबने की नौबत आजाती

है। बड़ी मुश्किल से ये लोग अपने प्राणों की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। इसको दरिद्र रहन-सहन का दर्जा कहना चाहिये।

(२) दूसरा दर्जा उन लोगों का है जिनको केवल साधारण जीवन-रक्षक पदार्थ ही प्राप्त हो सकते हैं। इनके दर्जे को न्यूनतम-जीवन-निर्वाह का दर्जा कहते हैं। इनको निपुणतादायक पदार्थ बहुत थोड़े से—नहीं के बराबर—मिलते हैं। दोनों समय रूखा सूखा भोजन, फटा पुराना मोटा कपड़ा तथा एक टूटा फूटा मकान इन्हीं से ये लोग जीवन निर्वाह करते हैं।

(३) तीसरे दर्जे को तन्दुरुस्ती तथा आराम का रहन-सहन का दर्जा कहते हैं। इस दर्जे के लोगों को जीवन-रक्षक-वस्तुएं तो सब मिलती ही है, लेकिन इसके अलावा इनको निपुणता-दायक पदार्थ और आराम की वस्तुओं की कमी नहीं रहती है। ये लोग खूब अच्छा पुष्टिकारक खाना खाते, अच्छा स्वच्छ कपड़ा पहिनते हैं और अच्छे हवादार बड़े मकान में रहते हैं। ये अन्य निपुणता-दायक तथा आराम की वस्तुओं का भी सेवन करते हैं। इन लोगों की कार्यकुशलता बहुत बढ़ी चढ़ी होती है।

(४) चौथे दर्जे के लोग विलासिता का जीवन व्यतीत करते हैं। ये वे रईस और धनसम्पन्न लोग हैं जिनको किसी बात की कमी नहीं है। जिस वस्तु को चाहे खरीदे और उसका उपभोग करें। वे खूब बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करते हैं, शानदार बेशकीमती कपड़ा पहिनते हैं, आलीशान बाग बगीचों वाले महलों में रहते हैं, दावत, साहित्य, संगीत, कला, यात्रा इत्यादि में हजारों रुपया

खर्च कर देते हैं। इन लोगों का दर्जा विलासिता का रहन-सहन का दर्जा कहा जाता है।

रहन-सहन के दर्जों का यह वर्गीकरण बिलकुल पूर्ण नहीं है। कई एक मनुष्य ऐसे मिलेंगे जो कि किन्हीं दो दर्जों के मध्य में हों। कई लोग शायद इन दर्जों में से किसी में भी न रखे जा सकें, क्योंकि वे कुछ कुछ प्रत्येक दर्जे के लोगों में शरीक हों। लेकिन मनुष्यों के स्वभाव, आचार, व्यवहार की भिन्नता को दृष्टि रखते हुए (काम चलाने के लिए) रहन-सहन का यह वर्गीकरण उपयुक्त प्रतीत होता है।

ऊपर लिखी हुई बातों से प्रकट होता है कि किसी भी मनुष्य के अथवा परिवार के रहन-सहन का दर्जा बहुत कुछ उसकी आर्थिक दशा पर अवलम्बित रहता है। जितनी आमदनी होगी उतना ही खर्च भी किया जा सकेगा। इसलिए हम देखते हैं कि साधारणतः एक ही आमदनी वाले परिवारों का रहन-सहन का दर्जा करीब करीब समान होता है। इसलिए जब हम एक ही देश में किन्हीं दो कालों के रहन-सहन के दर्जे की तुलना करना चाहे तो हम साधारणतः दोनों कालों में समान आमदनी वाले दर्जों की तुलना करते हैं। तथा जब हम दो मुल्कों के लोगों के रहन-सहन के दर्जे की तुलना करते हैं तो भी हम दोनों मुल्कों में समान आमदनी वाले दर्जों की एक दूसरे से तुलना करते हैं। यह आगे बतलाया गया है कि जब हम आर्थिक स्थिति के अनुसार तुलना करते हैं तो हमको यह मान लेना पड़ता है कि और सब

चाते समान हैं जो कि समान नहीं होती हैं ।

किसी देश में कितने लोग किस रहन-सहन के दर्जे में हैं, इसका पता लगाने के लिए हमको इस बात का निश्चय करना पड़ता है कि अमुक आमदनी तक के लोग दरिद्र रहन-सहन के दर्जे में हैं, अमुक आमदनी से अमुक आमदनी तक के लोग न्यूनतम-जीवन निर्वाह के दर्जे में रहते हैं इत्यादि । इसको जान लेने के बाद हम कह सकते हैं कि किसी एक काल में किसी देश के लो गों में इतने की सदी आराम के दर्जे में, इतने की सदी विलासिता के दर्जे में रहते हैं इत्यादि । यह जान लेने पर हम एक मुल्क की आर्थिक स्थिति तथा समाज की उन्नति का किन्ही दो कालों में तुलना कर सकते हैं तथा किसी एक काल में एक दूसरे मुल्क से भी तुलना कर सकते हैं ।

यह कहा जाता है जिस देश में प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी अधिक होगी, उस देश के लोगों का रहन-सहन का दर्जा अन्य देशों के लोगों के रहन-सहन के दर्जे से ऊँचा होगा । किसी देश में प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी, उस देश की कुल आमदनी में वहाँ के निवासियों की संख्या से भाग देने से प्राप्त होती है । यह आमदनी उस देश के प्रत्येक व्यक्ति की औसत आमदनी है न कि असली आमदनी । लेकिन रहन-सहन के दर्जे की तुलना के लिए इस औसत आमदनी के साथ साथ उस देश के लोगों में सम्पत्ति का असली वितरण भी ध्यान में रखना चाहिये । औसत आमदनी रहन-सहन को मापने का सही साधन नहीं है ।

इसके अलावा आमदनी उपभोग की वस्तुओं के सिवाय उत्पादक वस्तुओं में भी खर्च की जाती है। लेकिन रहन-सहन के दर्जे को जानने के लिए हमको उपभोग की वस्तुओं में खर्च की गई आमदनी लेनी चाहिए।

इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए हम एकदम से यह नहीं कह सकते कि अमुक देश की प्रति व्यक्ति आमदनी दूसरे देश से अधिक है, इसलिए पहिले देश के लोगों का रहन सहन दूसरे देश के लोगों के रहन सहन से ऊँचा है। हां, हम इतना कह सकते हैं कि अगर दो देशों में और बातें समान हों तो जिस देश में प्रति व्यक्ति आमदनी अधिक है, उस देश के लोगों में अपने रहन-सहन को ऊँचा करने की अधिक गुञ्जायश और सामर्थ्य है।

अब हम द्रव्य के अलावा उन बातों का विवेचन करते हैं जो कि रहन-सहन पर प्रभाव डालती हैं।

पहले हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि तुलना करने के लिए केवल द्रव्य का ही विचार नहीं करना चाहिये, लेकिन हमें द्रव्य की क्रय-शक्ति ध्यान में रखनी चाहिए। द्रव्य की क्रय-शक्ति दो कालों में अथवा दो देशों में एक सी नहीं होती है। द्रव्य की क्रय-शक्ति को जानने के लिए हमको कीमत सूचक अङ्क, साधारण इंडेक्स नम्बरों (Index number of Prices) को मालूम करना पड़ता है। इसलिए दो कालों के अथवा दो मुल्कों की रहन-सहन की तुलना करने के पहले यह

नितान्त आवश्यक है कि द्रव्य की क्रय-शक्ति का ध्यान रख कर उचित सशोधन कर लिया जावे ।

इसके अलावा और भी कई एक महत्त्वपूर्ण बातें रहन-सहन पर असर डालती है। कोई आदमी लाखपति अथवा करोड़पति होने पर भी संभव है कि उसका रहन-सहन निपुणतादायक तथा सुख देनेवाला न हो। उसके शरीर की अवस्था, स्वास्थ्य और पाचन क्रिया इतनी खराब हो कि वह उपभोग की वस्तुओं से कुछ भी आनन्द न प्राप्त कर सके। इसके विपरीत एक स्वस्थ, हृष्टपुष्ट परन्तु गरीब मनुष्य उपभोग के साधारण पदार्थों में से ही बहुत आनन्द प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः आनन्द उपभोग के पदार्थों में नहीं परन्तु उपभोक्ता में होता है। अगर धनी उपभोक्ता खूब बढ़िया वस्तुओं से वह आनन्द न प्राप्त कर सका जो कि एक साधारण मनुष्य साधारण वस्तुओं से प्राप्त कर सका है तो हम नहीं कह सकते कि धनी मनुष्य साधारण मनुष्य से भौतिक दृष्टि से ही अधिक सुखी है।

कई एक मनुष्यों में ऐसी खराबियाँ और रोग हो जाते हैं जिनसे उनके रहन-सहन पर बहुत असर पड़ता है। आँख, कान, त्वचा, आंत इत्यादि में खराबी होने अथवा और बुरे रोगों से पीड़ित रहने से मनुष्य उपभोग की वस्तुओं से पर्याप्त तृप्ति और आनन्द नहीं प्राप्त कर सकता है।

इसके साथ साथ कई लोग जो पहले मन और शरीर से बहुत स्वस्थ होते हैं, वे लापरवाही के कारण अनाप शनाप

वस्तुओं के सेवन करने से अपने को बरबाद कर देते हैं । यह बरबादी बुरे स्थानों में रहने, शराब इत्यादि हानिकारक पदार्थों के सेवन करने, बुरी संगति तथा कुविचारों का फल है । ऐसे लोग उपभोग की वस्तुओं से उतना आनन्द नहीं प्राप्त कर सकते हैं जितना कि वे अपनी स्वस्थ दशा में कर सकते थे ।

प्रायः यह देखा जाता है कि कई एक मनुष्य थोड़ी आमदनी से भी बराबर अथवा उससे अधिक आमदनी वाले लोगों की अपेक्षा अच्छी तरह रहते हैं । ५०) ६० मासिक आय वाले एक क्लर्क का रहन-सहन ७०) ६० या इससे भी अधिक आय वाले क्लर्क से ऊँचा हो सकता है । इसका कारण यह है कि सब लोगों में उपभोग के वस्तुओं पर द्रव्य खर्च करने की तथा उन वस्तुओं के उपभोग की योग्यता एक सी नहीं होती है । वस्तुएँ खरीदने के लिए कई लोग अपने साथ अनुभवी मनुष्यों को ले जाते हैं, क्योंकि उनको यकीन रहता है कि उनके द्वारा वे अच्छी चीज सस्ते दामों में खरीद सकते हैं । इसी प्रकार घर में कई स्त्रियाँ थोड़े से सामान से भी उन बढ़िया वस्तुओं को बना लेती हैं जिनको अन्य लापरवाह और अनभिज्ञ स्त्रियाँ उससे अधिक सामान से भी नहीं बना सकतीं । इस प्रकार की योग्यता तथा अनुभव का रहन-सहन पर बहुत प्रभाव पड़ता है ।

पारिवारिक आय-व्यय

किसी परिवार के रहन-सहन का पता लगाने के लिए उस

परिवार के बजट अथवा आय-व्यय अनुमान पत्र का जानना जरूरी होता है। बजट से यह मालूम हो जाता है कि उक्त परिवार की आमदनी कितनी है, उस परिवार में कितने प्राणी हैं, रहने के लिए कितने कमरे हैं, और यह भी मालूम होता है कि वह परिवार भिन्न भिन्न पदार्थों में कितना खर्च करता है। बजट से यह भी मालूम होता है कि वह परिवार कुछ बचाता है या नहीं अथवा ऋणग्रस्त है या नहीं। जो कम आमदनी वाला तथा अधिक प्राणियों वाला परिवार होगा, उसकी आमदनी का अधिकांश भाग जीवन-रक्षक पदार्थों में खर्च हो जावेगा। निपुणतादायक पदार्थों तथा ऐशो-आराम की चीजों के लिए उसके पास द्रव्य न बचेगा। लेकिन आमदनी बढ़ने के साथ साथ जीवन-रक्षक पदार्थों में कम अनुपात में खर्च होगा और आराम और विलासिता की वस्तुओं में अधिक अनुपात में खर्च होने लगेगा। अगले अध्याय में भारतवर्ष के दो तीन परिवारों के बजटों पर विवेचन किया गया है।

एक जर्मन लेखक डाक्टर एजिल ने योरोपीय देशों के बहुत से पारवारिक बजटों को इकट्ठा करके विशेष ध्यानपूर्वक उनका अध्ययन किया है। उनके अध्ययन के अनुसार भिन्न दर्जे के परिवारों की आमदनी का औसत प्रतिशत खर्च भिन्न वस्तुओं पर अगले पृष्ठ पर लिखे अनुसार था।

पदार्थ	मजदूर के परिवार का खर्च	मध्यम श्रेणी के परिवार का खर्च	सम्पन्न परिवार का खर्च
जीवन निर्वाह	६२ प्रतिशत	५५ प्रतिशत	५० प्रतिशत
वस्त्र	१६ "	१८ "	१८ "
मकान का किराया	१२ "	१२ "	१२ "
रोशनी और लकड़ी } कोयला, इत्यादि }	५ "	५ "	५ "
शिक्षा	२ "	३.५ "	५.५ "
टैक्स (कर)	१ "	२ "	३ "
स्वास्थ्य-रक्षा	१ "	२ "	३ "
अन्य	१ "	२.५ "	३.५ "
	१००	१००	१००

इस कोष्ठक से डाक्टर एञ्जेल ने निम्नलिखित परिणाम निकाले हैं :—

(१) कम आमदनी वाले परिवार का अधिकांश भाग जीवन-निर्वाह में खर्च हो जाता है।

(२) वस्त्र पर प्रत्येक परिवार में प्रतिशत खर्च लगभग बराबर होता है। अर्थात् ५०) रु० आमदनीवाले का वस्त्र में करीब ८) रु० खर्च होता है तो १००) रु० आमदनी वाले का १६) रु०, १०००) रु० आमदनी वाले का करीब १६०) रु० खर्च होता है।

(३) इसी प्रकार किराये में, रोशनी और ईंधन में भी प्रत्येक परिवार में प्रतिशत खर्च बराबर होता है।

(४) अधिक आमदनीवाले परिवार का शिक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा, परिचर्या इत्यादि में प्रति-शत खर्च बढ़ जाता है।

रहन-सहन का दर्जा ऊँचा करने के लिए यह नितान्त आवश्यक नहीं है कि आमदनी में वृद्धि हो। शिक्षायुक्त मनुष्य ऐसे पदार्थों का सेवन करेगा जिससे उसकी कार्य-कुशलता बढ़े, आमदनी बढ़े तथा रहन-सहन भी ऊँचा हो। ऐसे मनुष्यों का परिवार भी बहुत बड़ा नहीं होता है।

इन्द्रिय-निग्रह से जन-संख्या की वृद्धि कम होती है, इसलिए मनुष्यों को अधिक उपभोग की वस्तुएँ मिलने की सम्भावना रहती है। इससे भी रहन-सहन अच्छा हो सकता है।

स्थान-परिवर्तन से कभी कभी मनुष्यों की आमदनी बढ़ने से उनके रहन-सहन का दर्जा ऊँचा हो जाता है।

देशाटन करने से तथा अच्छी बातों को सीखने से भी रहन-सहन का दर्जा ऊँचा हो जाता है। इसलिए यात्रा तथा शिक्षा प्रचार के लिए जितनी अधिक सुविधा होगी, उतनी ही अधिक वृद्धि रहन-सहन में हो सकेगी।



बारहवां अध्याय

भारतवासियों का रहन-सहन

पिछले अध्याय में जन-साधारण के रहन-सहन का विवेचन कर आये हैं। इस अध्याय में उसी सिलसिले में हम भारत-वासियों के रहन-सहन पर बिचार करते हैं।

भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। यहां की जन-संख्या में से ७२ फी सदी लोग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से सम्बन्ध रखते हैं। इसी कारण से यहां के निवासियों में करीब ९० फी सदी लोग गांव में रहते हैं।

बहुधा प्रत्येक कृषि-प्रधान देश में यह देखा जाता है कि वहां के अधिकांश लोग गरीब होते हैं। कृषि एक ऐसा धन्धा है जो कि प्रकृति के खिलवाड़ पर बहुत अधिक निर्भर रहता है। अधिक वर्षा हो, कम वर्षा हो, ठीक समय वृष्टि न हो, पाला पड़ जाय इत्यादि प्रकृति के व्यापार से कृषक-लोगों का तथा उनसे सम्बन्ध रखने वाले लोगों का जीवन-क्रम बहुत अनिश्चित हो जाता है। खास कर भारतवर्ष में जहां कि प्रकृति को वश में करने के साधनों की अभी बहुत कमी है, कृषि प्रकृति पर ही निर्भर रहती है।

भारतवर्ष के कृषि प्रधान देश होने पर भी यहां की जनसंख्या

मे बहुत वृद्धि हो रही है इसलिये हम यह आशा नहीं कर सकते कि यहां के जनसाधारण का रहन-सहन बहुत ऊँचा हो सकता है। फिर भी यह मालूम करना एक महत्व की बात है कि यहां के लोगों का रहन-सहन कैसा है। इस बात को जानने के लिए हमको यहां के निवासियों को उनकी आमदनी के अनुसार भिन्न भिन्न दर्जों में रख कर, प्रत्येक दर्जे का अलग अलग विवेचन करना पड़ता है। एक दर्जे के लोगों के रहन-सहन से सारे भारत-वर्ष के रहन-सहन के बारे में अनुमान नहीं कर सकते।

पहिले हम उन लोगों के रहन-सहन पर विचार करते हैं जिनकी आमदनी (१,०००) रु० मासिक तथा उससे अधिक है। ऐसे लोगों की संख्या भारतवर्ष में बहुत कम है। इस दर्जे में बड़े ओहदेवाले लोग जैसे इण्डियन सिविल सर्विस के लोग बड़े बड़े जमींदार, तालुकेदार, बड़े वकील, डाक्टर इत्यादि, तथा बड़े बड़े कारखानों के मालिक इत्यादि इत्यादि लोग शामिल हैं। इन लोगों के रहन-सहन का दर्जा बहुत ऊँचा रहता है। ये लोग निपुणतादायक और आराम की वस्तुओं के अतिरिक्त ऐशो-आराम की वस्तुओं का भी बहुतायत से सेवन करते हैं।

दूसरे दर्जे के लोग वे हैं जिनकी आमदनी (५००) रु० से (१,०००) रु० मासिक तक है। इस दर्जे में पहिले दर्जे से कुछ छोटे ओहदे के लोग जैसे प्रान्तिक सिविल सर्विस के लोग, यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर लोग, वकील, डाक्टर, जमींदार और उद्योग-धन्धे में लगे हुए तथा व्यापारी लोग भी शामिल हैं। इन लोगों को जीवन-रक्षक,

निपुणता-दायक पदार्थ पर्याप्त रूप से मिलते हैं । ऐशो-आराम की चीजों का भी ये लोग काफी इस्तमाल करते हैं । कई एक लोग मोटरकार भी रखते हैं । प्रयाग विश्वविद्यालय के एक छात्र ने एक डिप्टी कलेक्टर के नवम्बर १९२७ का पारिवारिक आय-व्यय का बजट बनाया है । उस परिवार में आठ प्राणी हैं । तीन बड़े और पांच छोटे । उसकी उस महीने की कुल आमदनी ६६७) रु० थी और कुल खर्च ६४३) रु० था । कुल खर्च में से १५७) रु० खाने के पदार्थों में; ३०) रु० २ आ० रोशनी तथा ईंधन में; वस्त्र, जूते, आभूषण, फर्नीचर इत्यादि में औसतन ९५) रु० ९ आ० ६ पा०; विद्या, औषधि, सेवक, टैक्स, दान, यात्रा, और कृत्रिम आवश्यकताओं की वस्तुओं में औसतन २९४ रु० १४ आ०, तथा मकान का किराया और मरम्मत में ६५) रु० खर्च हुआ । उस महीने में कुल बचत २४) रु० हुई । उपसंहार में वह छात्र लिखता है कि इस परिवार में रहन-सहन का दर्जा काफी ऊँचा है, अच्छे तथा क्रीमती वस्त्रों का अधिक उपभोग किया जाता है, अच्छा पुष्टिकारक भोजन किया जाता है, रहने को एक बड़ा साफ सुथरा मकान है, साहित्य, संगीत, कला, इत्यादि का प्रचार अधिक हो रहा है और सफाई, चिकित्सा इत्यादि का काफी ध्यान रखा जाता है ।

तीसरे दर्जे में हम उन लोगों को शामिल करेंगे जिनकी आमदनी १००) रु० से ५००) रु० माहवार तक है । इस दर्जे में सभी उद्योग-धन्धों के कुछ न कुछ लोग शामिल हैं । इन लोगों

के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि इनका रहन-सहन अच्छा है। इनको जीवन-रक्षक तथा निपुणता-दायक पदार्थ पर्याप्त मिल जाते हैं। लेकिन ऐशो आगम की वस्तुएं कुछ कम मिलती हैं। फिर भी अगर ये लोग अपनी आमदनी का सदुपयोग करे तो बहुत अच्छी जिन्दगी बसर कर सकते हैं।

चौथे दर्जे में वे लोग हैं जिनकी मासिक आमदनी ४०) रु० से १००) रु० तक है। इन लोगों में क्लर्क लोग, स्कूल के अध्यापक, छोटे छोटे व्यवसायों के लोग इत्यादि शामिल हैं। ये लोग जीवन-रक्षक पदार्थ पा जाते हैं। लेकिन निपुणता-दायक पदार्थ इनको पर्याप्त परिमाण में नहीं मिलते हैं। अगर ये लोग ऐशो-आराम की वस्तुओं का सेवन करते हैं तो जीवन-रक्षक तथा निपुणता-दायक पदार्थों में कमी करके इन वस्तुओं को खरीदते हैं। नहीं तो इनकी आमदनी इतनी नहीं है जिससे ये ऐशो-आराम की वस्तुओं का सेवन कर सकें। प्रयाग विश्वविद्यालय के अनेक छात्रों ने क्लर्क लोगों के पारिवारिक आय व्यय के बजट तैयार किये हैं जिनमें से एक क्लर्क के बजट का यहाँ विवेचन किया जाता है। इस परिवार में पति, पत्नी तथा तीन बच्चे हैं। इसकी मासिक आमदनी ४५) रु० थी और कुल खर्च दिसंबर १९२७ का करीब ३४।।) रु० था जिसमें से करीब २४) रु० खाने पीने में, ३) रु० ईंधन और रोशनी में, ८।।।) वस्त्र जूते इत्यादि में, ६) विद्या, औषधि तथा कृत्रिम आवश्यकता की वस्तुओं इत्यादि में खर्च हुआ था, इस परिवार के बजट को सूक्ष्म दृष्टि से

देखने पर मालूम होता है कि खाने पीने, तथा पहिनने के लिए साधारण वस्तुओं का उपयोग होता है। आमदनी का अधिकांश भाग इन्ही में निकल जाता है। विद्या, स्वास्थ्य और आमोद प्रमोद की वस्तुओं पर बहुत कम खर्च होता है। रहने के लिए केवल तीन छोटे छोटे कमरे हैं। इनसे स्पष्ट है कि रहन-सहन का दर्जा बहुत साधारण है।

पांचवें दर्जे में वे लोग शामिल हैं जिनको आमदनी १५) से ४५) रु० माहवार तक है। इन लोगों में अधिक लोग मजदूर, किसान, छोटे छोटे क्लर्क, गांव के अध्यापक इत्यादि लोग शामिल हैं। भारतवर्ष के अधिांश लोग इसी दर्जे में हैं।

पहले हम श्रमजीवियों के रहन-सहन पर विचार करते हैं। सन् १९२१—२२ में बम्बई प्रान्त के श्रमजीवी विभाग के मिस्टर जी० फिण्डले शिराज की अध्यक्षता में बम्बई शहर में रहने वाले श्रमजीवियों के खर्च की जाँच की थी। २४७३ श्रमजीवियों के परिवार के और ६०३ अकेले पुरुषों के पारिवारिक बजट इकट्ठा किये गये थे। इन परिवारों में सभी जाति के और सभी कारखानों के लोग शामिल थे। कुल परिवारों में ९० फ्रीसदी परिवार हिन्दुओं के थे।

आमदनी के अनुसार परिवारों का अगले पृष्ठ पर दिये हुये कोष्ठक के अनुसार वर्गीकरण किया गया था:—

कुल परिवार की मासिक आमदनी	परिवारों की संख्या	कुल का प्रतिशत
३०) रु० साहवार से कम	६८	२.७
३०) रु० और ४०) के अन्तर्गत	२७२	११.०
४०) रु० " ५०) " "	८३५	३३.७
५०) रु० " ६०) " "	५३९	२१.८
६०) रु० " ७०) " "	४८४	१९.६
७०) रु० " ८०) " "	१६७	६.८
८०) रु० " ९०) " "	७०	२.८
९०) रु० से अधिक	३८	१.६
	<u>२४७३</u>	<u>१००.०</u>

मुख्य मुख्य वस्तुओं में खर्च इस प्रकार विभाजित पाया गया था ।

खाने की चीजें	५६.८ प्रतिशत
ईंधन और रोशनी	७.४ "
वस्त्र	९.६ "
मकान का किराया	७.७ "
अन्य चीजें	१८.५ "
	<u>१००.०</u>

इन बजटों पर विचार करने पर यह पाया गया कि गरीब परिवारों में केवल खाने पीने में करीब ६० प्रति शत खर्च हो जाता था । घी, दूध इत्यादि निपुणतादायक पदार्थों में कुछ खर्च नहीं किया जाता था । प्रोफेसर शिराज का कहना है कि किसी श्रमजीवी को प्रायः कैंदी से कम परिमाण में खाना मिलता है ।

मकान बख्त, रोशनी की दशा और भी भयानक है । जांच किये गये परिवारों में ९७ प्रतिशत केवल एक कमरे में अपनी गुज़र करते पाये गये थे । इस कमरे में भी सफ़ाई, रोशनी इत्यादि का बहुत खराब इन्तज़ाम था । इस कारण मृत्यु संख्या बहुत ज्यादा थी । १९२१ में १००० पैदा बच्चों में ८२८ बच्चे एक वर्ष से कम उम्र में ही मर गये थे । इस प्रकार रहने से यह फल होता था कि लोग बीमार पड़ जाते थे । उनमें शराब पीना, इत्यादि और भी बुरे व्यसन पाये गए थे ।

अन्य खर्चों में बर्तन, साबुन, दवा, यात्रा, शिक्षा, कर्ज पर सूद, तम्बाकू शराब इत्यादि वस्तुएं शामिल हैं । इसमें से अधिकांश शराब में और सूद में खर्च होता था । सूद को दर ७½ प्रतिशत से १५० प्रति शत तक थी । शिक्षा में और स्वास्थ्य के संबंध में बहुत ही कम खर्च किया जाता था ।

इस विवरण से स्पष्ट है कि श्रमजीवियों की दशा कितनी खराब है । उन लोगों को भर पेट खाने को भी नहीं मिलता, निपुणतादायक पदार्थों की बात जाने दीजिये । शिक्षा, व्यायाम इत्यादि शारीरिक तथा मानसिक शक्ति को बढ़ाने का कुछ भी प्रबन्ध न होने से इन लोगों का स्वास्थ्य गिरता जाता है और ये लोग दुर्व्यसनों की ओर आकृष्ट होते जाते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि इनकी कार्य-कुशलता कम होती जाती है और आमदनी भी घटती जाती है । इससे इनकी सन्तान भी कम जोर होती है और उनकी कार्य-कुशलता भी बहुत कम होती

है। यह बुरा असर फैलता और बढ़ता जाता है।

अन्तिम दर्जे में वे लोग शामिल हैं जिनकी मासिक आमदनी १५) से कम है। इनमें अधिकांश गरीब किसान और मजदूर शामिल हैं। गरीब किसानों की दशा मजदूरों से भी दर्दनाक है। मजदूरों को तो कुछ न कुछ नियमित मजदूरी मिलती रहती है, लेकिन किसानों की आमदनी अधिकतर प्रकृति पर निर्भर रहती है। इसलिए इनकी आमदनी विलकुल अनिश्चित रहती है।

भारतवर्ष के किसानों की आमदनी बहुत ही कम है। प्रयाग विश्वविद्यालय के एक अन्वेषक छात्र (Research scholar) ने खोज करके यह पता लगाया है कि संयुक्त प्रान्त के अधिकांश किसानों की वार्षिक आमदनी ५०) रु० और ९०) रु० के दर्मियान है। इस आमदनी से हम अनुमान कर सकते हैं कि इन लोगों का रहन-सहन का दर्जा कैसा होगा। इन लोगों को साल भर में हमेशा दो मर्तवा रूखा-सूखा भोजन भी प्राप्त नहीं होता है। वस्त्र इन लोगों का बहुत ही साधारण और फटा और मैला दिखलाई देता है। रहने के लिए ये लोग एक साधारण छप्पर में ही गुजर करते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि जो परिवार बहुत गरीब होता है उसमें जन-संख्या बहुत अधिक होती है। गरीब किसानों के बच्चे केवल एक वस्त्र पहिने हुए ब कभी कभी बिना वस्त्र के ही घूमते दिखलाई पड़ते हैं। इनके लिए दूध, घी तो अलग रहा, दोनों वस्तु अच्छा खाना तक प्राप्त नहीं होता है। उनकी शिक्षा इत्यादि का कोई उचित प्रबन्ध नहीं है।

भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा किसान हो जो ऋण में डूबा हुआ न हो। इन लोगों का व्यवसाय ही ऐसा है जिसमें विना ऋण लिए हुए काम नहीं चलता है। पहले तो बीज, पशु तथा औजारों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। इसके अलावा शादी, उपनयन इत्यादि अवसरों पर कर्ज लेना अनिवार्य हो जाता है। व्याज की दर बहुत ज्यादा रहती है। किसान विचारा व्याज ही नहीं चुका सकता है, मूलधन चुकाने की बात कौन कहे। इसके अलावा सरकारी लगान भी उसको देना पड़ता है। इसमें भी उसकी आमदनी का एक काफी बड़ा हिस्सा निकल जाता है।

ऐसी स्थिति में हम लोग किसानों के कष्टों का अन्दाज़ नहीं लगा सकते हैं। भारतवर्ष का किसान सहनशील और शान्तिप्रिय होता है। वह जैसे तैसे अपना निर्वाह करता जाता है। इसलिए कई लोगों का यह खयाल है कि किसान सुखी रहना है। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक इनकी दशा देखी जाय तो पता चलता है कि कितने कष्ट और श्रम से वह अपनी और अपने परिवार की जीवन रक्षा करने में समर्थ होता है।

क्या अधिकांश भारतवासियों का रहन-सहन बढ़ रहा है ?

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भारतवासियों के रहन-सहन का दर्जा ऊँचा हो रहा है या नीचे गिर रहा है। इस विषय में दो मत हैं एक सरकारी और दूसरा गैर-सरकारी। सरकारी मत के अनुसार रहन-सहन ऊँचा होता जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि भारतवर्ष में आने वाले माल (आयात) की वृद्धि हो रही

है जिनमें से अधिकांश माल विलासिता और ऐशो-आराम को वस्तु है। इससे ये लोग परिणाम निकालते हैं कि भारतवासियों की आमदनी बढ़ गई है इसलिए उनका रहन-सहन भी बढ़ गया है। लेकिन उनका यह तर्क ठीक नहीं है। विलासिता की वस्तुओं के अधिक सेवन होने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि धनी लोग उन वस्तुओं का अधिक सेवन करने लगे हो जिससे उनका रहन-सहन ऊँचा हो गया हो। लेकिन केवल धनी लोगों के रहन-सहन के बढ़ने से यह नहीं कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण भारतवासियों का रहन-सहन बढ़ गया है क्योंकि कुल जनसंख्या में धनी लोगों की संख्या बहुत ही कम है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि लोग जीवनरक्षक और निपुणता-दायक पदार्थों में खर्च घटा करके विलासिता की वस्तुएं खरीदते हो।

सरकारी लोगों का कहना यह भी है कि लोग अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं, जूतों का व्यवहार भी बढ़ रहा है, मकान अच्छे बन रहे हैं, डाक, तार, रेल इत्यादि पर का खर्च भी बढ़ रहा है। चाय, पान, सिगरेट इत्यादि पर भी खर्च बढ़ रहा है इसलिए लोगों का रहन-सहन भी बढ़ रहा है। ऊपर लिखे गये दो कारणों द्वारा ही हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि यह तर्क भी ठीक नहीं है।

आजकल के बड़े बूढ़ों की राय में भारतवर्ष का पतन हो रहा है। सत्तर अस्सी साल की उम्र के वे लोग अपने हृष्टपुष्ट और बली शरीर से आजकल के नवयुवकों के शरीर की तुलना

करके ही बतलाते हैं कि आजकल के लोगों का रहन-सहन किस प्रकार का है। उन लोगों का कहना है कि उनकी युवावस्था में वे लोग पौष्टिक पदार्थों का सेवन करते थे, व्यायाम इत्यादि स्वास्थ्यवर्द्धक बातों का विशेष ध्यान रखते थे। उनकी राय में आजकल के लोग द्रव्य का खर्च तो उनसे अधिक करते हैं लेकिन वह ऐसी वस्तुओं में खर्च करते हैं जिनसे उनकी शारीरिक तथा मानसिक शक्ति को उन्नति होने के बजाय उसका ह्रास होता है। आजकल के लोगों में कार्य करने की शक्ति, जोश और उत्साह बहुत कम रहता है। ये लोग प्रायः अल्पायु होते हैं। इन सब कारणों से वे लोग कहते हैं कि आजकल भारतवासियों के वास्तविक रहन-सहन का दर्जा ऊँचा होने के बजाय गिर रहा है।

वास्तविक बात यह मालूम पड़ती है कि कुछ धनवान लोगों का रहन-सहन शिक्षा इत्यादि के अधिक प्रचार से प्राचीन काल के बनिस्वत कुछ अच्छा हो गया है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि भारतवर्ष की आधुनिक आर्थिक स्थिति के कारण ये लोग भी अपने इस रहन-सहन के दर्जे को बनाये रखने में समर्थ होंगे अथवा नहीं। गरीब लोग भी अवश्य कुछ आराम और विलासिता की वस्तुओं का सेवन करने लगे हैं लेकिन वे लोग अपने जीवनरक्षक और निपुणता-दायक पदार्थों में कमी करके इनमें खर्च कर रहे हैं। इसलिये निश्चय पूर्वक हम नहीं कह सकते कि इनका रहन-सहन ऊँचा हो रहा है।

तेरहवां अध्याय

रहन-सहन का वास्तविक दर्जा

पिछले दो अध्यायों में यह बतलाया जा चुका है कि किसी देश में किसी भी समय अनेक रहन सहन के दर्जे होते हैं, और यह भी बतलाया जा चुका है कि भारतवासियों के रहन-सहन का दर्जा किस प्रकार है। इस अध्याय में यह दिखलाने का प्रयत्न किया जाता है कि किसी देश के मनुष्यों का, विशेषतः भारत-वासियों के रहन-सहन का, वास्तविक दर्जा कौन सा होना चाहिये और उसको प्राप्त करने के लिए किन युक्तियों का अवलम्बन करना चाहिये।

किसी भी देश के निवासियों का रहन-सहन तभी उपयुक्त कहा जा सकता है जब कि वहाँ के निवासियों की तृप्ति अधिकतम हो। इस अधिकतम तृप्ति को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक निवासी का रहन-सहन ऐसा हो जिससे उसको अधिकतम तृप्ति हो। चूँकि प्रत्येक मनुष्य की इच्छा, प्रकृति, रुचि इत्यादि भिन्न-प्रकार की होती है इसलिए एक ही तरह के रहन-सहन से सब मनुष्यों को अधिकतम तृप्ति नहीं मिल सकती है। परंतु तिस पर भी सब मनुष्यों में कई एक बातें एक सी होती हैं, इसलिये हम एक

ऐसे रहन-सहन के दर्जे का अनुमान कर सकते हैं जिससे अधिकांश लोगों को अधिकतम वृत्ति मिले। इस दर्जे को हम रहन-सहन का वास्तविक दर्जा कहते हैं। हम उस मनुष्य के दर्जे को रहन-सहन का वास्तविक दर्जा कहेंगे जो उन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करे जिससे उसकी कार्य कुशलता बढ़े, शारिरिक और मानसिक बल बढ़े, और इसके साथ २ जो उन वस्तुओं का त्याग करे जिससे उसकी कार्य कुशलता, मानसिक तथा शारिरिक बल की क्षति हो। अब हमको यह जानना चाहिये कि इस रहन-सहन के वास्तविक दर्जे में कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित हैं।

मनुष्य को सबसे पहले शरीर-रक्षा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से शरीर में बल आता है और कार्य-कुशलता बढ़ती है। लेकिन भोजन अच्छा और पुष्टिकारक होना चाहिये और पेट भर होना चाहिये। भोजन का परिमाण और गुण भोजन करने वाले की उम्र, कद, स्वास्थ्य, स्वभाव, जलवायु इत्यादि पर निर्भर रहता है। छोटे उम्र के आदमी को बड़े उम्र के आदमी की अपेक्षा कम पुष्टिकारक भोजन की आवश्यकता होती है, तथा एक मजदूर को एक क्लर्क से अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि भोजन साफ स्थान में साफ बर्तनों में पकाया और खाया जावे। खाने के समय मनुष्य को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिये और किसी प्रकार की चिन्ता इत्यादि को पास फटकने न देना चाहिये।

इस प्रकार भोजन करने से भोजन का शरीर पर बहुत अच्छा असर पड़ता है ।

भोजन के बाद वस्त्र की बारी आती है । वस्त्र का स्वास्थ्य और कार्य कुशलता से घना सम्बन्ध है । धूप, वर्षा, जाड़ा, गरमी इत्यादि का शरीर पर बहुत असर पड़ता है, इसलिये यह आवश्यक है कि इनके बुरे असर से शरीर की रक्षा की जाय । वस्त्र इस प्रकार के होने चाहिये जिससे उपयुक्त रूप से शरीर की रक्षा हो । वस्त्र मौसम के अनुसार और कार्य के अनुसार होने चाहिये; जैसे जाड़ों में ऊनी कपड़े, गरमियों में सूती कपड़े, खेती के काम में एक तरह के कपड़े, कोयले की खान के काम में दूसरी तरह के कपड़े, इत्यादि । यह कोई आवश्यक नहीं है कि कपड़े बेशकीमती, चटकीले-भड़कीले हों; लेकिन यह आवश्यक है कि कपड़े मैले, फटे-पुराने न हों । अच्छे साफ कपड़े पहिनकर मनुष्य का चित्त प्रसन्न होता है, काम करने की इच्छा होती है और उत्साह बढ़ता है ।

हमारी प्रधान आवश्यकताओं में से तीसरी आवश्यकता रहने के लिए मकान की है । हमका मकान के बारे में यह देखना जरूरी है कि मकान अच्छी जगह पर बना हुआ है या नहीं, मकान में कितने कमरे हैं, रोशनी, सफाई, पानी इत्यादि का कैसा इन्तजाम है, पड़ोस कैसा है, इत्यादि । मनुष्य की तन्दुरुस्ती उसके रहने के स्थान पर बहुत अवलम्बित रहती है । अगर मकान गन्दी जगह में हो, छोटा हो, रोशनी सफाई का

अच्छा इन्तज़ाम न हो, तो उसमें रहनेवालों की तन्दुरुस्ती खराब हो जायगी और उनकी कार्य-कुशलता का भी हास होगा। किसी पाँच-छः आदमियों की औसत-परिवार के लिए कम से कम पाँच कमरे आवश्यक हैं, जिनमें खाने के, सोने के, उठने-बैठने इत्यादि के कमरे का ठीक २ इन्तज़ाम होना चाहिये। मकान और उसके इर्द-गिर्द की जगह साफ़ रहनी चाहिये। कमरों में रोशनी और हवा का अच्छा इन्तज़ाम रहना चाहिये। कमरों में यथायोग्य मेज, कुर्सी, पलंग इत्यादि भी परिमित संख्या में आवश्यक हैं।

तन्दुरुस्ती के लिए व्यायाम, खेल, नींद भी बहुत आवश्यक है। जब हम थक जाते हैं तो हमको मनोरञ्जन की आवश्यकता होती है। यह मनोरञ्जन भिन्न भिन्न व्यक्तियों को अपनी रुचि के अनुसार भिन्न २ रूप में प्राप्त होता है। किसी मनुष्य का मनोरञ्जन, घूमने से, किसी का गप्प लड़ाने से, किसी का सङ्गीत से और किसी का व्यायाम से होता है। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि शारीरिक-कार्य करनेवाले व्यक्तियों को कुछ मानसिक कार्य करने से और मानसिक कार्य करनेवाले व्यक्तियों को कुछ शारीरिक कार्य करने से लाभ होता है। यह बात ध्यान रखने के योग्य है कि मनोरञ्जन इस प्रकार का न होना चाहिये कि जिससे क्षणिक आनन्द के बदले भविष्य में अधिक हानि हो। नींद का स्वास्थ्य से बहुत गहरा सम्बन्ध है। प्रत्येक जवान व्यक्ति को कम से कम छः घंटे नींद की आवश्यकता है। इससे शरीर और मन को आराम मिलता है और उनमें नवीन शक्ति का

सञ्चार होता है ।

रहन-सहन के वास्तविक दर्जे में शारीरिक उन्नति की वस्तुओं के उपभोग के साथ-साथ वे वस्तुएं भी शामिल हैं जिनसे हमारी मानसिक उन्नति भी हो । इसके लिए शिक्षा अनिवार्य है । शिक्षा से मनुष्य बहुत सी ऐसी बातें समझ पाता है जिनसे उसके रहन-सहन में बड़ा असर पड़ता है । जैम उच्च शिक्षा से मनुष्य समझ जाता है कि कम उम्र में विवाह करना हानिकारक है, मद्य, मांस का भक्षण करना, जुआ खेलना इत्यादि बुरा काम है । इन बातों को समझने से और इनके अनुसार वर्तन से हमारा का रहन-सहन अच्छा होता जाता है । इसलिए यह नितान्त आवश्यक है शिक्षा के लिए पाठशाला, पुस्तकालय, यात्रा इत्यादि का सुचारु प्रबन्ध हो ।

पिछले परिच्छेद में हम देख चुके हैं कि अधिकांश भारत-वासियों दरिद्र और न्यूनतम रहन सहन के दर्जे में हैं । देश में अधिकतम सन्तोष और तृप्ति फैलाने के लिए और देश की मानसिक तथा शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि इन लोगों का रहन-सहन वास्तविक बनाया जाय । रहन-सहन को ऊँचा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं उद्योग करना चाहिये और देश की सरकार और अन्य सामाजिक संस्थाओं को इस काम में उसकी मदद करनी चाहिये ।

प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अपनी किसी प्रजा को भूखो न मरने दे । प्रत्येक मनुष्य को कम से कम उसके

जीवन-निर्वाह मात्र के लिए वस्तुएं अवश्य मिलनी चाहियें । कई एक लोगों का खयाल है कि अगर सरकार प्रत्येक भूखे, नंगे को अन्न वस्त्र देती फिरेगी तो इससे बहुत से लोग जो काम करके अपना निर्वाह कर सकते हैं वे भी आलस्यवश काम छोड़ कर सरकार के खजाने पर ही अवलम्बित हो जायेंगे । इसलिए आलसियों और भिखमङ्गों की संख्या बढ़ जाने से सरकार को उनको खिलाने-पिलाने के लिए जनता पर बहुत टैक्स लगाना पड़ेगा और देश की भी क्षति होगी । लेकिन अगर सरकार इस तरह इन्तजाम करे कि जो लोग काम करने को समर्थ हैं उनसे काम लिया जाय और जो लोग काम करने में बिलकुल असमर्थ हैं उनकी द्रव्य के रूप से नहीं, बल्कि उपयोग की वस्तुओं को देकर सहायता की जाय तो यह अपवाद बहुत कुछ हद तक दूर हो सकता है । इस प्रकार सहायता के लिए सरकार को जिस द्रव्य की आवश्यकता होगी वह द्रव्य टैक्स के रूप में धनसम्पन्न लोगों से ही लिया जाना चाहिये । इससे धनी लोगों की वृत्ति में बहुत कम घटती होगी और गरीब लोगों की वृत्ति में बहुत अधिक वृद्धि में होगी, अतएव देश की कुल वृत्ति, सन्तोष और सुख में वृद्धि होगी ।

सरकार का यह भी कर्तव्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा इत्यादि का देश में समुचित प्रबन्ध करे । स्थान २ पर विद्यालय, वाचनालय, चिकित्सालाय, पार्क इत्यादि का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये । जो लोग बहुत गरीब हैं उनको इन वस्तुओं का निःशुल्क उपयोग करने देना चाहिये । कम से कम प्रारम्भिक

शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य दी जानी चाहिये। इन सब बातों से प्रजा की शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास होगा और वह स्वयं अपने रहन-सहन को अच्छा करने तथा अपने को कार्य-कुशल बनाने का प्रयत्न करेगी।

भारत की सरकार को भारतवासियों का रहन-सहन वास्तविक दर्जे पर लाने के लिए यहाँ के निवासियों को ऋण से मुक्त करने का प्रयत्न अवश्य ही करना पड़ेगा। भारतवर्ष के अधिकांश निवासी खासकर किसान लांग ऋण से इतने ग्रस्त हैं और उनको इतनी ऊँची सूद की दर पर कर्ज लेना पड़ता है कि वे लोग सदा ही ऋण के बोझ से दबे रहते हैं और मरने पर उस बोझ को अपनी सन्तान पर लाद जाते हैं इसलिए उनकी सन्तान को भी उसी पुरानी परिस्थिति में रहना पड़ता है। सरकार का कर्तव्य है कि सहकारी बैंक तथा सहकारी साख समितियाँ इत्यादि का स्थान स्थान पर आयोजन करके जनता के कष्ट का निवारण करे।

सरकार को इस बात का भी समुचित प्रबन्ध करना चाहिये कि आयात-निर्यात तथा द्रव्य की सहायता द्वारा देश के उद्योग-धन्धों को मदद दे। इससे देश की क्रय-शक्ति बढ़ेगी और प्रति-व्यक्ति आमदनी भी बढ़ेगी, इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपने रहन-सहन को ऊँचा करने में समर्थ होगा।

समाज को चाहिये कि इन सब प्रकार के कामों में सरकार का हाथ बटावे। लेकिन साथ ही साथ उसका कर्तव्य यह भी

है कि किसी काम के लिए सरकार का मुँह जोड़े न रहे। अगर वह समझे कि अमुक बात प्रजा के लिये हित की है और अगर सरकार उम काम को करने को तैयार न हो तो समाज का कर्तव्य है कि वह उस काम को अपने हाथों में ले। जितने कर्तव्य सरकार के सम्बन्ध में कहे जा चुके हैं उनमें से अधिकांश समाज अपने हाथों में लेकर सुचारु रूप से उनका प्रबन्ध कर सकता है। समाज को चाहिये कि वह ऐसी संस्थाएँ और समितियाँ बनाये जो देश के निवासियों की आर्थिक कठिनाइयाँ दूर करे और बुरी सामाजिक प्रथाओं का सुधार करे। सम्पन्न लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने गरीब भाइयों की द्रव्य से, विद्यालय इत्यादि खोलकर मदद करें। पढ़े-लिखे पुरुषों का कर्तव्य है कि वे गाँव-गाँव में जाकर लोगों को उपदेश दें जिससे वे बालविवाह, मद्यपान, कृत्रिम आवश्यकताओं के खर्च इत्यादि को छोड़ दे।

इन सब सुधारों का परिणाम यह होगा कि देश में सुख, सन्तोष और शक्ति फैल जायगी, जिससे देश के निवासी नीरोग, सम्पन्न तथा कार्यकुशल बन जायँगे।



चौदहवां अध्याय

सरकार और उपभोग

सरकार का हस्तक्षेप किन दशाओं में उचित है ।

इस अध्याय में इस बात पर विचार किया जाता है कि सरकार को प्रजा के उपभोग-सम्बन्धी विषयों में हस्तक्षेप करना चाहिये या नहीं । अगर हस्तक्षेप करना चाहिये तो कहां तक करना चाहिये ।

कई-एक लोगो का कहना है कि मनुष्य एक स्वाधीन जीव है । उसको प्राकृतिक हक प्राप्त है । इसलिए उसको खाने, पीने, पहनने इत्यादि उपभोग-सम्बन्धी बातों में पूर्ण स्वाधीनता मिलनी चाहिये । जब जिस वस्तु के उपभोग की मनुष्य को इच्छा हो उस वस्तु के उपभोग करने में उसको बाधा पहुँचाना प्राकृतिक तथा न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं है । इसलिए, इन लोगों की दृष्टि से किसी समाज अथवा सरकार को यह उचित नहीं है कि वह मनुष्य के प्राकृतिक हकों को छीनकर सरकारी कानूनो द्वारा उसके उपभोग-सम्बन्धी विषयों में हस्तक्षेप करे ।

पहले तो यह बात विचारणीय है कि किसी व्यक्ति को

प्राकृतिक हक प्राप्त हैं या नहीं। लेकिन यह बात सत्य है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी समाज के भीतर रहता है तब तक उसके काम, रहन-सहन इत्यादि का असर समाज पर पड़े बिना रह नहीं सकता। अगर कोई मनुष्य अपने प्राकृतिक हकों के बल पर मनमानी करना चाहता है तो उसको चाहिये कि वह समाज से अपने को अलग कर ले और जङ्गलो या पहाड़ों में जाकर उन हकों का उपयोग करे। अगर वह समाज में रहना चाहता है तो उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके किन कामों से समाज का लाभ होता है और किन कामों से समाज की हानि। और उसके वही काम करना चाहिये जिससे उसका तथा साथ साथ समाज का लाभ हो।

समाज की रक्षा के लिए सरकार को किसी मनुष्य के स्वतन्त्र कार्यों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो जाती है। मनुष्य साधारणः स्वार्थी होता है। वह यह विचार नहीं करता कि उसके अमुक कार्य से समाज के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। अगर उसके किसी कार्य से उसको सन्तोष तथा वृत्ति मिलती है तो अवश्य ही वह उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाता है, चाहे उससे उसके पड़ोसी या और व्यक्ति की कितनी ही हानि क्यों न हो। ऐसी अवस्था में सरकार को हस्तक्षेप करना नितान्त आवश्यक है।

मादक वस्तुओं के सम्बन्ध में सरकार का हस्तक्षेप शराबो, अफीमची, गंजेड़ी अथवा भंगेड़ी इत्यादि लोग

कहते हैं कि अगर हम शराब पीते हैं तो किसी का क्या बिगाड़ते हैं, अपने पैसे से पीते हैं, और अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं। इसलिए इसमें किसी को हमको टोकने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक देखा जाय तो उनका यह तर्क बिल्कुल गलत है। वे अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं बल्कि सारे समाज के तथा देश का नुकसान कर रहे हैं। मादक वस्तुओं के सेवन से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उनकी कार्य-कुशलता कम होती जाती है। इससे उन लोगों की आमदनी कम हो जाती है। आमदनी कम होने से उनका रहन-सहन गिर जाता है। वे लोग अपने बच्चों को अच्छा भोजन, वस्त्र तथा शिक्षा नहीं दे पाते। इसका फल यह होता है कि उनकी सन्तान रोगी, निर्बल तथा मूर्ख होती है। इससे देश की उत्पादक शक्ति कम होकर राष्ट्रीय आय कम हो जाती है। इस प्रकार सारे समाज हानि उठानी पड़ती है। इसलिए सरकार को उचित है कि ऐसी वस्तुओं का सेवन बन्द करने की कोशिश करे।

कई लोगों का कहना है कि मादक वस्तुओं से सरकार को कर (टेक्स) के रूप में बहुत आमदनी होती है और इस कर के वसूल करने में भी सुविधा होती है। अप्रत्यक्ष कर होने से लोग इसको बिना किसी प्रकार की तकलीफ महसूस करते हुए देते हैं। उन लोगों का यह भी कहना है कि इन मादक वस्तुओं के सेवन से देश समृद्ध होता है, क्योंकि इन वस्तुओं को उत्पादन करने में बहुत से किसान, पूँजिपति, व्यापारी, मजदूर

इत्यादि बहुत से लोग मालामाल हो जाते हैं। इस प्रकार देश भी समृद्धिशाली हो जाता है।

लेकिन ध्यानपूर्वक देखने से मालूम हो जाता है कि इस तर्क में कोई सार नहीं है। यह बात ता ठीक है कि सरकार को इन वस्तुओं पर कर से बहुत आमदनी है, लेकिन यह कर योग्यता के अनुसार नहीं लिया जाता। गरीब व अमीर जो भी इन वस्तुओं का सेवन करता है सब को बराबर कर देना पड़ता है। इसके अलावा अगर इन मादक वस्तुओं का उत्पादन बिलकुल बन्द कर दिया जाना तो जो पूँजी, श्रम व खर्च इन वस्तुओं में होता था वह किन्हीं ऐसी वस्तुओं के उपार्जन में होता, जिससे समाज की वास्तविक भलाई होकर समाज अधिक समृद्ध और सुखी होता। समाज के समृद्ध होने पर सरकार भी समृद्ध हो जाती है क्योंकि वह कर दूसरे रूपों में भी वसूल कर सकती है।

यह बात सही है कि मादक वस्तुओं के उत्पन्न करने से थोड़े से लोग कुछ काल के लिए सम्पन्न हो जाते हैं। लेकिन इससे अधिक लोगों को हमेशा के लिए हानि उठानी पड़ती है। यही पूँजी और श्रम मादक वस्तुओं के उपार्जन के बदले अगर दूसरे अच्छे व्यवसायों में लगाया जाता तो भी इन लोगों को कम आमदनी न होती और देश का भी कल्याण होता।

वस्तुओं में मिलावट और सरकार का कर्तव्य आजकल असली वस्तुओं का मिलना दुर्लभ सा हो गया

है। प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ इस प्रकार की मिलावट रहती है जिससे उपभोक्ता को असली वस्तु का पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे उपभोक्ता को केवल द्रव्य-सम्बन्धी ही हानि नहीं उठानी पड़ती, बल्कि बुरी खाद्य-वस्तु के सेवन से उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए घी को लीजिये। आजकल घी में वनस्पति-घी, चर्बी, तेल इत्यादि की मिलावट पाई जाती है। प्रत्येक उपभोक्ता को इतना ज्ञान तथा समय नहीं होता कि वह प्रत्येक वस्तु की वैज्ञानिक रूप से परीक्षा करके उनको खरीदे। इसी प्रकार दूध, मिठाई, तेल, अवस्थाओं में सरकार का कर्तव्य है कि वह ऐसे कानून बनावे जिससे इस प्रकार की मिलावट बन्द हो जाय। इसके लिए मिलावट करनेवालों को कड़ी सजा दी जानी चाहिये। भारतवर्ष की कई एक म्यूनिसिपलिटियों ने इस प्रकार के कानून का प्रचार किया है। लेकिन खेद है कि इनके ठीक सञ्चालन न होने से समाज का कोई विशेष उपकार नहीं हुआ है।

भूटे विज्ञापन और माप-तौल के सम्बन्ध में हस्तक्षेप

आजकल का जमाना विज्ञापन का जमाना कहा जाता है। लोगों को भिन्न-२ वस्तुओं की सूचना विज्ञापनों द्वारा दी जाती है। यह बात सत्य है कि कई वास्तविक विज्ञापनों द्वारा समाज की भलाई होती है। लोग जानते हैं कि कौन सी वस्तु कहां और

किस मूल्य पर मिल सकती है। लेकिन आजकल बहुत से विज्ञापन भूठे और जनता को धोखा देने वाले होते हैं। विज्ञापनों में वस्तुओं की भूठी तारीफ लिखी रहती है और बेचारी जनता उसके धोखे में आकर ठगी जाती है। इसके साथ साथ विज्ञापनों में खर्च बहुत बढ़ रहा है, जिसका बोझ उपभोक्ताओं के सिर पर पड़ता है। सरकार का कर्तव्य है कि वह कानूनों के द्वारा भूठे विज्ञापनों से जनता की रक्षा करे।

कई व्यापारी लोग भूठो तौल और बट्टे रखते हैं, जिससे भी उपभोक्ताओं को हानि होती है। सरकार को उचित है कि वह समय समय पर इनकी जांच करवाये और धोखेबाजों को उचित दण्ड दे।

युद्ध के समय सरकार का हस्तक्षेप

युद्ध के समय में सरकार को उपभोग-सम्बन्धी विषयों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे समयों में फौज के लिए गोला, बारूद इत्यादि अन्य सामानों की विशेष आवश्यकता होती है। इसलिए देश की पूँजी और श्रम कई उपभोग सम्बन्धी व्यवसायों से हटाकर दूसरे व्यवसायों में लगाने पड़ते हैं। समय समय पर प्रत्येक देश में लड़ाई के समय उपभोग के विषय में कानून बनाये जाते हैं। १९१४ ई० के महायुद्ध के समय इङ्ग्लैण्ड, अमेरिका इत्यादि देशों में ऐसे कानून बनाये गये जिनसे जनता को उपभोग के पदार्थों की बहुत कमी पड़ती

थी। ऐसे खास खास समयों पर सरकार को उपभोग-सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। यह सब बातें देश की रक्षा के लिए ही की जाती हैं। ऐसे समयों पर जनता को चाहिए कि वह स्वयं सरकार तथा अपने देश की सहायता करे न कि सरकार के इस काम में रोड़ा अटकावे।

सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में सरकार का कर्तव्य

कई एक सार्वजनिक सेवा (Public Utility Services) ऐसी हैं जैसे रेल, तार टाक इत्यादि जिनका प्रबन्ध किसी व्यक्ति-विशेष की अपेक्षा सरकार अच्छी तरह कर सकती है। सरकार को चाहिए कि इन सेवाओं का ऐसा इन्तजाम करे और इनका मूल्य इतना तै करे जिससे सर्वसाधारण को इन वस्तुओं के उपभोग करने में सुविधा हो। कुछ ऐसे आधारभूत उद्योग-धन्धे होते हैं जैसे कि लोहा और इस्पात की खाने, जङ्गलात इत्यादि जिनका सर्वसाधारण जनता और देश की समृद्धि से सम्बन्ध रहता है। इनका प्रबन्ध सरकार के हाथ में रहना चाहिये। सरकार को ऐसा इन्तजाम करना चाहिए जिससे इन खानों तथा उद्योग-धन्धों का उपभोग भविष्य की जनता के लिए भी सुरक्षित हो। अगर ये आधार-भूत उद्योग धन्धे जनता के हाथों में छोड़ दिये जायँ तो इस वक्त की जनता उनकी पूर्ण उपयोगिता ले ले और भविष्य में होने वाली जनता के लिए कुछ भी न बचे। ऐसी हालत में सरकार को हस्तक्षेप करना उचित है।

इस अध्याय का सारांश यह है कि जब तक किसी व्यक्ति से उपभोग और रहन-सहन से समाज की कोई हानि न हो, तब तक उस को अपने मन के अनुसार वर्तने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। लेकिन जहाँ उसके रहन-सहन से समाज पर बुरा असर पड़ता हो वहाँ सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उससे समाज की रक्षा करे। अगर सरकार के हस्तक्षेप से समाज का उपकार हुआ तो उसको कार्रवाई सराहनीय समझी जाती है।



पन्द्रहवां अध्याय

बर्बादी और अपव्यय वस्तुओं की बरबादी

आजकल ससार के सामने बरबादी का बड़ा महत्वपूर्ण विषय उपस्थित है। बरबादी का उभोग, रहन-सहन और देश की समृद्धि से गहरा सम्बन्ध है। इङ्गलैण्ड, फ्रान्स इत्यादि मुल्कों में जहां महायुद्ध में बहुत हानि हुई वहां इस बरबादी और व्यर्थता को दूर करने में बड़े २ विद्वान लोग अपनी बुद्धि खर्च कर रहे हैं। वास्तव में प्राचीनकाल से ही बहुत सी बातों में बरबादी होती चली आ रही है। कहीं द्रव्य की बरबादी हो रही है, कहीं अन्न की बरबादी, कहीं समय, शक्ति, स्वास्थ्य इत्यादि अनेक चीजों की बरबादी हो रही है। इन सब बरबादियों का फल यह होता है कि देश की उतनी तृप्ति और भलाई कम हो जाती है।

अगर हम किसी वस्तु या सेवा से कुछ उपयोगिता हासिल न कर सकें या उतनी उपयोगिता हासिल न करें जितनी उससे हो सकती थी, तो हमको उस वस्तु के उपयोग से बहुत कुछ हानि होती है। चूंकि हम उसकी उपयोगिता हासिल न कर सके, इसलिए उसकी उपयोगिता हमारे लिए बर्बाद हो गई। अगर हम

समय से पूरी उपयोगिता न ले सके तो समय की बरबादी हुई, अगर हम अपने द्रव्य से पूरी उपयोगिता न ले सके तो द्रव्य की बरबादी हुई, इत्यादि ।

हमारे घरों, कारखानों और अन्य स्थानों में भी विविध वस्तुएं बर्बाद होती हैं । पहले तो ये बर्बाद हुई वस्तुएं बहुत कम परिमाण में दिखाई हैं । लेकिन इनका बर्द्धमान Cumulative योग बढ़ते २ बहुत बढ़ जाता है । अगर प्रत्येक घर में जितनी वस्तुओं की बरबादी होती है उनमें से आधी भी बचाई जावे तो देश के बहुत से लोगों को भूखों न मरना पड़े । इसी प्रकार अगर कारखानों में तैयार माल बनाने के बाद जो छोटी मोटी चीजे बेकार पड़ी रहती हैं उनकी उपोत्पत्ति की जाय तो बहुत बचत हो सकती है ।

किस किस विभाग में किस तरह बरबादी होती है और उसको रोकने के क्या क्या साधन हैं, इनका अब संक्षिप्त तौर पर वर्णन किया जाता है ।

पहले घर का हाल देखना चाहिए । घरों में सब से अधिक बरबादी अन्न की होती है । प्रत्येक घर में कुछ न कुछ कच्चे तथा पक्के अन्न की बरबादी हो रही है । घर के किसी कोने में अथवा आसपास की नाली में रोटी के टुकड़े, चावल इत्यादि पड़े दीखते हैं । इस बरबादी के दो कारण हो सकते हैं । एक तो यह कि खाना अच्छा न बना हो, इसलिए बरबाद गया हो । दूसरा यह कि घर का इन्तजाम खराब होने से खाना जरूरत से अधिक बना

हो। अगर इन दोनों बातों में सुधार हो जाय, अर्थात् घर के लोग खाना बनाने की क्रिया में निपुण हो जायँ और घर का इन्तजाम अच्छा हो जाय तो वचत के साथ परिवार अधिक सुखी रहेगा। शादी इत्यादि उत्सवों पर ढेर का ढेर भोजन बर्बाद होता है। इस प्रकार कई एक परिवारों में लापरवाही तथा बुरे इन्तजाम के कारण बहुत सी चीजें बरबाद हो जाती हैं। कई एक चीजें ऐसी होती हैं, जैसे शीशा, घड़ी इत्यादि जो कि बहुत सम्भाल कर यथास्थान रखी जानी चाहिए। इन चीजों की उन घरों में, जहां ठीक इन्तजाम नहीं है, बहुत तोड़-फोड़ रहती है। इसी प्रकार कपड़ों का किस्सा है। अगर कपड़े सम्भाल कर हिफाजत के साथ रखे जायँ तो वही कपड़े जो नाकामियाव समझकर फेंक दिये जाते हैं, छः महीने साल भर और चले। फटे-पुराने कपड़े यहां तक कि कूड़े कर्कट की भी कुछ न कुछ उपयोगिता अवश्य होती है। फटे-पुराने चीथड़ों से काराज बन जाता है, कूड़े की खाद बन जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि वह अपनी वस्तुओं की पूर्ण उपयोगिता हासिल करे। इसके लिए सबसे पहले शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिये जिससे लोगों में मितव्ययिता फैले और उन्हें बरबादी के भयानक परिमाण की भी जानकारी हो जाय। घरों में वस्तुओं की बरबादी दूर करने के लिए गार्हस्थ्य-शास्त्र की शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। प्रत्येक गृहिणी को इस शास्त्र में निपुण होना चाहिए। उसको जानना चाहिए कि परिवार में कितने और कैसे सामान

की आवश्यकता है और उस सामान से अधिकतम वृत्ति किस प्रकार हासिल की जा सकती है। इससे घरों में बहुत सी वस्तुओं की बचत होगी और परिवार का रहन-सहन भी पहले से अच्छा हो जायगा।

उपली जलाने से हानि

खेती के लिए खाद बहुत आवश्यक है। गोबर की बहुत अच्छी खाद बनती है। लेकिन भारत के किसान इतने गरीब हैं कि वे गोबर को खेतों में डालने के बजाए उनके उपजे बनाकर ईंधन का काम चलाते हैं। इसने खेती को बहुत नुकसान पहुँचता है। एक कृषि-शास्त्र-विशेषज्ञ का अनुमान है कि अगर सब गोबर का खाद के लिए प्रयोग किया जाय तो भारत की एक चौथाई उपज और बढ़ जाए। सब गोबर को खाद के लिये बचाने का उत्तम उपाय यह है कि किसानों के लिए ईंधन का कुछ इन्तजाम किया जाय। यह इस तरह हो सकता है कि गावों के नजदीक कुछ जमीन जङ्गलात के लिए छोड़ दी जाय। उसमें बूख के वृक्ष लगाये जायँ और किसानों को वहाँ से बिला मूल्य लकड़ियाँ लाने की इजाजत दी जाय। इन जङ्गलों से और भी कई फायदे होंगे। एक तो इनमें वारिस बढ़ेगी और जंगल के माल से बहुत सी और चीजें भी बनने लगेंगी। इसमें बहुत से लोगों को रोजी भी मिलेगी और राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी।

स्वास्थ्य की बरबादी

इसके बाद स्वास्थ्य की बरबादी पर विचार करना चाहिए।

ऐसे संक्रामक रोगों से जो सरकार और जनता के प्रयत्नों से रोके जा सकते हैं, प्रति वर्ष भारत में लाखों आदमी मर जाते हैं। यदि स्वास्थ्यरक्षा-सम्बन्धी ज्ञान का प्रचार हो और भारतवासी अपना रहन-सहन स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों के अनुसार करने लगे तो बीमारी बहुत कम हो जाय और मृत्यु-संख्या भी कम हो जाय। भारतवर्ष में बच्चों की मृत्यु-संख्या भी बहुत अधिक है। बच्चों की मौत कम करने के लिए पहले यह आवश्यक है कि बाल-विवाह बन्द कर दिया जाय। माताओं को उचित शिक्षा दी जाय जिससे वे सन्तान-रक्षा का ज्ञान प्राप्त कर सकें। कारखानों के नियम इस प्रकार के बनाये जायें जिस प्रकार माताओं को अपने बच्चों की परवरिश इत्यादि का उचित अवसर मिले। रहन-सहन का दर्जा वास्तविक बनाने की कोशिश की जानी चाहिये। चिकित्सा इत्यादि का भी उचित इन्तजाम होना चाहिये।

द्रव्य का अपव्यय

द्रव्य का भी बहुत अपव्यय होता है। मादक वस्तुओं के उपयोग के सम्बन्ध में पहले विचार किया जा चुका है। कुछ लोग जुआ खेलकर अपने द्रव्य का अपव्यय करते हैं। जुआ खेलने से किसी पदार्थ की उत्पत्ति तो हांती ही नहीं। उससे किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं होता। हां, उससे सैकड़ों परिवार बरबाद अवश्य हो जाते हैं। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि वह जुआ कभी न खेले। सरकार का भी यह कर्तव्य है कि

जुआ खेलनेवालों को उचित दंड देकर इस व्यसन से जनता को बचावे। कुछ लोग मुक़दमेबाजी में अपने द्रव्य को नष्ट कर देते हैं। ज़रा-ज़रा सी बातों के लिये अदालतों की शरण लेकर वे अपना द्रव्य बरबाद कर देते हैं। हजारों कुटुम्ब इस मुक़दमेबाजी से बरबाद हो चुके हैं। हम लोगों को चाहिये कि जहाँ तक हो सके स्थानीय पंचायतों या पंचों द्वारा अपना झगड़ा तै कराने का पूर्ण प्रयत्न करें।

कुछ लोग क्षणिक सुख के लिए बहुत सा रुपया खर्च कर देते हैं, चाहे परिमाण में उससे हानि ही क्यों न हो। विलासिता की वस्तुओं में जितना रुपया खर्च होता है उसका एक बड़ा हिस्सा बर्बाद होता है। मान लीजिये, किसी बारात में खूब आतिशबाज़ियां हुईं, बहुत बढ़िया भोज दिया गया। इससे खर्च करनेवाले को क्षणिक सन्तोष अवश्य प्राप्त हुआ। लेकिन अगर समाज की दृष्टि से देखिये तो कितनी बरबादी हुई। वही श्रम और वही पूँजी अगर आतिशबाज़ियां, शराब इत्यादि बनाने के बदले अन्न पैदा करने और वस्त्र बनाने में लगायी जाती तो बहुत से लोगों की प्राण-रक्षा होती। कहां क्षणिक सुख, कहां प्राण-रक्षा। समाज का जो श्रम और पूँजी खर्च होता है उससे समाज को पूरी उपयोगिता मिलनी चाहिये। अगर न मिले तो समाज की दृष्टि से उस हद तक उस श्रम और पूँजी की बरबादी हुई।

सरकार भी कभी-कभी द्रव्य का अपव्यय करती है। बहुत

से सरकारी विभागों में इतना अधिक द्रव्य व्यय किया जाता है कि उससे जनता की बहुत हानि होती है। लड़ाई के अवसरों पर देश के प्राणियों तथा द्रव्य की बहुत बर्बादी होती है। सरकार की नीति इस प्रकार की होनी चाहिये जिससे जनता का अधिकतम लाभ और सुख हो।

जितने प्रकार की बर्बादियाँ इस अध्याय में बतलाई गई हैं अगर इन बर्बादियों में से एक चौथाई भी बचाई जा सकें तो भारतवर्ष में कम से कम पेटभर अच्छा अन्न और पहिने को अच्छे वस्त्र और रहने को अच्छा मकान सबको प्राप्त हो जाय।



सोलहवां अध्याय

० भविष्य का उपभोग और बचत

पिछले अध्याय में वर्तमान आवश्यकताएँ तथा उनकी तृप्ति की विवेचना की गई है। इस अध्याय में भविष्य की आवश्यकताएँ तथा उनकी तृप्ति का वर्णन किया जाता है।

अब प्रश्न यह होता है कि उपभोक्ता अपने भविष्य को किस प्रकार से अच्छा और सन्तोषदायक बना सकता है? एक उपाय यह है कि वह अपनी आमदनी का कुछ भाग वर्तमान आवश्यकताओं पर खर्च न करके भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचा कर रखे। इस बचत और उससे प्राप्त होनेवाली आमदनी से वह अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। लेकिन कोई उपभोक्ता तब तक भविष्य के लिए कुछ भी न बचावेगा जब तक उसको इस बात का पूर्ण निश्चय न हो जाय कि भविष्य में उसको उस बचत से अधिक नहीं तो कम से कम उतनी तृप्ति मिलेगी जितनी उसको उस द्रव्य के इस समय खर्च करने से मिलती है। इसलिए पहले यह जान लेना चाहिये कि बचत से और उसको पूँजी रूप में परिणित करने से क्या क्या लाभ होते हैं।

भविष्य को पूर्णतया कोई नहीं जान सकता। एक मनुष्य

जो इस समय बहुत सम्पन्न है, इस बात को दावे के साथ नहीं कह सकता कि उसके दिन भविष्य में ऐसे ही रहेंगे। कितने ही कारण इस प्रकार अचानक उपस्थित हो जाते हैं कि लखपति व्यक्ति भी रोटी को मुँहताज हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति हो सकने वाली दुर्घटनाओं से अपने को सुरक्षित रखना चाहता है। यह तभी हो सकता है जब वह अपनी आमदनी का कुछ भाग वर्तमान आवश्यकताओं की वृत्ति में खर्च न करके भविष्य के लिए बचा रखे।

मनुष्य जब एक तरह के रहन-सहन का अभ्यस्त हो जाता है तो वह रहन-सहन को बनाए रखने की कोशिश करता है। कम से कम वह उस रहन-सहन को नीचे गिरा देना पसन्द नहीं करता। काम करने की उम्र में वह जितना पैदा कर सकता है उतना पैसा करने की उम्मेद उसको बुढ़ापे अथवा बीमारी की अवस्था में नहीं होती। ऐसे मौकों में अपने रहन-सहन को बनाये रखने के लिए उसको अपनी आमदनी का कुछ भाग बचाने की आवश्यकता होती है।

कुछ व्यक्ति अपने को समाज के व्यक्तियों से ऊँचा उठाने की रागज से, समाज तथा उसके ऊपर हुकूमत रखने के लिए धन सञ्चित करते हैं। सञ्चित पूँजी से कुछ लोगों को एक विशेष प्रकार का आनन्द और सन्तोष प्राप्त होता है।

बचत से मनुष्य अपनी तथा अपने सन्तान की शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास कर सकता है। अगर कोई

व्यक्ति अपने लड़के को इञ्जिनियर बनाने के लिए उस पर अपनी आमदनी का कुछ अंश खर्च करे तो वह एक प्रकार से पूँजी सञ्चित करता है। अपनी बचत को बैंक में रखने के बजाय वह उसको अपने लड़के पर खर्च करता है, ताकि उसका लड़का उस पूँजी से प्राप्त हुए ज्ञान और योग्यता से भविष्य में स्वयं लाभ उठावे और बुढ़ापे में उसकी मदद भी करे।

यह तो मानी हुई बात है कि बिना बचत के पूँजी संचित हो नहीं सकती। और आजकल के युग में बिना पूँजी के उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर मनुष्य बचाना छोड़ दें और जन-संख्या इसी हिसाब से बढ़ती जाय, तो एक समय ऐसा आजायगा जब देश में पूँजी बहुत कम हो जायगी और पदार्थों की उत्पत्ति की वृद्धि रुक जायगी। इससे उपभोग और रहन-सहन में क्या असर पड़ेगा इसको बताने की आवश्यकता नहीं है।

इन सब बातों के अलावा मनुष्य अपनी सन्तान के वास्ते कुछ धन, दौलत छोड़ जाने की इच्छा से, तीर्थ-यात्रा करने के लिहाज से, दान-पुण्य इत्यादि के लिये भी धन बचाते हैं।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि मनुष्य को अपनी आमदनी में से कितना हिस्सा भविष्य के उपयोग के लिए बचाना चाहिये।

छठे अध्याय में यह बतलाया जा चुका है कि अगर कोई मनुष्य अपने द्रव्य से अधिकतम वृत्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसको विविध पदार्थों में इस प्रकार व्यय करना चाहिये,

जिससे प्रत्येक पदार्थ पर खर्च हुए अन्तिम रुपये की उपयोगिता लगभग बराबर हो। उस अध्याय में सुगमता के लिए केवल वर्तमान आवश्यकताओं पर विचार किया गया था। लेकिन द्रव्य केवल वर्तमान आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए ही नहीं, परन्तु भविष्य की आवश्यकताओं की तृप्ति के काम में भी आता है।

द्रव्य के उपभोग में वर्तमान उपभोग तथा भविष्य उपभोग दोनों सम्मिलित हैं। बुद्धिमान मनुष्य अपनी आमदनी को वर्तमान और भविष्य के उपभोग में इस प्रकार विभाजित करेगा जिस तरह उन पर खर्च हुए अन्तिम रुपये की उपयोगिता करीब करीब बराबर हो। लेकिन भविष्य के उपभोग की सीमान्तिक उपयोगिता का अन्दाज़ लगाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए दो बातों का खयाल अवश्य रखना पड़ता है। पहले तो भविष्य बिल्कुल अनिश्चित है। मनुष्य यह नहीं जानता कि वह भविष्य के लिए बचाये हुए द्रव्य का उपभोग कर सकेगा या नहीं। सम्भव है कि वह उस उपभोग के लिए जीवित ही न रहे। दूसरी बात यह है कि भिन्न भिन्न मनुष्यों की प्रकृति के अनुसार तथा समय और परिस्थिति में बदलाव होने से वर्तमान और भविष्य के सुख-सन्तोष में बहुत फरक पड़ जाता है। एक मनुष्य जो कि अपने भविष्य को देख सकता है वर्तमान उपभोग की तथा थोड़े समय बाद होने वाले उपभोग की उपयोगिता करीब करीब बराबर समझेगा। परन्तु एक दूसरा मनुष्य जिसको दूर दृष्टि नहीं हो, जो अधीर और असयमी हो, उसको भविष्य के उपभोग की

उपयोगिता वर्तमान उपभोग की उपयोगिता से बहुत कम होगी। वह अपनी आमदनी को वर्तमान आवश्यकताओं की तृप्ति में ही खर्च कर देगा। इसके अलावा एक ही मनुष्य भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में वर्तमान और भविष्य की उपयोगिताओं को भिन्न-परिमाण में मापेगा। किसी समय वह इतना लोलुप होगा कि भविष्य के उपभोग की उपयोगिता को तुच्छ समझेगा और दूसरे समय जब उसको भविष्य की चिन्ता व्याप्त कर रही हो उस समय वह वर्तमान उपभोग के बजाय भविष्य के उपभोग को अधिक महत्व देगा।

ऐसी अवस्था में एक औसत मनुष्य वर्तमान और भविष्य के उपभोग की उपयोगिता को बराबर नहीं समझता। वह एक रुपये की वर्तमान उपयोगिता को भविष्य के एक रुपये की उपयोगिता से अधिक समझता है। इसलिए जब तक उसको यह निश्चय न हो कि एक रुपये की वर्तमान उपयोगिता और भविष्य उपयोगिता बराबर होगी, तब तक वह उस रुपये को वर्तमान आवश्यकताओं की तृप्ति में ही खर्च करेगा। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह वर्तमान सुख को भविष्य के सुख से अधिक पसन्द करता है। इसलिए एक रुपये को एक साल के बाद की उपयोगिता उसको इस वक्त शायद पन्द्रह आने की वर्तमान उपयोगिता के बराबर मालूम होती है। इस प्रकार से मनुष्य भावी मूल्य निश्चय करता है। भावी उपयोगिता पर कुछ बट्टा लगाया

जाता है । उपभोग भविष्य में जितना अधिक स्थगित किया जायेगा उतनी ही उसकी उपयोगिता वर्तमान काल में कम मालूम पड़ेगी और वृद्धा बढ़ जायगा । इस बढ़े की दर भिन्न भिन्न मनुष्यों की भिन्न भिन्न समय में अलग अलग होगी । सामूली तौर पर हम इस बढ़े की दर को माप सकते हैं । इसके लिए हमको दो बातें माननी पड़ेगी । पहले तो यह कि मनुष्य की आर्थिक अवस्था भविष्य में वैसी ही रहेगी और दूसरी यह कि द्रव्य से भविष्य में खरीदे गये पदार्थों की उपयोगिता से उसको समान वृत्ति प्राप्त होगी । इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई मनुष्य इस साल ५०) रु० इस खयाल से बचाये कि उसको एक साल बाद ५६) रु० मिले, तो वह भविष्य की उपयोगिता पर १२ प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ा लगाता है ।

जिस दर से मनुष्य भविष्य की उपयोगिता पर बढ़ा लगाते हैं उससे उनकी भविष्य के लिए धन बचाने की इच्छा तो मालूम होती है । परन्तु इसके साथ ही साथ उससे मनुष्य के उन वस्तुओं के खरीदने की इच्छा भी मालूम होती है जिनसे धीरे धीरे बहुत समय तक वृत्ति मिलती है । जो मनुष्य धैर्य-हीन और जल्दबाज होता है वह ऐसी वस्तुओं में खर्च करता है जिनसे शीघ्र ही अतिशय वृत्ति प्राप्त हो जाता है । ऐसा मनुष्य चटकती, भड़कीली और शीघ्र नाशवान् पदार्थों को अधिक पसन्द करता है । ५०) रु० में साइकिल खरीदने के बदले वह ५०) रु०

की एक पार्टी के खर्च को अधिक पसन्द करेगा। ऐसे मनुष्यों के लिए भी हम कह सकते हैं कि ये लोग भविष्य के उपभोग का मूल्य बहुत कम समझते हैं।

प्रत्येक मनुष्य को भविष्य को दुर्घटनाओं के लिए सदा अपने को तैयार रखना चाहिये। न मालूम कब चुरे दिन आंजायें। यहां तक कि अगर मनुष्य को यह निश्चय हो कि भविष्य में उसको बचत से कम वृत्ति मिलेगी, तब भी उसको कुछ न कुछ भविष्य के लिए अवश्य बचाना चाहिये। यह बचत गढ़ा खोद कर दबा नहीं देने चाहिये और न उसके आभूषण बनवा लेना चाहिये, बल्कि ऐसे व्यवसायो में लगानी चाहिये जिसमें कुछ और आमदनी हो। पूंजी लगाने का सवाल उतना ही मुश्किल है, जितना पूंजी बचाना।

अपनी बचत के सुरक्षित रखने का सबसे सरल तरीका यह है कि वह डाकघर या किसी विश्वसनीय बैंक के संविंग बैंक के हिसाब में जमा कर जाय। इससे कुछ सूद भी मिल जाता है और आवश्यकतानुसार रुपया आसानी से वापस भी मिल जाता है। जहां तक होसके बचत ऐसे व्यवसायो में लगानी चाहिये जिनमें मूलधन सुरक्षित रहे, आमदनी निश्चित हो और अच्छी हो और जरूरत पड़ने पर शीघ्र ही व्यवसाय से पूंजी वापिस मिलने की सहूलियत हो जैसे सरकारी ऋण-पत्र स्टाक अथवा शेयर इत्यादि इस तरह के होने चाहिए जो बाजार में शीघ्र अच्छी कीमत पर बेचे जा सके।

जमीन खरीदना या मकान बनवाना भी बचत का एक

अच्छा उपयोग है। इससे पूँजी भी सुरक्षित रहती है और आमदनी भी अच्छी होती है। सत्र से बड़ी बात यह है कि जन-संख्या की वृद्धि से साधारणतः ज़मोन की कीमत बढ़ती रहती है।

वृद्धावस्था के समय तथा अपने आश्रितों की सहायता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जहाँ तक हो सके अपने जीवन का बीमा भी करा लेना चाहिये। इसकी फ़िश्न समय पर चुकाने के लिए अपने खर्च से बचत भी बराबर होती जायगी और इस बचत का उपभोग भी उचित रीति से होगा। बीमा की अवधि समाप्त होने पर वृद्धावस्था में बीमा कराने वालों का अथवा बीच में मृत्यु हो जाने पर आश्रितों को बीमा की निर्धारित रकम मिल जायगी, जिससे उनका एक बड़ा आर्थिक संकट दूर हो जायगा।

भारतवर्ष के अधिकांश निवासी अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भर सकते हैं, उनसे बचत की क्या उम्मेद की जा सकती है। पश्चिमी अर्थशास्त्रज्ञों का खयाल है कि भारतवर्ष में बहुत सा धन गड़ा हुआ है। शायद प्राचीन काल में यह बात सच रही हो। परंतु अब इस प्रकार के धन का परिणाम बहुत अधिक नहीं है। हाँ, आभूषणों के रूप में बचत का बहुत सा रूपया अवश्य लगा हुआ है इस धन का उचित उपयोग होना बहुत आवश्यक है। जब भारत में प्रति मनुष्य इतनी कम आमदनी है जिससे मनुष्य का निर्वाहमात्र मुश्किल से हो पाता है तो यह बचत

और पूँजी किस तरह से बढ़ सकती है। पूँजी बढ़ाने का एकमात्र-यही उपाय है कि प्रति मनुष्य आमदनी में वृद्धि हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि देश में वस्तुओं की उत्पत्ति बढ़ाई जाय और आय का वितरण इस भाँति हो जिससे सब को उचित हिस्सा मिले।

प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसे अन्न और वस्त्र का कष्ट नहीं है अपनी आमदनी के कम से कम दसवें हिस्से की प्रति वर्ष बचत करने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करना चाहिये। इस बचत के कारण वह संकट के समय कर्जदार होने से बच जायगा और वह हमेशा सुखी रहेगा।



सत्रहवां अध्याय

सहकारी उपभोग-समितियां

आजकल सब लोग उपभोग की अधिकांश वस्तुओं को मोल लेते हैं। उपभोक्ता इन वस्तुओं को एकदम उन वस्तुओं के उत्पादकों से नहीं खरीदता है। वह इन वस्तुओं को व्यापारियों से, दूकानदारों से, फेरीवालों से खरीदता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसको वस्तुएं अधिक कीमत पर मिलती हैं; क्योंकि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच में जितने भी दलाल होते हैं, वे कुछ न कुछ मुनाफा अवश्य लेते हैं, और यह सब मुनाफा उस वस्तु की कीमत के रूप में उपभोक्ताओं को देना पड़ता है। इससे उपभोक्ताओं की हानि होती है। जितना रुपया उनको दलालों को देना पड़ता है, उतना रुपया यदि वे बचाकर अपने ऊपर खर्च कर सकें तो उनका रहन-सहन सुधर सकता है। इन दलालों की वजह से उपभोक्ता लोग उत्पादकों से बिलकुल अलग से हो गये हैं। उनसे कुछ सीधा सम्बन्ध नहीं रह गया है। उत्पादक बहुधा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को अच्छी तरह नहीं जानता और कभी कभी वह बाजार को ऐसी वस्तुओं से भर

देता है जिनकी आवश्यकता बहुत कम होती है । इससे बहुत बर्बादी भी होती है ।

आजकल चीजों में बहुत मिलावट रहती है । असली चीज पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है । खासकर भूठे विज्ञापनों द्वारा बहुत से लोग ठगे जाते हैं । उपभोक्ता एक वस्तु जो कुछ समझ कर खरीदता है, वह वस्तु उपभोग करने पर दूसरी ही मालूम देती है । इन सब बातों से उपभोक्ता को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और उसके रहन-सहन पर भी बुरा असर पड़ता है ।

उपर्युक्त अधिकारों द्वारा सहकारी-उपभोग समितियों द्वारा दूर की जा सकती हैं । बहुत से उपभोक्ता—जिनमें कुछ सादृश्य हो, अर्थात् एक शहर के हो, एक गांव के हो, अथवा एक पेशे के हो, इत्यादि—आपस में एकता करके अपनी एक सहयोग-समिति बना लेते हैं । समिति के सदस्य कुछ पूँजी जमा करके एक कोष बना लेते हैं । इस पूँजी से वे अपनी साख बढ़ा लेते हैं और उन कामों को करने में समर्थ हो जाते हैं जिनको एक अकेला आदमी कभी भी नहीं कर सकता ।

एकता में बहुत बल है । एकता से उत्पत्ति, उपभोग इत्यादि प्रत्येक कार्य में बड़ी सहायता मिलती है । इस अध्याय में हम केवल इस बात पर विचार करते हैं कि एकता और सहकारिता का उपभोग और रहन-सहन पर क्या असर पड़ता है ।

जब कुछ उपभोक्ता लोग आपस में मिलकर एक सहकारी-

उपभोग-समिति बना लेते हैं तो वे लोग इस बात का निश्चय कर लेते हैं कि वे अपने उपभोग की सभी वस्तुएं इस समिति के द्वारा ही खरीदेंगे। इससे उनको बहुत से लाभ होते हैं जिनका वर्णन नीचे किया जाता है।

लाभ पर विचार करने के पहले यह बतला देना आवश्यक है कि ये सहकारी-उपभोग-समितियां किस प्रकार उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। जब समिति स्थापित हो जाती है तो उसके सदस्य आपस में किसी योग्य पढ़े-लिखे सदस्य को अपना मन्त्री निर्वाचित करते हैं। समिति द्वारा एक सभापति, खजान्ची और थोड़े से सञ्चालक भी चुने जाते हैं। ये सब लोग मिलकर समिति का काम चलाते हैं।

इस समिति का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह अपने सदस्यों की आवश्यकताओं से अपने को परिचित रखे और उन आवश्यकताओं को तृप्त करने की विविध वस्तुएं सीधे उत्पादकों से सस्ते दाम पर प्राप्त करके उपभोक्ताओं को पहुँचावे। चूँकि समिति के पास सदस्यों से शेयर के रूप में ली हुई पूँजी का एक स्थाई कोष रहता है और इसके बल से इसको साख बढ़ी रहती है, और चूँकि समिति प्रत्येक वस्तु को अधिक परिमाण में खरीदती है, इसलिए वह विविध वस्तुओं को कम कामत पर खरीद सकती है। समिति सीधे उत्पादकों अथवा ऐसे बड़े बड़े व्यापारियों से माल खरीद सकती है जहाँ किसी अकेले गरीब मनुष्य की पहुँच नहीं हो सकती है। इससे जो मुनाफा दलालों के पास जाता वह समिति के पास आ

जाता है; वस्तुतः वह उपभोक्ताओं के पास ही रह जाता है।

चूँकि समिति के कार्यकर्ता योग्य व्यक्ति ही चुने जाते हैं इसलिये ये लोग इस बात को जानने में अधिक समर्थ होते हैं कि कौनसी वस्तु कहाँ अच्छी और सस्ती मिल सकती है। साधारण मनुष्यों से इन लोगों को वस्तु की अधिक पहचान होती है। इसलिए इन लोगों के द्वारा खरीदने पर मिलावट की वस्तुओं के धोखे में आने की सम्भावना बहुत कम रहती है।

यह समिति दो तरीकों से उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है। पहिला तरीका यह है कि समिति किसी काल विशेष के लिए लोगों की आवश्यकताओं की वस्तुओं की सूची बनाती है, और फिर उन वस्तुओं को मँगाकर उन लोगों में बाँट देती है। दूसरा तरीका यह है कि समिति लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार विविध वस्तुएं गोदाम में इकट्ठा कर लेती है। जिस किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता हो, वह इस दूकान से खरीद लेता है।

पहला तरीका उन स्थानों में अधिक उपयोगी होता है जहाँ के लोगों की आवश्यकताएँ कम हों और एक सी हों, और जहाँ एक स्थायी दूकान रखने से कुछ फायदा न हो। देहात के लोग बहुधा अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को स्वयं तैयार कर लेते हैं। उन लोगों की आवश्यकताएं भी करीब २ एक सी होती हैं। वहाँ विविध वस्तुओं की मांग भी हमेशा इतनी नहीं रहती है कि कोई सहकारी दूकान सालभर लाभपूर्वक चल सके।

इसलिए ऐसे स्थानों में पहला तरीका ही अधिक उपयोगी मालूम होता है।

दूसरा तरीका शहर के लिए अधिक उपयोगी होता है। शहर में लोग इधर-उधर फैले रहते हैं, उनकी आवश्यकताएँ भी भिन्न भिन्न और अधिक होती हैं। इसलिए यहाँ पर सहकारी दुकान खोलना ही ठीक मालूम देता है। इसके अलावा शहर के लोगों का मिजाज इस तरह का होता है कि अगर समिति बार-बार उनसे उनकी आवश्यकता की वस्तुओं के बारे में पूछे तो वे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसलिए अच्छा यही है कि उन लोगों की रुचि और आवश्यकताओं के योग्य वस्तुओं की दुकान स्थापित कर दी जाय।

सहकारी-उपभोग समिति की साख बहुत बड़ी होती है, इसलिए किसी समय अगर समिति के पास धन की कमी भी पड़ जाय, तो वह वस्तुओं को उधार भी खरोद सकती है। इसके अलावा वह सहकारी बैंक महाजनों से, अथवा अन्य बैंकों से आसानी से कम सुद पर रुपया उधार ले सकती है। इससे समिति का कार्य धन के बिना रुकने नहीं पाता।

उपभोक्ताओं को उपभोग-समिति से बहुत लाभ होते हैं। सबसे पहले उनके समय की बचत होती है। अगर समिति की दुकान न हो, तो प्रत्येक उपभोक्ता को बाजार जाकर अपनी आवश्यकताओं की वस्तु के लिए इधर-उधर भटकना पड़े। समिति के द्वारा उनके घर बैठे ही सब वस्तुएँ मिल सकती हैं।

बाजार में जाकर एक साधारण सनुष्य बहुधा धोखा खा जाता है। वह असली और मिलावट के माल की ठीक पहचान नहीं कर सकता। उसको किसी वस्तु की बाजार दर ठीक ठीक मालूम नहीं होती। कभी-कभी दुकानदारों के बहकाने में आकर या बिज्ञापनों से धोखा खाकर वह ऐसी वस्तुओं को खरीद लेता है जिनकी उसको आवश्यकता नहीं होती। समिति के द्वारा खरीदने से वह इन धोखों से बचा रहता है। इसके अलावा साधारण उपभोक्ता बहुधा कम परिमाण में किसी वस्तु को खरीदता है। इसलिए वह छूटे-छोटे दुकानदारों या फेरीवालों से खरीदता है। इसका नतीजा यह होता है कि उसको अधिक कीमत देनी पड़ती है। समिति के द्वारा खरीदने से उसको कीमत कम देनी पड़ती है। अगर समिति उतनी ही कीमत ले तो भी वह मुनाफ़ा जो समिति को मिलता है, वह वास्तव में अन्त में उपभोक्ताओं को ही मिलता है।

भारतवर्ष में इन सहकारी-उपभोग-समितियों की बहुत ही कमी है। सारे भारतवर्ष में, देहात और शहरों में दस-बारह हजार से अधिक ऐसी समितियाँ नहीं हैं। इन समितियों के पास पूँजी भी बहुत कम है। जो कुछ समितियाँ हैं भी, उनका काम भी बहुत ढीला चल रहा है। इसका एक खास कारण यह है कि यहाँ के अधिकांश लोगों में अभी ऐसी जागृति नहीं हुई है जिससे ये लोग सहकारिता तथा एकता का महत्व पूर्ण रूप से समझ सकें। उनको अभी इस बात

का विश्वास नहीं हुआ है कि यह समिति उनकी है, उनके ही लिए है, और इसलिए समिति का नफ़ा-नुक़मान उनका ही नफ़ा नुक़मान है। बहुत से लोगो का यह ख़याल है कि यह समिति सरकारी है, इसलिए अगर समिति के प्रति सच्चा व्यवहार न भी रखें तो उनका कुछ भी न बिगड़ेगा। जो कुछ नुक़मान होगा वह सरकार का होगा। ऐसे विचारो के प्रभाव से वे लोग समिति के साथ दगा करते हैं और अपने पैरो मे खुद कुल्हाडी मारते हैं।

भारत मे सहकारी समितियों से लाभ होने की तभी सम्भावना हो सकती है, जब भारतवासियो मे शिक्षा इत्यादि के प्रभाव से जागृति और उत्साह उत्पन्न हो। इसके बिना समिति की बुनियाद कच्ची रहेगी और फल वही होगा जो आजकल देखने मे आता है। कोई कार्य सफल तभी हो सकता है जब कार्यकर्ताओ मे जोश और उत्साह हो। चाहरी दवाव से जो काम किया जाता है उसमें बहुधा उन्नति कम होती है। भारतवर्ष में ये समितियां अधिकांश सरकारी कर्मचारियो के द्वारा खुलो हैं न कि जनता के उत्साह से। जनता मे उत्साह पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी मानसिक तथा आर्थिक स्थिति इस प्रकार की बनाने की कोशिश की जाय, जिसमे जनता इन समितियो द्वारा होनेवाले अपने लाभ और हानि को स्वयं समझ सके।

जब इस प्रकार ये समितियां स्थापित हो जायें तो सरकार को चाहिए कि धन से, निरीक्षण से इनकी उन्नति मे सहायता

करे। उपभोग-समितियों को इस बात का खयाल रखना चाहिए कि उनके मैनेजर अथवा मन्त्री इत्यादि सुरिचित तथा सुयोग्य हों। वस्तुएं बाजार के दर पर और नकद बेचने की कोशिश करनी चाहिए। बाजार के दर पर बेचने से यह लाभ होता है कि समिति के पास मुनाफे से एक अच्छा कोष बन जाता है और समिति की साख और कार्य-शक्ति अधिक दृढ़ हो जाती है। उपभोक्ताओं को चाहिए कि नियत समय पर समिति का मूल्य चुका दें, अन्यथा समिति के सञ्चालन में गड़बड़ी होने की सम्भावना रहती है।



अठारहवाँ अध्याय

दान-धर्म

पिछले कई अध्यायों में बतलाया जा चुका है कि मनुष्य के रहन-सहन को ऊँचा करने के लिये साधारणतः यह आवश्यक है कि उसकी आमदनी में वृद्धि हो। इस अध्याय में इस बात का विवेचन किया जाता है कि गरीब लोगों की आमदनी में उचित दान-धर्म द्वारा किस प्रकार वृद्धि हो सकती है।

धनी लोग अपने रहन-सहन को वास्तविक बना ही सकते हैं। इसलिए उनकी आमदनी बढ़ाने का सवाल यहाँ पर उपस्थित ही नहीं होता। यहाँ उन लोगों की आमदनी और रहन-सहन पर विचार किया जाता है जिनकी आमदनी इतनी नहीं है जिससे वे अपना रहन-सहन वास्तविक बना सकें।

किसी भी मुल्क की राष्ट्रीय-आय किसी एक खास समय पर नियमित होती है। इसलिए अगर गरीबों की आमदनी में वृद्धि की जाय, तो उसका अधिकांश भाग किसी न किसी रूप में धनी लोगों से आना चाहिये। अब यह देखना है कि धनी लोग किस किस रूप में गरीबों की आमदनी तथा उनके रहन-सहन की उन्नति कर सकते हैं, और इसका असर उन पर,

गरीबों पर तथा देश पर कैसा पड़ता है ।

कुछ लोगों का यह खयाल है कि अगर धनी लोगों से धन लेकर गरीबों को किसी भी रूा में दिया जाय तो उसमें देश को हानि होगी । इन लोगों का कहना है कि अगर किसी साल एक करोड़ रुपया धनी लोगों से लेकर गरीबों को दे दिया जाय तो धनी लोगो की एक करोड़ रुपये से खरीदी जाने वाले वस्तुओं की मांग कम हो जायगी । इस तरह उत्पत्ति कम हो जायगी और बहुत से गरीब लोग बेगोजगार हो जायेंगे । इससे देश की बहुत क्षति होगी । लेकिन ये लोग एक ही पहलू से विचार करते हैं । दूसरी तरफ से देखने से मालूम होगा कि यह एक करोड़ रुपया जो गरीबों के पास जायगा वह भी उपभोग अथवा उत्पत्ति की वस्तुओं को खरीदने में खर्च किया जायगा । इससे गरीब लोगों की मांग की वृद्धि होगी । हां, इतना अवश्य होगा कि अमीर लोगों की कुछ ऐशो आराम की चीजों के बदले कुछ जीवनोपयोगी वस्तुओं की पैदायश बढ़ जावेगी । इससे देश का अविक ही कल्याण होगा ।

गरीबों की आमदनी में वृद्धि न करने का दूसरा कारण यह दिया जाता है कि अगर इन लोगों की आमदनी बढ़ा दी जाय तो ये लोग काम से जी चुराने लगेंगे और इससे उत्पत्ति कम होगी और राष्ट्रीय आय भी कम हो जावेगी । इस कारण में कुछ सच्चाई अवश्य है लेकिन यह बात नहीं कि केवल इसी कारण से गरीबों की आमदनी में वृद्धि न की जाय । हां, यह बात आव-

शक्य है कि गरीबों की आमदनी इस प्रकार से बढ़ाई जाय, और इस प्रकार के प्रवन्ध किये जायँ कि गरीब लोग आलसी होने के बदले अधिक कार्य-कुशल बनने और अपनी आमदनी अधिक बढ़ाने की कोशिश करें। उन लोगों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिये जिससे वे इस बात को अच्छी तरह से समझ जायँ कि आमदनी की वृद्धि का सदुपयोग करने से उनको कितना लाभ होगा, और उसका दुरपयोग करने से कितना भयङ्कर परिणाम होगा। इसलिए यह बात निश्चित है कि अगर सतर्कता से गरीबों की आमदनी में वृद्धि की जाय तो देश का उपकार ही होगा।

कुछ लोगों का यह भी कहना है कि धनी लोगों से जो धन लेकर गरीबों को दिया जायगा, उसका अधिकांश उनकी बचत अथवा पूँजी में से आवेगा और गरीब लोग इस धन को उपभोग के पदार्थों में खर्च कर देंगे। इसलिए देश की पूँजी और उत्पत्ति भी कम होती जायगी। पहले तो इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि गरीबों को दिया जाने वाला धन बचत अथवा पूँजी में कमी करके आवेगा। यह बात भी मुमकिन है कि धनी लोग अपने ऐशो-आराम की कुछ वस्तुओं का उपभोग कम करके इस धन का एक हिस्सा गरीबों के लिए निकाल लें। दूसरी बात यह है कि यह धन जो गरीबों पर खर्च किया जावेगा, इससे भी भविष्य में देश के लिए पूँजी बन जायगी। बहुत से गरीब लोग कार्य-कुशल बन जायँगे, बहुत से बच्चे और नौजवान

लोग जो आचारा फिरा करते हैं वे सुरक्षित, साहसी और हृष्ट-पुष्ट बन जायेंगे। क्या ये देश की पूंजी नहीं हैं? इन सब बातों का कुल परिणाम यह होगा कि जितना धन गरीबों पर इस वक्त खर्च किया जायगा, कुछ सालों में वे इससे कई गुना अधिक फल देंगे।

गरीब लोगों की आमदनी कई रूप में बढ़ाई जा सकती है। यह बात आवश्यक नहीं है कि उनको धन के रूप में ही सहायता दी जाय। सरकार बहुत सी वस्तुओं में कर लगा कर अथवा सहायता देकर इस प्रकार का प्रबन्ध कर सकती है कि धनी लोगों के उपभोग की वस्तुओं का मूल्य कुछ बढ़ जाय और गरीब लोगों के उपभोग की वस्तुओं का मूल्य घट जाय। इसके अलावा सरकार शिक्षालय, वाचनालय, औषधालय इत्यादि स्थान स्थान पर स्थापित कर इन लोगों को बिना मूल्य इनका उपयोग करने की आज्ञा देकर देश का भला कर सकती है।

इसी प्रकार सरकार और पूंजीपति इस प्रकार का कोष स्थापित कर सकते हैं जिससे वे बेकार लोग, जो काम करना चाहते हैं और उनको काम नहीं मिलता तथा अपाहिज लोग भूखों न मरने पावें।

धनी लोग अनेक प्रकार से गरीब लोगों का उपकार कर सकते हैं। पहले तो वे गरीबों को धन दे सकते हैं। इसके अलावा वे उनकी भोजन, वस्त्र, इत्यादि आवश्यक पदार्थों से सहायता कर सकते हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष में यह रिवाज

बहुत प्रचलित था। पुत्रोत्पत्ति के समय, विवाह के समय और भी शुभ अवसरों में धनी लोग ब्राह्मणों को, निर्धन लोगों को धन, वस्त्र, इत्यादि दान दिया करते थे। जो कोई अच्छा पण्डित, कवि, गायक होने से वे भी उचित रूप में पुरस्कृत किये जाते थे। भूकंप, दुर्भिक्ष इत्यादि कष्टों के अवसरों पर अन्न-चक्र बाँटे जाते थे। ऐसे कष्टों के अवसरों पर वस्त्र इत्यादि धार्मिक कर्म किये जाते थे और बहुत सा धन लोगों में बाँटा जाता था।

आजकल इस प्रथा का लोप ना हो गया है। किसी किसी धार्मिक स्थान या तीर्थ में सदावर्त का नाम सुनाई पड़ता है। आजकल के धनी लोग ऐसी बातों पर बहुत कम विश्वास करते हैं। जो लोग गरीब लोगों का धन ले लेकर धनी बनते हैं उनमें क्या यद् उम्मेद् की जा सकती है कि वे गरीबों को धन वापिस कर देंगे। अगर ऐसा ही होता तो वे उनसे धन लेते ही क्यों। हाँ, इस धन से ये लोग आलीशान भोजन देते हैं, मोटरकार खरीदते हैं और गुल-झरें उड़ाने हैं।

यहाँ पर यह धतलाने की आवश्यकता नहीं है कि धनी लोग अपने धन को बिना कुछ मोचे-समझे गरीब लोगों में बाँट दे। इस तरह बाँटने से अनिष्ट होने की आशङ्का है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अगर बिना किसी अच्छे इन्तजाम और निरीक्षण के गरीब लोगों को धन दे दिया जाय तो सम्भव है कि वे लोग अपना समय आलस्य में बितावे। भारतवर्ष में

भिखारियों की संख्या बहुत ही अधिक है। इनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जो कार्य करके अपना निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन इनकी मांगने की आदत ऐसी खराब पड़ गई है कि ये लोग एक-दो दिन भूखे तक पड़े रहते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। इसका कारण यह है कि इन लोगों को बिना कुछ सोचे-विचारे भिन्ना दे दी जाती है और इसका भयङ्कर परिणाम होता है। किसी प्रकार की भी सहायता करनी हो तो वह स्थान, काल, पात्र को देख पर करनी चाहिए। श्रीमद्भगवद्गीता में भी भगवान् ने कहा है कि उचित स्थान में, उचित समय में तथा सत्पात्र व्यक्ति के लिए जो दान दिया जाता है वह दान सात्विक कहलाता है। इसके विपरीत अनुचित स्थान में, अनुचित समय में, अपात्र व्यक्तियों को जो दान दिया जाता है वह तामस-दान कहलाता है।

सहायता इस प्रकार से दी जानी चाहिये कि उसका परिणाम शुभ हो। अगर अकाल के समय अथवा और किसी कष्ट के समय जमींदार लोग लगान मुआफ कर दे या कम कर दें तो यह उचित काल की सहायता होगी। इसी तरह यदि कोई धनी मनुष्य ऐसे स्थान में, जहां पानी की बहुत कमी है एक कुआँ खुदवा दे, तो वह बहुत अधिक उपकार करेगा बनिस्वत इसके कि वह एक नदी के किनारे कुआँ खुदवाये। इसी प्रकार दान या सहायता देते समय इस बात का विचार कर लेना चाहिये कि दान या सहायता कैसे मनुष्य को दी जा रही है।

धनी लोगों को चाहिये कि वे इस प्रकार के काम-धन्धों का आयोजन करे, जिनसे देश का अधिकतम कल्याण हो। यह बात तो मानी हुई है कि द्रव्य देकर गरीबों को सहायता करने से देश का अधिक कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए इन लोगों को द्रव्य न देकर उस द्रव्य से इस प्रकार के काम करने चाहिये जिसके अन्त में (भीतर ही भीतर) गरीब लोगों की सहायता हो जाय। अगर स्थान-स्थान पर इस प्रकार की पाठशालाएं खोल दी जायें जहां कि गरीब लोगों के बच्चे निःशुल्क पढ़ सके तो इसका परिणाम यह होगा कि भविष्य की जनता सुशिक्षित और कार्य-कुशल होगी। इसी प्रकार धनी लोगों को चाहिये कि जगह-जगह पुस्तकालय खुलवा दे। जिस जगह पानी की कमी हो वहां कुवे खुदवाये अथवा प्याऊ का इन्तजाम कर दे। मुसाफिरो के लिए धर्मशालाएं बनवा दे। इसी प्रकार के कितने ही ऐसे कार्य हैं जिनमें रुपया खर्च करने का अन्त में वही परिणाम होता है, जो गरीबों को धन देकर सहायता करने से हो सकता है। बल्कि कभी कभी उससे भी अच्छा परिणाम होता है।

इस तरह जो धन धनी लोगों के पास से गरीब लोगों के पास पहुँचेगा उसका कुल परिणाम यह होगा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जायगी। धनी लोग इस धन के अधिकांश भाग को विलासिता तथा आराम की वस्तुओं के खरीदने में खर्च कर देते हैं। लेकिन जब यह धन शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के रूप में गरीब जनता के पास पहुँचता है तो

यह निश्चय है कि भविष्य की जनता इस अवस्था में पहुँच जायगी कि वह अपनी टांगों पर खुद खड़ी हो सकेगी, और देश में सुख, शान्ति और समृद्धि का विकास होने लगेगा। देश के उत्थान के लिये प्रत्येक धनी व्यक्ति को चाहिये कि वह अपनी आमदनी का कम से कम दसवाँ भाग दान देने के लिये अलग रखता जाय और उचित समय पर उसका उचित रीति से उपयोग करे। इससे देश को बहुत लाभ होगा।



उन्नीसवां अध्याय

सदुपभोग और दुस्वपभोग

इस अध्याय में यह बतलाने का प्रयत्न किया जाता है कि वस्तुओं का सदुपभोग और दुस्वपभोग किम प्रकार होता है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है किसी वस्तु अथवा सेवा का यथार्थ में तभी उपयोग होता है जब कि उससे सन्तोष और तृप्ति प्राप्त हो। सन्तोष और तृप्ति मानसिक हैं। सब मनुष्यों को एक ही प्रकार को वस्तुओं के उपभोग से बराबर तृप्ति या सन्तोष नहीं मिलता। लेकिन इस बात में कुछ भी सन्देह नहीं है कि सन्तोष का सभी मनुष्यों के जीवन के साथ गहरा सम्बन्ध है। सन्तोष जीवन के मुख्य धोरों में से एक ध्येय समझा जाता है और प्रत्येक मनुष्य इसको प्राप्त करना चाहता है। जिस देश के लोग सन्तुष्ट रहते हैं वह देश हमारा शक्तिवान् और समृद्धिवान् रहता है।

उपभोग और सन्तोष का जो सम्बन्ध है उसका वर्णन तीसरे अध्याय में किया जा चुका है। उसमें यह भी बतलाया जा चुका है कि आवश्यकतओं को अपने वश में करने से क्या क्या लाभ होते हैं।

उपभोग की वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका असर उपभोक्ता पर बहुत अच्छा होता है। ये वे वस्तुएं हैं जो मनुष्य के जीवन की रक्षा करती हैं और उसको कार्य करने की शक्ति और निपुणता प्रदान करती हैं। इन वस्तुओं का विवेचन "वास्तविक रहन-सहन का दर्जा" वाले अध्याय में हो चुका है। इन वस्तुओं का उपभोग सदुपभोग कहा जाता है; क्योंकि इन वस्तुओं के उपभोग का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। सदुपभोग की वस्तुएं साधारणतः सभी मनुष्यों के लिए समान होती हैं। जल-वायु तथा कुछ अन्य परिस्थितियों से इसमें थोड़ा सा अन्तर हो सकता है।

बहुत सी वस्तुएं जिनका उपभोग किया जाता है ऐसी हैं जो क्षणिक सन्तोषदायक होती हैं परंतु उनका परिणाम बहुत बुरा होता है। ऐसी वस्तुओं के उपभोग को दुरुपभोग कहा जाता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण हैं शराब, अफीम, चरस इत्यादि, नशीली वस्तुओं का सेवन, तम्बाकू, सिगरेट, पाना, जुआ खेलना, विलासिता की वस्तुओं का उपभोग करना, इत्यादि। और भी कुछ ऐसे व्यसनो में लोग फँसे रहते हैं जिनसे वे अपने द्रव्य का दुरुपयोग करते हैं। दुरुपभोग मनुष्य के जीवन का काल है। इससे मनुष्य का आचरण खराब हो जाता है, उसकी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का ह्रास हो जाता है और उसकी कार्य-कुशलता क्षीण होती जाती है। सांगंश यह है कि दुरुपभोग से मनुष्य की जिन्दगी बरबाद हो जाती है।

भारतवर्ष में दुरुपभोग भयानक रूप में फैल गया है। एक समय वह था जब यहां के निवासियों का आदर्श यह था कि आवश्यकताओं को परिमित रखा जाय, जीवन सादगी के साथ बिताया जाय, लेकिन ध्येय हमेशा ऊंचा रहे। उस समय लोग थोड़े में सन्तोष करते थे। तब देश में सुख, शान्ति और समृद्धि का राज्य था। आजकल पश्चिमी सभ्यता के संसर्ग से यहां के लोगों ने अपने को इच्छाओं का दास बना लिया है। इन लोगों को यह विश्वास हो गया है कि जितनी अधिक उनकी इच्छाएँ होंगी, उतना ही अधिक वे लोग सभ्य कहलावेंगे। प्राचीन काल के ऊंचे विचार और आदर्श सब लुप्त हो चले हैं। निर्धन, धनी, राजा, रङ्क सब को धन की हाय-हाय पड़ी हुई है। देश में सर्वत्र अज्ञान्ति और असन्तुष्टता फैली हुई है।

प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी आवश्यकताओं का इस प्रकार से नियमन करे, जिससे उसका, समाज का और देश का भी कल्याण हो। यह तभी हो सकता है जब कि लोग दुरुपभोग को छोड़ दें और सदुपभोग को ग्रहण करें।

जो लोग दुरुपभोग के अभ्यस्त हो चुके हैं वे कहते हैं कि अब उनकी आदतें छूट नहीं सकती। लेकिन यह उनकी सरासर भूल है। सच्चे दिल से प्रयत्न करने से कुछ भी असम्भव नहीं है। हाँ, प्रारम्भ में अवश्य ही कष्ट मालूम होगा, लेकिन यह कष्ट बहुत काल तक नहीं होगा। जिस समय दुर्व्यसन मनुष्य से छूट जायेगा उसी समय उसको बहुत शान्ति और सन्तोष प्राप्त होगा,

उसमें उत्साह और स्फूर्ति बढ़ेगी और उसका जीवन सुखी होगा।

यह बात ध्यान में रखते योग्य है कि भारतवर्ष का कल्याण आँखें मूंदकर पश्चिमी सभ्यता की नकल करने से नहीं हो सकता। भारतवर्ष का धर्म, आदर्श, सभ्यता सभी पश्चिमोद्य देशों से भिन्न रही है। सभ्यता की उन्नति यहाँ इच्छाओं की वृद्धि से नहीं मापी जाती थी। यहाँ सभ्यता की उन्नति का मार्ग ही दूसरा है। यह मार्ग है शारीरिक आवश्यकताओं का नियमन करना, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को अधिक महत्त्व देना। इस मार्ग पर चलने वाला प्राचीन काल का भारतवर्ष असभ्य नहीं कहलाता था।

यहाँ पर यह कहने का मतलब नहीं है कि मनुष्य सब काम-धन्धों को छोड़कर संन्यास ग्रहण कर ले, और अपने शरीर को यातना दे। कोई भी मनुष्य अपने को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि उनको अधिकतम सुख मिले और दुःख न्यूनतम हो। अब यह देखना है कि आवश्यकताओं के दास बनने तथा दुरुपभोग से अधिक सुख होता है अथवा आवश्यकताओं के नियमन तथा सदुपभोग से। अगर मनुष्य अपने में किसी ऐसी वस्तु के उपभोग की इच्छा उत्पन्न करले, जिसको वह तृप्त न कर सके तो उसको इससे अधिक दुःख होगा। उस इच्छा को उत्पन्न ही न होने देने में उसको उतना दुःख न होगा। स्मरण रहे कि यह बात

केवल उन इच्छाओं के लिए कही जा रही है जो कि स्वाभाविक नहीं हैं, परन्तु जिनको मनुष्य संसर्ग अथवा किसी और प्रकार से उत्पन्न कर लेता है। आवश्यकताएँ तो असौम होती हैं, और बढ़ती जाती हैं, इसलिए कोई भी मनुष्य यह नहीं कह सकता है कि यह मेरी अन्तिम आवश्यकता है और इसके बाद मुझको और कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर मनुष्य अपने को इच्छाओं के समुद्र में बहा दे तो फिर उसको कष्ट ही अधिक मिलेगा। इससे अच्छा तो यही है कि मनुष्य मनोनिग्रह और इन्द्रियनिग्रह द्वारा अपनी आवश्यकताओं का नियमन करे।

जहाँ आवश्यकताओं का नियमन हुआ कि सदुपभोग शुरू हो जाता है। सदुपभोग के साथ-साथ उसके अनुगामों सुख, सन्तोष, शान्ति और समृद्धि स्वयं ही आ उपस्थित होते हैं।

अगर भारतवर्ष के लोग निरर्थक की हाय हाय को छोड़ कर, अपनी इच्छाओं को अपने वश में करके, दुरुपभोग को छोड़ कर सदुपभोग ग्रहण करे, तां जो अशान्ति, अमन्तुष्टता देश में फैली हुई है उसका बहुत कुछ अंश में आसानी से निवारण हो जाय।

हिन्दू धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो द्रव्य अर्धम या वेईमानो से प्राप्त किया जाता है उसका सदुपभोग नहीं हो सकता। वह दुरुपभोग द्वारा ही प्रायः नष्ट हो जाता है। इससे मनुष्य की खर्च करने की आदत भी बिगड़ जाती है। अपनी आदत के बिगड़ने से अन्त में मनुष्य बरबाद हो जाता है। इसलिये प्रत्येक

व्यक्ति को धर्म-पूर्वक ईमानदारी से ही द्रव्य प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी से थोड़ा-बहुत जो कुछ द्रव्य मिल जाय उससे सन्तोष कर लेना चाहिये और अपनी इच्छाओं को वश में करके उस द्रव्य का सदुपभोग करना चाहिये । इससे उसे वह शांति और सुख प्राप्त होगा जो धनवान् व्यक्तियों को भी दुर्लभ है ।



भारतवर्षीय हिन्दी-अर्थशास्त्र-परिषद्

(सन् १९२३ ई० में संस्थापित)

सभापति—

श्रीयुत पंडित दयाशंकर दुबे, एम्० ए०, एल्-एल्० बी०
अर्थशास्त्र अध्यापक, प्रयाग-विश्वविद्यालय, प्रयाग ।

मंत्री—

(१) श्रीयुत जयदेवप्रसादजी गुप्त, एम्० ए०, बी० कॉम०,
एस० एम० कालेज, चंद्रौसी ।

(२) साहित्यरत्न पंडितउदयनारायण जी त्रिपाठी एम्० ए०
अध्यापक, दारागंज हाईस्कूल, दारागंज, प्रयाग ।

इस परिषद् का उद्देश्य है जनता में हिन्दी-द्वारा अर्थशास्त्र का ज्ञान फैलाना और उसका साहित्य बढ़ाना । कोई भी सज्जन १) प्रवेश शुल्क देकर इस परिषद् का सदस्य हो सकता है । जो सज्जन इसे कम से कम १००) की आर्थिक सहायता देते हैं, वे इसके संरक्षक समझे जाते हैं । प्रत्येक सदस्य और संरक्षक को परिषद् द्वारा प्रकाशित या संपादित पुस्तकें पौने मूल्य पर दी जाती हैं ।

परिषद् की संपादन-समिति द्वारा संपादित होकर निम्न-लिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं:—

(१) भारतीय अर्थशास्त्र (दो भाग) । (गंगा ग्रंथागार,
लखनऊ)

(२) विदेशी विनिमय " "

(३) अर्थशास्त्र शब्दावली (भारतीय ग्रंथमाला, वृन्दावन)

(४) कौटिल्य के आर्थिक विचार । " "

(५) संपत्ति का उपभोग (साहित्य-मंदिर, दारागंज, प्रयाग)

(६) हमारे हरिजन (सरस्वतीसदन, दारागंज, प्रयाग)

इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित पुस्तकों का सम्पादन हो रहा है :—(७) मूल्य-विज्ञान ।

(८) भारत में हिन्दुओं की दशा ।

(९) राजस्व-शास्त्र ।

(१०) अंक-शास्त्र ।

(११) भारतीय बैंकिंग ।

हिन्दी में अर्थशास्त्र-सम्बन्धी साहित्य की कितनी कमी है, यह किसी साहित्य-प्रेमी सज्जन से छिपा नहीं है । देश के उत्थान के लिये इस साहित्य की शीघ्र वृद्धि होना अत्यन्त आवश्यक है । प्रत्येक देशप्रेमी तथा हिन्दीप्रेमी सज्जन से हमारी प्रार्थना है कि वह इस परिषद् का संरक्षक या सदस्य होकर हम लोगों को सहायता देने की कृपा करे । जिन महाशयों ने इस विषय पर कोई लेख या पुस्तक लिखी हो, वे उसे सभापति के पास भेजने की कृपा करे । लेख या पुस्तक परिषद् द्वारा स्वोक्त होने पर सम्पादन-समिति द्वारा बिना मूल्य सम्पादित की जाती है । आर्थिक कठिनाइयों के कारण परिषद् अभी तक कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं कर पायी है, परन्तु वह प्रत्येक लेख या पुस्तक को सुयोग्य प्रकाशक द्वारा प्रकाशित कराने का पूर्ण प्रयत्न करती है । जो सज्जन अर्थशास्त्र-सम्बन्धी किसी भी विषय पर लेख या पुस्तक लिखने में किसी प्रकार की सहायता चाहते हों, वे नीचे लिखे पते से पत्र-व्यवहार करें ।

दारागंज, प्रयाग }

दयार्शंकर दुबे, एम० ए०

हिन्दी-काव्य की कोकिलाएँ

लेखक

श्रीयुत गिरिजादत्त शुक्ल बी० ए०

श्रीयुत ब्रजभूषण शुक्ल, विशारद

इस पुस्तक में क्या-क्या है—

(१) हिन्दी-काव्य में जब से स्त्री-कवियों की कोमल लेखनी का मृदुल स्पर्श हुआ है, तब से लेकर अब तक की समस्त प्रतिभा-शालिनी स्त्री-कवियों की मनोमोहक कविताओं का यह सुन्दर संकलन है।

(२) संकलन के सिवाय इसमें संगृहीत कविताओं की समीक्षा भी की गई है। किस स्त्री-कवि की कविता में क्या-क्या विशेषताएँ हैं, उसकी शैली कैसी है, उसकी भाषा में क्या चमत्कार है, मानव-जीवन के अन्तराल में लहरानेवाली भावनाओं के सम्बन्ध में किस कवयित्री ने क्या-क्या लिखा है—मिलन, विच्छेद, हास्य, बालचापल्य, प्रकृति-सौन्दर्य, अरमानों की दुनियाँ, दुखियों की कुटिया; त्याग की लँगोटी और जीवन के श्मशान में इन स्त्री-कवियों के काव्य-कौशल की कहाँ तक गति है, इत्यादि बातें आप इस पुस्तक में पायेंगे।

(३) प्रत्येक स्त्री-कवि का साहित्यिक परिचय भी दिया गया है।

(४) भाषा, शैली और विचार-धारा के अनुसार पुस्तक तीन तीन भागों में विभक्त है और इस प्रकार हिन्दी-साहित्य के निर्माण में स्त्री-कवियों का कितना भाग है, यह विषय भी हिन्दी-काव्य के इतिहास के विद्यार्थी के सामने स्पष्ट हो जाता है ।

(५) अनेक देवियों के चित्र भी दिये गये हैं ।

(६) प्रारम्भ में स्त्री-कवियों की कविता का विषय क्या था; फिर स्त्री-कवियों के मध्यकाल में उनकी कविता का विषय क्या रहा और अब आज-कल स्त्री-कवियों के काव्य का विषय क्या है—इत्यादि बातें भी बतलाई गई हैं ।

(७) सच पूछिये तो हिन्दी में स्त्री-कवियों ने, अपने कौशल से अमरसाहित्य की सृष्टि की है । इस पुस्तक में आप इस बात को प्रमाणित रूप में पायेंगे ।

मू० २)

परिषद्-निबन्धावली

[संपादक—प्रो० धीरेन्द्र वर्मा एम्० ए०]

इलाहाबाद-यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत एक हिन्दी-परिषद् है । उसमें हिन्दी के उच्चश्रेणी के अध्ययनशील विद्यार्थी हिन्दी-साहित्य-सम्बन्धी आलोच्य विषयों पर, खोज और छानबीन के साथ निबन्ध लिखकर सुनाते रहते हैं । इस निबन्धावली में ऐसे ही निबन्धों का संकलन किया गया है । पृष्ठ-संख्या २१६, मूल्य १) ।

साहित्य-मंदिर, दारागंज, प्रयाग

हिन्दू-तीर्थमाला की सचित्र और रोचक पुस्तकें

१—प्रयाग +)	२३—डाकोरजी	=)
२—चित्ररूट +	≡)	२४—द्वारिकापुरी ×)
३—अयोध्या +	=)	२५—सोमनाथ ×	=)
४—काशी +)	२६—सिद्धपुर-पुष्कर	≡)
५—गया +	≡)	२७—नाथद्वारा	=)
६—वैद्यनाथ धाम +	=)	२८—उज्जैन ×	≡)
७—गंगासागर-कलकत्ता	≡)	२९—ओकारेश्वर	≡)
८—कामाक्षी	=)	३०—मथुरा-वृन्दावन ×)
९—वैतरणी	=)	३१—कुरुक्षेत्र-दिल्ली	≡)
१०—जगन्नाथ धाम +)	३२—ज्वालाजी-अमरनाथ	≡)
११—श्रीरगम्—मद्रास	=)	३३—हरिद्वार ×	≡)
१२—रामेश्वर +)	३४—गंगात्री-जमुनोत्री	=)
१३—पद्मनाभ—मदुरा	=)	३५—केंदरनाथ ×	=)
१४—कांची—चिदांबरम +	=)	३६—वदरीनाथ ×	=)
१५—वालाजी	=)	३७—नैमिषारण्य-लखनऊ	=)
१६—मल्लिकार्जुन +	=)	३८—गणुमतिनाथ	≡)
१७—नागनाथ-वैजनाथ +	=)	३९—अमरकटक	=)
१८—वृष्णेश्वर +	=)	४०—भेड़ाघाट-जबलपुर	=)
१९—नासिक-त्र्यंबकेश्वर +	≡)	भारत के तीर्थ प्रथम खंड	१)
२०—भीमाशकर—पूना +	=)	सप्तपुरी (सजिल्द) ×	१)
२१—किष्किन्धा—गोकर्ण	=)	द्वादशव्योतिर्लिङ्ग (सजिल्द) × २)	
२२—पंढरपुर—वन्वई	≡)	चार धाम (सजिल्द) ×	१)

इन + × निशानों वाली पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं ।

धर्म-ग्रन्थावली, दारागञ्ज, प्रयाग की धार्मिक, लोकोपयोगी, सस्ती, सचित्र बढ़िया पुस्तकें

- १—नर्मदा परिक्रमा—(नर्मदा-रहस्य का प्रथम भाग) पचासों सुन्दर उपयोगी दर्शनीय चित्रों से युक्त, वेदशास्त्र सम्मत श्री नर्मदा जी का सुन्दर वर्णन । नर्मदा परिक्रमा के नक्शे, परिक्रमा-मार्ग सहित सजिल्द पुस्तक का मूल्य २) दो रुपया ।
- २—श्री नर्मदा परिक्रमा मार्ग—श्री नर्मदा जी की परिक्रमा करनेवालों के लिये उपयोगी नक्शे और मार्ग सहित मूल्य १)
- ३—भारत के तीर्थ (प्रथमखंड) प्रस्तुत पुस्तक में प्रयाग, चित्रकूट अयोध्या, काशी, वैद्यनाथ धाम और गया का सचित्र ऐतिहासिक और पौराणिक वर्णन सुन्दर भाषा में लिखा गया है । पुस्तक संग्रहणीय और परमोपयोगी है । मूल्य सजिल्द का १)
- ४—चार धाम—जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारका और वदरीनाथ का ऐतिहासिक, पौराणिक सचित्र वर्णन । मूल्य १)
- ५—सप्त पुरी—अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका का ऐतिहासिक और पौराणिक सचित्र वर्णन । मूल्य १॥)
- ६—भक्त चरित माला—मे भगवद्भक्तों का सचित्र रोचक वर्णन सरल भाषा में लिखा गया है । अभी—मीरा, भक्तध्रुव, प्रह्लाद, सूरदास के चरित्र व पद प्रकाशित हो चुके हैं । प्रत्येक का मूल्य २) छै आना ।
- ७—अवतार माला—में श्रीगणेशचन्द्र, कृष्णचन्द्र और बुद्ध के अवतारों की अलग २ कथा सचित्र लिखी गई है । प्रत्येक का मूल्य २) छै आना । स्थाई ग्राहकों को सब पुस्तकें पौने मूल्य में मिलेगी ।

